किसान उत्पादक कंपनियों के लिए शेयर पूंजी अनुदान एवं ऋण गारंटी निधि योजना

Equity Grant & Credit Guarantee Fund Scheme for

Farmer Producer Companies

दिशा निर्देश OPERATIONAL GUIDELINES

# किसान उत्पादक कंपनियों के लिए शेयर पूंजी अनुदान एवं ऋण गारंटी निधि योजना

# **Equity Grant and Credit Guarantee Fund Scheme for Farmer Producer Companies**

# दिशा निर्देश Operational Guidelines

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ कृषि एवं सहकारित विभाग भारत सरकार

Small Farmers' Agri-Business Consortium

Dept. of Agriculture and Cooperation Government of India

# **Equity Grant and Credit Guarantee Fund Scheme for Farmer Producer Companies**

# किसान — उत्पादक कंपनियों के लिए शेयर पूंजी अनुदान एवं ऋण गारंटी निधि योजना

# Operational Guidelines दिशानिर्देश

# Contents विषय सूची

Introd	itroduction	
प्रस्तावः	ना	03
	A: EQUITY GRANT FUND (EGF) कः शेयर पूंजी अनुदान निधि (ई जी एफ)	04
1.	Period of Implementation	04
1.	कार्यान्वयन की अवधि	04
2.	Implementing Agency	04
2.	कार्यान्वयन एजेंसी	04
3.	Definitions	04
3.	परिभाषाएं	04
4.	Objectives of Equity Grant Fund	04
4.	शेयर पूंजी अनुदान निधि के उद्देश्य	04
5.	Eligibility Criteria for FPCs	04
5.	किसान उत्पादक कंपनियों के लिए पात्रता के मापदंड	04
6.	Equity Grant Fund	05
6.	शेयर पूंजी अनुदान निधि	05
7.	Application for Equity Grant Fund	06
7.	शेयर पूंजी अनुदान निधि के लिए आवेदन	06
8.	Institutional Due Diligenc	06
8.	संस्थानिक समुचित अध्यवसाय	06
9.	Sanction	06
9.	स्वीकृति	06
10.	Disbursement	07
	संवितरण	07
11.	Compliance and Verification	07
11.	अनुपालन एवं सत्यापन	07
12.	Arbitration	07
12.	पंच फैसला	07

AKI	B: CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)	08
ाग	खः ऋण गारंटी निधि (सी जी एफ)	08
1.	Period of Implementation	08
1.	कार्यान्वयन की अवधि	08
2.	Implementing Agency	08
2.	कार्यान्वयन एजेंसी	08
3.	Definitions	08
3.	परिभाषाएं	08
4.	Objectives of the Credit Guarantee Fund	09
4.	ऋण गारंटी निधि के उद्देश्य	09
5.	Eligibility Criteria for FPC	09
5.	किसान – उत्पादक कंपनियों के लिए पात्रता के मापदंड	09
6.	Credit Facilities Eligible under CGF	09
6.	सी जी एफ के अंतर्गत पात्र ऋण सुविधाएं	09
7.	Non- Eligibility	09
7.	गैर पात्रता	09
8.	Credit Guarantee Cover	10
8.	ऋण गारंटी की रकम	10
9.	Application for Guarantee Cover	10
9.	गारंटी की रकम के लिए आवेदन	10
10	). Sanction	10
10	). स्वीकृति	10
11	. Guarantee Fees	10
11	. गारंटी शुल्क	10
12	2. Annual Service Fee	11
12	2. वार्षिक सेवा शुल्क	11
13	B. Responsibilities of Lending Institutions under the Scheme	11
13	B. योजना के अंतर्गत ऋणदाता संस्थाओं की जिम्मेदारियां	11
14	I. SFAC Monitoring	12
14	l. लघु कृषक व्यापार संघ की निगरानी	12
15	5. Governance	12
15	5 अभिशासन	12
16	5. Invocation of Guarantee	13
16	5. गारंटी का लागू	13
17	7. Claim Settlement	13
17	7. दावे का निपटारा	13
18	3. Subrogation of Rights and Recoveries On Account Of Claims Paid	14
18	3. संदत्त दावों के कारण प्रत्यासन अधिकार एवं वसूलियां	14
19	9. Residual Recovery	14
19	). अवशिष्ट  वसूली	14
20	). Termination of SFAC's Liability in Certain Cases	14

20. कारायय नानला न लेबु कृषक कृषि प्यापार सेव का देवता का सनावत	14
21. General	14
21. सामान्य	14
22. Modifications and Exemptions	14
22. संशोधन एवं छूट	14
23. Interpretation	15
23. व्याख्या	15
24. Supplementary and General Provisions	15
24. पूरक एवं सामान्य प्रावधान	15
25. General Awareness/Publicity/Training Programme	15
25. सामान्य जागरूकता / प्रचार / प्रशिक्षण कार्यक्रम	15
26. Arbitration	15
26. पंच फैसला	15
PART C: PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF) FOR EQUITY GRANT	
AND CREDIT GUARANTEE FUND SCHEME	16
भाग गः शेयर पूंजी अनुदान और ऋण गारंटी निधि योजना के लिए परियोजना	
विकास सुविध (पी डी एफ)	16
EQUITY GRANT AND CREDIT GUARANTEE FUND SCHEME: ANNEXURES.	
शेयर पूंजी अनुदान एवं ऋण गारंटी निधि योजनाः अनुबंध	
Annexure 1: Application Form for seeking Equity Grant by FPC	18
अनुबंध 1: किसान – उत्पादक कंपनी द्वारा शेयर पूंजी अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र	18
Annexure 1: Enclosure1: FPC Shareholder List (all share holders)	22
अनुबंध 1 — परिशिष्ट 1: किसान — उत्पादक कंपनी के शेयर धारकों की सूची (सभी शेयर धारक)	22
Annexure 1: Enclosure 2: Resolution of BoD of FPC to seek Equity Grant for Shareholders (Certified True Copy)	24
अनुबंध 1: परिशिष्ट 2: शेयर धारकों के लिए शेयर पूंजी अनुदान प्राप्त करने के लिए	
किसान – उत्पादक कंपनी के निदेशक मंडल का संकल्प (सत्यापित सही प्रतिलिपि)	24
Annexure 1: Enclosure 3: Consent Form of all Shareholders	25
अनुबंध 1 — परिशिष्ट 3: सभी शेयर धारको का सहमति पत्र	25
Annexure 2: Agreement between SFAC and FPC	26
अनुबंध 2: लघु कृषक कृषि व्यापार संघ तथा किसान – उत्पादक कंपनी के बीच करार	26
Annexure 3: Application Form for Seeking Credit Guarantee Cover under CGF	29
अनुबंध 3: ऋण गांरटी निधि के अंतर्गत ऋण गारंटी की रकम प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र	29
Annexure 4: Agreement to be executed by Lending Institution/s with SFAC	33
अनुबंध ४: लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के साथ ऋणदाता संस्था (संस्थाओं) द्वारा किया जाने वाला करार	33
Annexure 5: Credit Guarantee Fund	39
अनुबंध ५: ऋण गारंटी निधि	39
Application for Invocation of Guarantee Cover and Settlement of Claim under CGF Scheme	41
ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत दावे का निपटारा तथा गारंटी की रकम के लागू के लिए आवेदन	41

# **List of Acronyms**

- EGCGFS- Equity Grant and Credit Guarantee Fund Scheme
- 2. FY- Financial Year
- 3. Gol-Government of India
- 4. FIG- Farmer Interest Group
- 5. FPC- Farmer Producer Companies
- 6. EGF- Equity Grant Fund
- 7. RoC-Registrar of Companies
- 8. SHG- Self Help Group
- 9. BoD-Board of Director
- 10. SFAC- Small Farmers" Agribusiness Consortium
- 11. EGSC- Equity Grant Sanction Committee
- 12. MD- Managing Director
- 13. CGF- Credit Guarantee Fund
- 14. NPA- Non-Performing Asset
- 15. ELI- Eligible Lending Institution
- 16. NCDC- Nation Cooperative Development Corporation
- 17. NABARD- National Bank for Agriculture and Rural Development
- 18. NEDFi- North Eastern Development Finance Corporation Ltd.
- 19. Ll-Lending Institution
- 20. INR- Indian Rupees
- 21. IFSC- Indian Financial System Code
- 22. DIN- Director Identification Number
- 23. CEO- Chief Executive Officer

- 24. CA- Chartered Accountant
- 25. ZO- Zonal Office
- 26. HO- Head Office
- 27. KYC- Know Your Customer
- 28. STD- Standard Trunk Dialling
- 29. PC- Producer Company
- 30. MACS- Mutually Aided Cooperative Society
- 31. a/c- Account
- 32. TL- Term Loan
- 33. WC- Working Capital

# संक्षिप्त नाम

- 1. ईजीसीजीएफएस- शेयर पूंजी अनुदान एवं ऋण गारंटी निधि योजना
- 2. एफवाई- वित्त वर्ष
- 3. जीओआई- भारत सरकार
- 4. एफआईजी- किसान लाभ समुह
- 5. एफपीसी- किसान उत्पादक कंपनी
- 6. ईजीएफ- शेयर पूंजी निधि
- 7. आरओसी- कंपनी रजिस्ट्रार
- 8. एसएचजी- स्वयं सहायता समूह
- 9. बीओडी- निदेशक मंडल
- 10. एसएफएसी- लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
- 11. ईजीएससी- शेयर पूंजी मंजूरी समिति
- 12. एमडी- प्रबंध निदेशक
- 13. सीजीएफ- ऋण गारंटी निधि
- 14. एनपीए- गैर प्रदर्शन परिसंपत्ति
- 15. ईएलआई- पात्र ऋण संख्या
- 16. एनसीडीसी- राष्ट्रीय सहकारित विकास निगम
- 17. एनएनबीएआरडी- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
- 18. एनईडीएफआई- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
- 19. एलआई- ऋणदायी संस्था
- 20. आईएनआर- भारतीय करैंसी
- 21. आईएफएससी- भारतीय वित्तीय कोड प्रणाली
- 22. डीआईएन- निदेशक पहचान संख्या
- 23. सीईओ- मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- 24. सीए- सनदी लेखाकार

- 25. जैडओ- क्षेत्रीय कार्यलय
- 26. एचओ- प्रधान कार्यलय
- 27. केवाईसी- ग्राहाक जानकारी
- 28. एसटीडी- स्टैडर ट्रंक डायलिंग
- 29. पीसी- उत्पादक कंपनी
- 30. एमएसीएस- परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम
- 31. ए / सी- लेखा
- 32. टीएल- अवधि उधार
- 33. डब्ल्यूसी- कार्यशील पूंजी

### INTRODUCTION

The Union Finance Minister, in the Budget Speech for 2013-14 delivered to the Lok Sabha on 28 February 2013, announced two major initiatives to support Farmer Producer Organisations (FPOs) viz., support to the equity base of FPOs by providing matching equity grants, for which an amount of Rs.50.00 crore was sanctioned, and, secondly, setting up of a Credit Guarantee Fund to provide cover to banks which advance loans to FPOs without collateral, for which an initial corpus of Rs. 100.00 crore was sanctioned to the Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC).

To operationalize the announcements made in the Budget Speech, a new Central Sector Scheme, titled "Equity Grant and Credit Guarantee Fund Scheme for Farmer Producer Companies" is proposed below in two parts, combining both the initiatives in one Scheme.

Part A of the Scheme deals with the Equity Grant Fund while Part B deals with the Credit Guarantee Fund.

### प्रस्तावना

28 फरवरी, 2013 को लोक सभा में 2013—2014 के लिए अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसान उत्पादक संघों (एफ पी ओ) की सहायता के लिए दो प्रमुख पहलों की घोषणा की है अर्थात समतुल्य शेयर पूंजी अनुदान प्रदान करके किसान — उत्पादक कंपनियों के शेयर पूंजी आधार के लिए सहायता, जिसके लिए 50 करोड़ रूपए की राशिस्वीकृत की गई, और दूसरा, ऐसे बैंकों को रकम प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी निधि की स्थापना जो जमानत के बिला किसान — उत्त्पादक कंपनियों को ऋण देते है, जिसके लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी) को 100 करोड़ रूपए की आरंभिक राशिस्वीकृत की गई।

बजट भाषण में की गई घोषणाओं को साकार करने के लिए "किसान — उत्पादक कंपनियों के लिए शेयर पूंजी अनुदान और ऋण गारंटी निधि योजना" नामक केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना का प्रस्ताव नीचे दो भागों में किया गया है, जिसमें दोनों पहलों को एक ही योजना के तहत शामिल किया गया है।

योजना के भाग—क में शेयर पूंजी अनुदान निधि के बारे में बताया गया है, जबकि भाग—ख में ऋण गारंटी निधि के बारे में बताया गया है। The scheme shall be known as

# FOR FARMER PRODUCER COMPANIES (EGCGFS)

# Part A: Equity Grant Fund (EGF)

#### 1. Period of Implementation

It shall be implemented from the Financial Year (FY) 2013-14 onwards.

#### 2. Implementing Agency

The EGF shall be operated by Small Farmers Agri Business Consortium (SFAC).

#### 3. Definitions

For the purposes of this Scheme:

- i. Bank means a Scheduled Commercial Bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934, Regional Rural Banks or any other Institution(s) as may be directed by the Board of SFAC or Ministry of Agriculture, Government of India(Gol) from time to time;
- ii. **Board** means any form of Governing Body of the FPC such as Board of Directors;
- Equity means the amount of share capital contributed by the Shareholder Members (farmer producers/ institutions of farmer producers) of FPC;
- iv. **EGF** means Equity Grant Fund created at SFAC, for providing Equity Grant to FPCs;
- (v) **Farmer** means any individual engaged in Agriculture and allied activities;
- vi. **Farmer Interest Group** means an informal group of farmers formed with the objective of improving farm and farming value added activities, working for mutual benefit of the group and governed by a common set of rules;
- vii. Farmer Producer Companies (FPC) means a company of Farmer Producer Members as defined in section IXA of the Indian Companies Act, 1956 (including any amendments thereto

or re-enactment thereof) and incorporated with the Registrar of Companies (RoC). Other categories of farmer producer organizations (such as cooperatives) may be considered for inclusion at a later stage.

- viii. **Joint Liability Group** means Joint Liability Group of farmer producer members as defined by NABARD
- ix. Self Help Group means Self Help Group of farmer producer members as defined by NABARD
- x. Shareholder is a shareholder member of FPC on the date of its application for Equity Grant under the EGCGFS

#### 4. Objectives of Equity Grant Fund

The Equity Grant Fund has been set up with the primary objectives of:

- Enhancing viability and sustainability of FPCs;
- ii. Increasing credit worthiness of FPCs;
- iii. Enhancing the shareholding of members to increase their ownership and participation in their FPC.

#### 5. Eligibility Criteria for FPCs

An FPC shall be eligible to apply for Equity Grant under the Scheme based on its fulfilling the following criteria:

- It is a duly registered FPC as defined in 3 (vii) above.
- ii. It has raised equity from its Members as laid down in its Articles of Association/ Bye laws.
- iii. The number of its Individual Shareholders is not lower than 50.
- iv. Its paid up equity does not exceed Rs.30 Lakh.

### योजना के रूप में जाना जाएगा

# किसान — उत्पादक कंपनियों के लिए शेयर पूंजी अनुदान एवं ऋण गारंटी निधि योजना (ई जी सी जी एफ एस)

# भाग कः शेयर पूंजी अनुदान निधि (ई जी एफ)

कार्यान्वयन की अवधि
 इसे वित्त वर्ष 2013-14 से लागू किया जाएगा।

### 2. कार्यान्वयन एजेंसी

शेयर पूंजी अनुदान निधि को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी) द्वारा संचालित किया जाएगा।

### 3. परिभाषाएं

इस योजना के प्रयोजनों के लिए:

- i. बैंक: इसका अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या किसी अन्य संस्था (संस्थाओं) से है, जैसा समय—समय पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के निदेशक मंडल या कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया जा सकता है:
- ii. बोर्ड: इसका अभिप्राय किसान उत्पादक कंपनी के षासी निकाय के किसी रूप से है, जैसे कि निदेशक मंडल
- iii. शेयर पूंजी: इसका अभिप्राय किसान— उत्पादक कंपनी के शेयर धारक सदस्यों (किसान उत्पादकों / किसान — उत्पादकों की संस्थाओं) द्वारा अंशदान की गई शेयर पूंजी की राशि से है;
- iv. ईजीएफ: इसका अभिप्राय किसान उत्पादक कंपनियों को शेयर पूंजी अनुदान प्रदान करने के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ में सृजित शेयर पूंजी अनुदान निधि से है:
- v. किसानः इसका अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में शामिल है;
- vi. किसान लाभ समूहः इसका अभिप्राय कृषि एवं कृषि मूल्य वर्धित गतिविधियों में सुधार के उद्देश्य से गठित किसानों के अनौपचारिक समूह से हैं, जो समूह के परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं तथा समान नियमों द्वारा अभिशासित होते हैं;
- vii. किसान उत्पादक कंपनी (एफ पी सी): इसका अभिप्राय भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 (इसमें कोई संशोधन या इसका पुनः अधिनियमन सहित) की धारा 9क में यथा परिभाषित तथा कंपनी रिजस्ट्रार (आर ओ सी) के यहां निगमित किसान — उत्पादक सदस्यों की कंपनी से है।

आगे चलकर किसान — उत्पादक संघों की अन्य श्रेणियों (जैसे कि सहकारी समितियों) को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है;

- viii. संयुक्त देयता समूहः इसका अभिप्राय नाबार्ड द्वारा यथा परिभाषित किसान — उत्पादक सदस्यों के संयुक्त देयता समृह से है;
- ix. स्वयं सहायता समूहः इसका अभिप्राय नाबार्ड द्वारा यथा परिभाषित किसान — उत्पादक सदस्यों के स्वयं सहायता समूह से है;
- x. शेयर धारकः यह ई जी सी जी एफ एस के अंतर्गत शेयर पूंजी अनुदान के लिए आवेदन की तारीख को किसान — उत्पादक कंपनी का एक शेयर धारक सदस्य होता है।

# 4. शेयर पूंजी अनुदान निधि के उद्देश्य

शेयर पूंजी अनुदान निधि का गठन निम्नलिखित प्राथिमक उद्देश्यों से किया गया है:

- किसान उत्पादक कंपनियों की व्यवहार्यता एवं संपोषणीयता में वृद्धि करना;
- ii. किसान उत्पादक कंपनियों की ऋण के लिए उपयुक्ता में बढोत्तरी करना;
- iii. सदस्यों की शेयर पूंजी में वृद्धि करना ताकि किसान उत्पादक कंपनी में सदस्यों के स्वामित्व एवं भागीदारी में वृद्धि हो सके;
- 5. किसान उत्पादक कंपनियों के लिए पात्रता के मापदंड कोई भी किसान — उत्पादक कंपनी निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने पर इस योजना के तहत शेयर पूंजी अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी:
- यह उपर्युक्त 3 (7) में दी गई पिरभाषा के अनुसार विधिवत रूप से पंजीकृत किसान — उत्पादक कंपनी है;
- ii. अपने संस्था के अंतर्नियमों / उप नियमों में प्रावधान के अनुसार इसने अपने सदस्यों से शेयर पूंजी जुटायी है;
- iii. इसके व्यक्तिगत शेयर धारकों की संख्या 50 से कम नहीं है;
- iv. इसकी संदत्त शेयर पूंजी 30 लाख रूपए से अधिक नहीं है;

- Minimum 33% of its shareholders are small, marginal and landless tenant farmers as defined by the Agriculture Census carried out periodically by the Ministry of Agriculture, Gol.
- vi. Maximum shareholding by any one member other than an institutional member is not more than 5% of total equity of the FPC.
- vii. Maximum shareholding of an institutional member is not more than 10% of total equity of the FPC.
- viii. It has a duly elected Board of Directors (BoD) with a minimum of five members, with adequate representation from member farmers and minimum one woman member.
- ix. It has a duly constituted Management Committee responsible for the business of the FPC.
- x. It has a business plan and budget for next 18 months that is based on a sustainable, revenue model as may be determined by the Implementing Agency.
- xi. The FPC has an Account with a "Bank".
- xii. It has a Statement of Accounts audited by a Chartered Accountant (CA) for at least one full financial year.

#### 6. Equity Grant Fund

The Equity Grant Fund enables eligible FPCs to receive a grant equivalent in amount to the equity contribution of their shareholder members in the FPC, thus enhancing the overall capital base of the FPC. The Scheme shall address nascent and emerging FPCs, which have paid up capital not exceeding Rs. 30 lakh as on the date of application. The Equity Grant shall be sanctioned to eligible FPCs as follows:

- Equity Grant shall be a cash infusion equivalent to the amount of shareholder equity in the FPC subject to a cap of Rs. 10 lakh per FPC.
- ii. Equity Grant sanctioned shall be directly transferred to the bank account of the FPC.
- iii. The FPC shall, within 45 days of the receipt of the Equity Grant, issue additional shares to its shareholder members, equivalent in value to the

amount of the Grant received by it, provided that the maximum grant per category of shareholder is as follows:

- a). Individual Shareholder Rs 1000.00
- b). Group of Individual Shareholders (e.g. SHG, Farmer Interest Group, Joint Liability Groups of Farmers) –Number of Members multiplied by Rs. 1,000.00, subject to a maximum of Rs. 20.000.00
- c). Institutional Shareholders (Farmer Producer Companies) Rs. 1, 00,000.00
- iv. The criteria for calculation of Equity Grant (rounded off to the Share Unit Value (subject to point (iii)) to each shareholder member of the FPC (as per authenticated copy of the Shareholders Register maintained by the Producers Company as per the applicable provisions of the relevant Act) is as follows:
  - a). Allocation of shares shall be on matching/ pro-rata basis of the shareholders' current shareholding, subject to the maximum specified above and ensuring that each shareholder member receives minimum one equity share.
  - b). If the Grant sanctioned to the FPC is not sufficient to ensure a minimum one share to all its shareholder members, allocation of grant shall be based on the shareholders' current landholding, starting with shareholder with the least land holding / the smallest producer in case of allied activities / or by transparent draw of lots where such identification is not possible.
- v. The FPC shall be allowed to draw the Equity Grant in a maximum of two tranches (within a period of 2 years of the first application) subject to the cap of Rs 10.00 lakh per FPC, provided and to the extent that it is able to raise additional Member Equity to qualify for an additional matching grant within the overall ceiling of Rs. 10.00 lakh. The request for the second tranche shall be treated as a fresh application and the full process of due diligence shall be repeated.
- vi. In the event that a shareholder, who receives additional shares issued by the FPC against Equity Grant sanctioned by the Implementing Agency, exits the FPC at any point after receiving the shares, the additional shares received by

- ए. इसके कम से कम 33 प्रतिशत शेयर धारक कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय—समय पर संचालित कृषि जनगणना की परिभाषा के अनुसार छोटे, सीमांत एवं भृमिहीन काश्तकार किसान हैं;
- vi. किसी संस्थानिक सदस्य से भिन्न किसी एक सदस्य द्वारा धारित शेयरों की अधिकतम संख्या किसान — उत्पादक कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है;
- vii. किसी संस्थानिक सदस्य द्वारा धारित शेयर की अधिकतम संख्या किसान — उत्पादक कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है;
- vii. इसका एक विधिवत रूप से चुना गया निदेशक मंडल (बी ओ डी) है जिसमें कम से कम 5 सदस्य हैं तथा सदस्य किसानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और इसमें कम से कम एक महिला सदस्य है;
- ix. इसकी एक विधिवत रूप से गठित प्रबंध समिति है जो किसान उत्पादक कंपनी के कारोबार के लिए जिम्मेदार है:
- अगले 18 महीनों के लिए इसकी एक कारोबार योजना एवं बजट है जो संपोषणीय राजस्व प्रतिमान पर आधारित है, जैसा कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निर्धारित हो सकता है;
- xi. किसी अनुसूचित बैंक में किसान उत्पादक कंपनी का खाता है;
- xii. इसका कम से कम एक पूर्ण वित्त वर्ष के लिए किसी सनदी लेखाकार (सी ए) द्वारा लेखा परीक्षित लेखा – विवरण है।

# 6. शेयर पूंजी अनुदान निधि

शेयर पूंजी अनुदान निधि पात्र किसान — उत्पादक कंपनियों को किसान — उत्पादक कंपनी में अपने शेयर धारक सदस्यों के शेयरपूंजी अंशदान के बराबर राशि में अनुदान प्राप्त करने में समर्थ बनाती है, और इस प्रकार किसान — उत्पादक कंपनी के समग्र पूंजी आधार में वृद्धि करती है।

यह योजना नई एवं उभरती किसान — उत्पादक कंपनियों की जरूरतों को पूरा करेगी, जिनकी संदत्त पूंजी आवेदन की तारीख को 30 लाख रूपए से अधिक नहीं है।

शेयर पूंजी अनुदान पात्र किसान — उत्पादक कंपनियों को निम्नानुसार स्वीकृत किया जाएगाः

- शेयरपूंजी अनुदान प्रत्येक किसान उत्पादक कंपनी के लिए 10 लाख रूपए की अधिकतम ऊपरी सीमा के अधीन नकद सहायता के रूप में होगा जिसकी राशिकिसान — उत्पादक कंपनी में शेयर धारकों की शेयर पूंजी की राशि के बराबर होगी।
- ii. स्वीकृत शेयर पूंजी अनुदान को किसान उत्पादक कंपनी के बैंक खाते में सीधे अंतरित किया जाएगा।
- iii. शेयरपूंजी अनुदान प्राप्त करने की तारीख से 45 दिन के अंदर किसान — उत्पादक कंपनी अपने शेयर धारक सदस्यों को अतिरिक्त शेयरजारी करेगी, जिसका मूल्य उसके द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि के समतुल्य होगा, परंतु प्रत्येक श्रेणी के शेयर धारक के लिए अधिकतम अनुदान निम्नानुसार है:

- (क) व्यक्तिगत शेयरधारक 1000 रूपए
- (ख) व्यक्तिगत शेयरधारकों का समूह (उदाहरण के लिए, स्वयं सहायता समूह, किसान लाभ समूह, किसानों के संयुक्त देयता समूह) — सदस्यों की संख्या **x** 1000 रूपए, जिसकी अधिकतम राशि 20,000 रूपए होगी
- (ग) संस्थानिक शेयरधारक (किसान उत्पादक कंपनी) 1,00,000 रूपए
- iv. संगत अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसरण में उत्पादक कंपनी द्वारा अनुरक्षित शेयर धारक रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार किसान — उत्पादक कंपनी के प्रत्येक शेयरधारक सदस्य को बिंदु संख्या (3) के अधीन शेयर पूंजी अनुदान की गणना के लिए मापदंड (पूर्णांकित शेयर यूनिट मूल्य) इस प्रकार है:
  - (क) शेयरोंका आबंटन शेयरधारकों की वर्तमान शेयर धारिता के समतुल्य / यथानुपात आधार पर होगा जो ऊपर बताई गई अधिकतम सीमा के अधीन होगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक शेयर धारक कम से कम एक शेयरपूं जी का शेयर प्राप्त करें।
  - (ख) यदि किसान उत्पादक कंपनी को स्वीकृत किया गया अनुदान उसके सभी शेयर धारक सदस्यों को कम से कम एक शेयर का सुनिच्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो अनुदान का आबंटन शेयरधारकों की वर्तमान शेयरधारिता के आधार पर किया जाएगा जिसकी शुरूआत संबद्ध गतिविधियों के मामले में सबसे कम कृषि जोत वाले शेयर धारक सबसे छोटे उत्पादक से होगी अथवा जहां इस प्रकार की पहचान संम्भव नहीं होगी, इसका आबंटन पारदर्शी रूप से लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
- v. किसान उत्पादक कंपनी को अनुमित होगी कि वे प्रत्येक किसान — उत्पादक कंपनी के लिए प्रदत्त 10 लाख रूपए की ऊपरी सीमा के अधीन प्रथम आवेदन के दो साल की अविध के अंदर अधिक से अधिक दो खेपों में शेयर पंजी अनुदान का आहरण कर सकते हैं, तथा उस समा के अधीन यह 10 लाख रूपए समग्र ऊपरी सीमा के अंदर अतिरिक्त समतुल्य अनुदान के लिए अर्हक होने के लिए अतिरिक्त सदस्य शेयर पूंजी जुटाने में समर्थ होती है। दूसरी खेप के अनुराध को नए आवेदन के रूप में माना जाएगा तथा समुचित सावधानी की समूची प्रक्रिया दोहरायी जाएगी।
- vi. ऐसी स्थिति में जब कोई शेयर धारक, जो कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वीकृत शेयरपूंजी अनुदान के विरूद्ध किसान — उत्पादक कंपनी द्वारा जारी अतिरिक्त शेयर प्राप्त करता है, शेयर प्राप्त करने के बाद किसी समय किसान — उत्पादक कंपनी छोड़ देता है, तो शेयर पूंजी अनुदान के बदले में उसके द्वारा प्राप्त अतिरिक्त शेयर तथा उसके नाम में धारित विद्यमान शेयर को उसके निकलने की तारीख से 90 दिन के अंदर खुले एवं पारदर्शी रूप में लाटरी के माध्यम से किसान —

him/her in lieu of the Equity Grant and standing in his/her name must be transferred to another shareholder or new shareholder within 90 days of his/her exiting the FPC, through an open and transparent draw of lots. In such cases, the original shareholder cannot receive the value of the additional shares transferred to other/new members.

- vii. SFAC shall have the right to recall the Equity Grant amount from the FPC ,which shall be legally liable to comply with the same in the case of:
  - a). Failure to issue additional shares to members against the Equity Grant received by the FPC within 45 days of its receipt, and
  - *b).* Closure/Dissolution of FPC within three years of the receipt of the Equity Grant.
  - c). Instances of misuse / misappropriation of the Equity Grant (viz. use of funds for activity other than mentioned in Memorandum of Association/Articles of Association/ Business plan of the FPC) of the Equity Grant

#### 7. Application for Equity Grant Fund

Eligible FPCs that meet the eligibility criteria detailed in Section 5, shall apply for the Equity Grant in the prescribed Application Form only (Annexure

- 1). Other mandatory documents required to be submitted along with the Application are listed below:
- Shareholder List and Share Capital contribution by each member verified and certified by a Chartered Accountant (CA) prior to submission.
- ii. Resolution of the FPC Board/Governing Council to seek Equity Grant for members.
- iii. Consent of shareholders, stating name of shareholder, gender, number of shares held, face value of shares, land holding, signifying consent for SFAC to directly transfer the equity Grant sanctioned to the FPC on their behalf, to FPC Bank account, against the consideration of additional shares of equivalent value to be issued to them by FPC and on exit- transfer of the shares as per rules.

- iv. Audited Financial Statements of FPC for a minimum 1 year /for all years of existence of the FPC if formed less than three years prior to application/ for the last 3 years for FPCs in existence for 3 years or more, verified and certified by a Chartered Accountant (CA) prior to submission.
- v. Photocopy of Bank Account Statement for last six months authenticated by the Branch Manager of the "Bank".
- vi. Business Plan of FPC and budget for next 18 months.
- vii. Names, photographs, and identity proof (any one from among ration card, Aadhaar card, election identification card, passport) of Representatives/ Directors authorised by the Board for executing and signing all documents under the Scheme.
- viii. Each page of the Application Form and accompanying documents shall be signed by a minimum of two Board Member /Authorised Representatives of the FPC.

#### 8. Institutional Due Diligence

The Implementing Agency shall undertake a due diligence process to establish the credibility, sustainability and viability of the FPC, before taking a decision on its application for Equity Grant. The Due diligence shall cover the following aspects:

- a). Governance;
- b). Business and Business Plan Viability;
- c). Management Capability;
- d). Financials.

Due diligence shall be conducted through Desk Appraisal on the basis of documents received and a Field Visit to the FPC and its Promoter Organisation if applicable.

#### 9. Sanction

i. An Equity Grant Sanction Committee (EGSC) with four members, the Managing Director SFAC as Chairman, two officers of the organisation nominated by MD, SFAC and an external sector expert, also nominated by MD, SFAC, shall be constituted for the purpose of evaluating

उत्पादक कंपनी के दूसरे शेयर धारक को या नए शेयर धारक को अवश्य अंतरित किया जाना चाहिए। इस तरह के मामलों में मूल शेयरधारक अन्य नए सदस्यों को अंतरित अतिरिक्त शेयरों का मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता हैं।

- vii. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को किसान उत्पादक कंपनी से शेयरपूंजी अनुदान की राशि वापस मांगने का अधिकार होगा, जो निम्नलिखित के मामले में कानूनी तौर पर अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी:
  - (क) किसान उत्पादक कंपनी द्वारा प्राप्त शेयर पूंजी अनुदान के विरुद्ध सदस्यों को इसकी प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के अंदर अतिरिक्त शेयर जारी करने में समर्थ न होना.
  - (ख) शेयरपूंजी अनुदान की प्राप्ति की तारीख से 3 साल के अंदर किसान — उत्पादक कंपनी का बंद होना भंग होना. और
  - (ग) शेयरपूंजी अनुदान के दुरूप्रयोग/शेयर पूंजी अनुदान के गलत प्रयोग के मामले (उदाहरण के लिए, किसान — उत्पादक कंपनी के संस्था के अंतर्नियम/संस्था के बहिर्नियम/कारोबार योजना में उल्लिखित गतिविध के भिन्न गतिविधि के लिए निधियों का प्रयोग करना)।

# 7. शेयरपूंजी अनुदान निधि के लिए आवेदन

खंड 5 में उल्लिखित पात्रता के मानदंडों को पूरा करने वाली पात्र किसान — उत्पादक कंपनियां केवल निर्धारित आवेदन पत्र (अनुबंध 1) में शेयर पूंजी अनुदान के लिए आवेवदन करेंगी। आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से जमा किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:

- शेयर धारक सूची तथा प्रत्येक सदस्य द्वारा शेयर पूंजी अंशदान जो प्रस्तुत किए जाने से पूर्व किसी सनदी लेखाकार (सी ए) द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित एवं प्रमाणित हो।
- सदस्यों के लिए शेयर पूंजी अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान — उत्पादक कंपनी के निदेशक मंडल/शासी परिषद का संकल्प।
- iii. किसान उत्पादक द्वारा उनको जारी किए जाने वाले समतुल्य मूल्य के अतिरिक्त शेयरों की गणना के विरूद्ध तथा निकल जाने की स्थिति में नियमानुसार शेयरों के अंतरण पर किसान उत्पादक कंपनी के बैंक खाते में अपनी ओर से किसान उत्पादक कंपनी को स्वीकृत शेयर पूंजी अनुदान के सीधे अंतरण के लिए लघु कृषक कृषि व्यापर संघ के लिए सहमति के प्रतिक के रूप में शेयरधारकों की सहमति जिसमें शेयरधारक का नाम, लिंग, उसके द्वारा धारित शेयर की संख्या, शेयरों का अंकित मूल्य, जोत आदि का उल्लेख हो।

- iv. यदि किसान उत्पादक कंपनी का गठन तीन साल से कम पहले किया गया है, तो कम से कम एक वर्ष के लिए और यदि यह तीन साल या अधिक अवधि के लिए अस्तित्व में है, तो अस्तित्व में होने के सभी वर्षों के लिए किसान उत्पादक कंपनी का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, जो आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व किसी सनदी लेखाकार (सी ए) द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित एवं प्रमाणित होना चाहिए।
- v. कम से कम 6 महीनों की बैंक खाता विवरण की छायाप्रित, जो बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
- vi. अगले 18 महीनों की किसान उत्पादक कंपनी की कारोबार योजना एवं बजट।
- vii. योजना के तहत सभी दस्तावेजों को तैयार करने एवं उन पर हस्ताक्षर करने के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों निदेशकों का नाम, छाया चित्र और पहचान का प्रमाण (राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र पासपोर्ट में से कोई भी)।
- viii. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर तथा इसके साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर किसान — उत्पादक कंपनी के कम से कम दो बोर्ड सदस्यों अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए।

# 8. संस्थानिक समुचित सावधानी

कर्यान्वयन एजेंसी शेयरपूंजी अनुदान के लिए किसान — उत्पादक कंपनी के आवेदन पर कोई निर्णय लेने से पूर्व किसान — उत्पादक कंपनी की विश्वसनीयता, धारणीयता एवं व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल होंगीः

- (क) अभिशासन
- (ख) कारोबार एवं कारोबार योजना की व्यवहार्यता
- (ग) प्रबंधन की सामर्थ्य
- (घ) वित्तीय सामर्थ्य

प्राप्त दस्तावेजों तथा किसान — उत्पादक कंपनी के दौरे के आधार पर और यदि लागू होगा, तो उसके प्रवर्तक संगठन के दौरे के आधार पर डेस्क मूल्यांकन के माध्यम से समुचित सावधानी का संचालन किया जाएगा।

# 9. स्वीकृति

i. इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने के प्रयोजन से एक शेयर पूंजी अनुदान स्वीकृति सिमिति (ई जी एस सी) का गठन किया जाएगा जिसमें 4 सदस्य होंगे। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होंगे तथा संगठन के दो अधिकारी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे तथा एक बाह्य क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, और इसे भी लघु कृषक applications received under this Scheme. The EGSC, meeting under the Chairmanship of MD, SFAC, shall have full authority to decide on the applications and its decision in this regard shall be final.

- ii. Sanction of Equity Grant by EGSC shall be conveyed to the FPC through a Sanction Letter issued within 7 working days of the decision of the EGSC, which shall include, inter alia, the following conditions:
  - a). On receipt of the sanctioned Equity Grant amount, the FPC shall allot additional shares to its shareholder members on the basis specified in the Scheme within the 45 day time-line.
  - b). The FPC shall communicate to SFAC the details of additional share certificates issued by it to members against the Equity Grant received.
  - c). SFAC shall be authorised to examine the accounts of the recipient and supporting documents at any time during the period of its Agreement with FPC. The recipient agrees to provide all relevant information or explanations that SFAC may reasonably request.
  - d). In support of the above commitments, the FPC shall enter into an Agreement with SFAC before the Equity Grant can be disbursed.
  - e). In case of any transgression or noncompliance by the FPC of the Terms and Conditions of the Agreement, SFAC shall recall the Equity Grant and the FPC shall be bound to comply with the same, failing which SFAC shall take recourse to legal action within the purview of the Scheme.

#### 10. Disbursement

- After accepting the terms of sanction, the FPC shall enter into Agreement with SFAC.
- ii. SFAC shall transfer sanctioned funds to the FPC Account.

#### 11. Compliance and Verification

The FPC shall submit the following documents to SFAC:

i. List of additional shares issued by it to its shareholder members under the Scheme, along

- with the respective Folio Numbers, verified and certified by a Chartered Accountant (CA), within 45 days of the funds having been received by it.
- ii. If the FPC does not honour its commitment in any manner whatsoever, either in the matter of issuing shares or in notifying SFAC within the specified time limit, the Equity Grant amount sanctioned and released by SFAC to the FPC is liable to be cancelled and recalled by SFAC, as detailed in the Agreement between SFAC and FPC.

#### 12. Arbitration

In the event of violation of any of the terms and conditions herein contained or contained in the rules or any of the instructions issued by SFAC from time to time or instances of misuse/misappropriation of the Equity Grant sanctioned and released to FPC by SFAC, SFAC shall have the right to demand and enforce forthwith repayment of the entire amount of Equity Grant sanctioned by SFAC.

The Agreement between SFAC and the FPC is governed and construed according to the laws of India. Controversies and claims arising out of/relating to this Agreement, or the breach thereof, shall be settled through Legal process or Arbitration at Delhi. However, before taking any legal action, the parties shall endeavour to mobilise all efforts and to enter into discussions in order to find a mutually acceptable settlement by direct negotiation.

कृषि व्यापार संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में शेयर पूंजी अनुदान स्वीकृति समिति की बैठक को आवेदनों पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इसके निर्णय इस संबंध में अंतिम होंगे।

- ii. शेयर पूंजी अनुदान स्वीकृति समिति के निर्णय की तारीख से 7 कार्य दिवस के अंदर जारी किए गए स्वीकृत पत्र के माध्यम से किसान — उत्पादक कंपनी को शेयर पूंजी अनुदान स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत शेयर पूंजी अनुदान के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शर्तें शामिल होंगी:
  - (क) शेयर पूंजी अनुदान की स्वीकृत राशि प्राप्त होने पर किसान — उत्पादक कंपनी 45 दिन की निर्धारित समय सीमा के अंदर योजना में निर्दिष्ट आधार पर अपने शेयर धारक सदस्यों को अतिरिक्त शेयरों का आबंटन करेगी।
  - (ख) किसान उत्पादक कंपनी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को प्राप्त शेयर पूंजी अनुदान के विरुद्ध सदस्यों को स्वयं द्वारा जारी अतिरिक्त शेयर प्रमाण पत्रों को ब्योरा भेजेगी।
  - (ग) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ किसान उत्पादक कंपनी के साथ अपने करार की अवधि के दौरान किसी। भी समय प्राप्तकर्ता के खातों तथा समर्थक दस्तावेजों की जांच करने के लिए अधिकृत होगा। प्राप्तकर्ता ऐसी सभी संगत सूचनाएं या स्पष्टीकरण प्रदान करने लिए सहमत है जिसके लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ तर्कसंगत रूप से अनुरोध कर सकता है।
  - (घ) उपयुक्त प्रतिबद्धताओं के समर्थन में, किसान उत्पादक कंपनी शेयर पूंजी अनुदान के वितरण से पूर्व लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के साथ करार करेगी।
  - (ड.) किसान उत्पादक कंपनी द्वारा करार की शर्तों एवं नियमों का अनुपालन न किए जाने या किसी अतिक्रमण की स्थिति में लघु कृषक कृषिव्यापार संघ शेयर पूंजी अनुदान वापस मांग लेगा तथा किसान — उत्पादक कंपनी इसका पालन करने के लिए बाध्य होगी तथा अनुपालन न होने पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ योजना के दायरे के अंदर कानूनी कार्रवाई का सहारा लेगा।

### 10. संवितरण

- स्वीकृति की शर्तों को स्वीकार करने के बाद, किसान उत्पादक कंपनी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के साथ करार करेगी।
- लघु कृषक कृषि व्यापार संघ किसान उत्पादक कंपनी के खाते में स्वीकृति निधियां अंतरित करेगा।

### 11. अनुपालन एवं सत्यापन

किसान – उत्पादक कंपनी लघु कृषक कृषिव्यापार संघ को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगीः

- i. निधि प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के अंदर योजना के तहत अपने शेयर धारक सदस्यों को जारी किए गए अतिरिक्तशेयरों की सूची तथा संबंधित अधपन्नाा संख्या जो किसी सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित एवं प्रमाणित होना चाहिए।
- ii. यदि किसान उत्पादक कंपनी किसी भी ढंग से शेयर जारी करने के मामले में या निर्धारित समय सीमा के अंदर लघु कृषक कृषिव्यापार संघ को सूचित करने के मामले में अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करती है, तो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं किसान उत्पादक कंपनी के बीच करार में उल्लेख के अनुसार किसान उत्पादक कंपनी को लघु कृषक कृषिव्यापार संघ द्वारा स्वीकृति एवं जारी की गई शेयरपूंजी अनुदान की राशि रद्द की जा सकती है तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा यह राशि वापस मंगायी जा सकती है।

#### 12. पंच फैसला

यहां उल्लिखित या समय — समय पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा किसी अनुदेश या नियमों में निहित शर्तों एवं नियमों में से किसी एक के उल्लंघन की स्थिति में अथवा किसान — उत्पादक कंपनी को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा स्वीकृत एवं जारी शेयरपूंजी अनुदान के दुरूपयोग या गलत प्रयोग के मामले में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को यह अधिकार होगा कि वह लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा स्वीकृत शेयरपूंजी अनुदान की समूची राशि की मांग कर सके और तत्काल प्रभाव से अदायगी लागू कर सके।

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और किसान — उत्पादक कंपनी के बीच करार भारत के कानूनों के अनुसार अभिशासित एवं निर्मित है। इस करार से उत्पन्न या इससे संबंधित विवादों एवं दावों अथवा इसके उल्लंघन का निपटारा दिल्ली में पंच फैसला या कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। तथापि, कोई कानूनी कार्रवाई करने से पूर्व पक्षकार सीधी वार्ता के माध्यम से कोई परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए बातचीत करने एवं सभी संभव उपयों का प्रयोग करने के लिए प्रयत्न करेंगे।

# PART B: CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

### 1. Period of Implementation

The CGF shall be implemented from Financial Year (FY) 2013-14 onwards.

#### 2. Implementing Agency

The CGF shall be operated by Small Farmers Agri Business Consortium (SFAC) through lending institutions.

#### 3. Definitions

- i. Amount in Default means the principal and interest amount outstanding in the account(s) of the Farmer Producer Company (FPC) Borrower in respect of term loan and working capital facilities (including interest), as on the date of the account becoming Non Performing Asset (NPA), or the date of lodging claim application/recall of advance, whichever is earlier or such of the date as may be specified by SFAC for preferring any claim against the guarantee cover, subject to a maximum of amount Guaranteed and shall not include penal interest, other charges and any other costs debited to the FPC by the Eligible Lending Institution (ELI);
- ii. Annual Service Fee means the annual fee payable to SFAC at a specified rate on the amount outstanding in the Bank's Books on the specified date;
- iii. Collateral security means the security provided in addition to the primary security, in connection with the credit facility extended by an Eligible Lending Institution to a borrower;
- iv. Credit Facility means any financial assistance(fund based and/or non-fund based) extended by an Eligible Lending Institution (ELI) to an Eligible Borrower without any Collateral Security or Third Party Guarantee;
- v. **Credit Guarantee Fund:** means the Credit Guarantee Fund for FPCs created by GOI with SFAC for the purpose of extending guarantee

- to the eligible lending institution(s) against their collateral free lending to eligible FPCs;
- vi. **Eligible Borrower:** means a new or existing FPC, meeting Eligibility Criteria laid down under the Scheme, seeking credit facility from Eligible Lending Institutions under the Scheme, without any Collateral Security or Third Party Guarantee;
- vii. Eligible Lending Institution (ELI): means a Scheduled Commercial Bank for the time being included in the second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934, and Regional Rural Banks, NCDC, NABARD and its subsidiaries, NEDFi, or any other institution (s) as may be decided by the SFAC Board or as directed by the Government of India from time to time;
- viii. Farmer Producer Company (FPC): means a Company of Farmer Producer Members as defined in section IXA of the Indian Companies Act, 1956 (including any amendments thereto or re-enactment thereof) and incorporated with the Registrar of Companies (RoC). Other categories of farmer producer organizations (such as cooperatives) may be considered for inclusion at a later stage.
- ix. **Guarantee Cover** means maximum cover available per eligible FPC borrower;
- x. **Guarantee Fee** means the onetime fee at a specified rate of the eligible Credit facility sanctioned by the ELI, payable by the ELI to SFAC;
- xi. **Non Performing Asset** means an asset classified as non-performing based on the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India, from time to time;
- xii. **Primary security** in respect of a credit facility means the assets created out of the credit facility so extended;
- xiii. **Tenure of Guarantee Cover** means the agreed tenure of the Term loan/ composite credit i.e. the maximum period of Guarantee Cover from the Guarantee start-up which shall run through

# भाग खः ऋण गारंटी निधि (सी जी एफ)

कार्यान्वयन की अवधि
 सी जी एफ को वित्त वर्ष 2013-14 से लागू किया जाएगा।

### 2. कार्यान्वयन एजेंसी

ऋण गारंटी निधि को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी) द्वारा ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

#### 3. परिभाषाएं

- i. चूक की राशिः इसका अभिप्राय सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी सुविधाओं (ब्याज सिहत) के संबंध में खाता के गैर निष्पादक परिसंपत्ति (एन पी ए) बनने की तारीख को या अग्रिम की वापसी / दावा के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख को जो भी पहले हो, या ऐसी किसी तारीख को जो गारंटी की रकम के विरूद्ध किसी दावे के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा पंसद करने के लिए निर्दिष्ट की गई हो, अधिकतम गारंटी राशि के अधीन किसान उत्पादक कंपनी (एफ पी ओ) ऋणग्राही के खाते (खातों) में बकाया मूलधन एवं व्याज की राशि से है तथा इसमें पात्र ऋणदाता संस्था (ई एल आई) द्वारा किसान—उत्पादक कंपनी से वसूला गया दांडिक ब्याज, अन्य प्रभार तथा कोई अन्य लागत शामिल नहीं है।
- ii. वार्षिक सेवा शुल्कः इसका अभिप्राय निर्दिष्ट तारीख को बैंक की बहियों में बकाया राशि पर निर्दिष्ट दर से लघु कृषक कृषिव्यापार संघ को देय वार्षिक शुल्क से है।
- iii. जमानत प्रतिभूतिः इसका अभिप्राया ऋणग्राही को पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधा के सिलसिले में प्राथमिक प्रतिभूति के अलावा प्रदान की गई प्रतिभूति से है।
- iv. ऋण सुविधाः इसका अभिप्राय किसी जमानत प्रतिभूति या तीसरे पक्षकार की गारंटी के बिना किसी पात्र ऋणग्राही को किसी पात्र ऋणदाता संस्था प्रदान की गई किसी वित्तीय सहायता (निधि आधारित और या गैर निधि आधारित) से है।
- v. ऋण गारंटी निधिः इसका अभिप्राय पात्र उत्पादक कंपनियों को ऋणदाता संस्थाा की जमानत मुक्त उधरी के विरूद्ध पात्र ऋणदाता संस्था (संस्थाओं) को गारंटी प्रदान करने के प्रयोजन से लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के साथ भारत सरकार द्वारा किसान — उत्पादक कंपनियों के लिए सृजित ऋण गारंटी निधि से है।
- vi. पात्र ऋणग्राहीः इसका अभिप्राय योजना के तहत निर्धारित पात्रता के मापदंडों को पूरा करने वाले नई या विद्यमान किसान — उत्पादक कंपनी से है, जो किसी जमानत

- प्रतिभूति या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना योजना के तहत पात्र ऋणदाता संस्थाओं के ऋण सुविधा प्राप्त करना चाहती है।
- vii. पात्र ऋणदाता संस्था (ई एल आई): इसका अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में उस समय शामिल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एन सी डी सी, नाबार्ड तथा इसकी सहायक संस्थाओं, एन ई डी एफ आई या किसी अन्य संस्था (संस्थाओं) से है जिसके बारे में निर्णय लघु कृषक कृषिव्यापार संघ के बोर्ड द्वारा लिया जा सकता है या जिसके बारे में निर्देश समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है।
- viii. किसान उत्पादक कंपनी (एफ पी सी): इसका अभिप्राय भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 (इसमें किसी संशोधन या इसका पुनः अधिनियमन सहित) की धारा 9क में यथा परिभाषित तथा कंपनी रजिस्ट्रार (आर. ओ. सी.) के यहां निगमित किसान — उत्पादक सदस्यों की कंपनी से है। आगे चलकर किसान — उत्पादक संघों की अन्य श्रेणियों (जैसे कि सहकारी समितियां) को भी शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
- ix. गारंटी की रकमः इसका अभिप्राय प्रत्येक पात्र ऋणग्राही किसान उत्पादक कंपनी के लिए उपलब्ध रकम की अधिकतम रकम से है।
- प्रारंटी शुल्कः इसका अभिप्राय पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा स्वीकृत पात्र ऋण सुविधा की निर्दिष्ट दर से एक बारगी शुल्क से है, जो पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा लघु कृषक कृषिव्यापार संघ को संदेय होगा।
- xi. गैर निष्पादक पिरसंपित्तः इसका अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय – समय पर जारी अनुदेशों एवं दिषानिर्देशों के आधार पर गैर निष्पादनकारी के रूप में वर्गीकृत किसी पिरसंपित्त से है।
- xii. प्राथमिक प्रतिभूतिः ऋण सुविधा के संबंध में इसका अभिप्राय इस प्रकार प्रदान की गई ऋण सुविधा से सृजित परिसंपत्तियों से है।
- xiii. गारंटी की रकम का कार्यकालः इसका अभिप्राय सावधि ऋण / संयुक्त ऋण के सहमत कार्यकाल अर्थात गारंटी की शुरूआत से लेकर गारंटी की रकम की अधिकतम अवधि से हैं, जो सावधि ऋण के सहमत कार्यकाल के दौरान जारी रहेगी और जहां केवल कार्यशील पूंजी की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और / या सावधि ऋण के साथ सतत कार्यशील पूंजी व्यवस्था मंजूर की जाती है, 5 वर्ष की अवधि या 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए और या ऋण कार्यशील पूंजी ऋण या अन्य सुविधाओं की समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हो या ऐसी कोई अवधि जो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

the agreed tenure of the term credit, and where working capital facilities alone are extended and/or continuing working capital arrangements granted along with the Term Loan, for a period of 5 years or block of 5 years and/or loan / working capital credit or other facilities' termination date, whichever is earlier or such period as may be specified by the SFAC;

- xiv. **Year** means Financial Year, beginning April 1 and ending March 31;
- xv. **Quarter / Quarterly** basis shall mean April 01 to June 30, July 01 to September 30, October 01 to December 31 and January 01 to March 31 wherever relevant.

#### 4. Objectives of the Credit Guarantee Fund

The Fund has been set up with the primary objective of providing a Credit Guarantee Cover to ELI to enable them to provide collateral free credit to FPCs by minimising their lending risks in respect of loans not exceeding Rs. 100.00 lakhs.

#### 5. Eligibility Criteria for FPC

An ELI can avail Credit Guarantee for the following FPC:

- i. It is a duly registered FPC as defined in Section3. Definition viii.
- ii. It has raised equity from its Members as laid down in its Articles of Association/ Bye laws.
- iii. The number of its individual shareholders shall not be lower than 500
- iv. Minimum 33% of its shareholders are small, marginal and landless tenant farmers
- v. Maximum shareholding by any one member other than an Institutional member is not more than 5% of total equity of the FPC.
- vi. It has a duly elected/nominated Board with a minimum of five Members and having adequate representation from farmers and minimum one woman member.
- vii. It has a duly elected Management Committee.

- viii. It has a business plan and budget for 18 months.
- ix. The Bank ELI has extended / sanctioned within six months of the date of application for the Guarantee or /in principle agreed in writing / has expressed willingness in writing to sanction Term Loan/ Working Capital/ Composite Credit Facility without any collateral security or third party guarantee including personal guarantee of Board Members.

# 6. Credit Facilities Eligible under CGF SFAC shall cover:

- i. Credit facilities (Fund based and/or Non fund based) already sanctioned / extended within six months from the date of the application for the Guarantee Cover or intended to be extended singly or jointly by one or more than one Eligible Lending Institution(s) to a single eligible FPC borrower by way of term loan and/or working capital/composite credit facilities without any collateral security and/or third party guarantees.
- ii. The ELI can extend credit without any limit; however, the Guarantee Cover shall be limited to the maximum guarantee cover specified under the Scheme. Provided that the Credit Facility is extended without any collateral security and/or third party guarantees.

#### 7. Non-Eligibility

The following credit facilities shall not be eligible for Guarantee Cover under the Scheme: -

- Any credit facility which has been sanctioned by the ELI against collateral security and/ or third party guarantee.
- ii. Any credit facility in respect of which risks are additionally covered under any scheme operated/administered by Reserve Bank of India/or by the Government/or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity.
- iii. Any credit facility, which does not conform to, or is in any way inconsistent with, the provisions

- xiv. वर्षः इसका अभिप्राय वित्त वर्ष से है जिसकी शुरूआत 1 अप्रैल से होती है तथा समाप्ति 31 मार्च को होती है।
- xv. तिमाही /तिमाही अधार पर: इसका अभिप्राय 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी से 31 मार्च, जो भी संगत हो, से है।

#### 4. ऋण गारंटी निधि के उद्देश्य

इस निधि का गठन पात्र ऋणदाता संस्थाओं को ऋण गारंटी रकम उपलब्ध कराने के प्राथमिक उद्देश्य से किया गया है तािक वे अधिक से अधिक 100 लाख रूपए के ऋण के संबंध में ऋण प्रदान करने के अपने जोिखमों को कम करते हुए किसान — उत्पादक कंपनियों को जमानत के बिना ऋण प्रदान करने में समर्थ हो सकें।

- 5. किसान उत्पादक कंपनियों के लिए पात्रता के मापदंड पात्र ऋणदाता संस्था निम्नलिखित किसान — उत्पादक कंपनियों के लिए ऋण गारंटी प्राप्त कर सकती है:
- i. यह उपयुक्त 3 (8) में दी गई परिभाषा के अनुसार विधिवत रूप से पंजीकृत किसान — उत्पादक कंपनी है;
- अपने संस्था के अंतर्नियम / उप नियमों में प्रावधान के अनुसार इसने अपने सदस्यों से शेयर पूंजी जुटायी है;
- iii. इसके व्यक्तिगत शेयर धारकों की संख्या 500 से कम नहीं
- iv. इसके कम से कम 33 प्रतिशत शेयर धारक छोटे, सीमांत एवं भूमिहीन काश्तकार किसान हैं;
- कसी संस्थानिक सदस्य से भिन्न किसी एक सदस्य द्व ारा धारित शेयरों की अधिकतम संख्या किसान — उत्पादक कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 5 प्रतिश से अधिक नहीं है;
- vi इसका एक विधिवत रूप से चुना गया / मनोनीत किया गया निदेशक मंडल है जिसमें कम से कम 5 सदस्य हैं तथा किसानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हैं और इसमें कम से कम एक महिला सदस्य हैं:
- vii इसकी विधिवत रूप से निर्वाचित एक प्रबंध समिति है:
- viii इसकी 18 महीनों के लिए एक कारोबार योजना एवं बजट है:
- ix बैंक पात्र ऋणदाता संस्था ने गारंटी के लिए आवेदन की तारीख से 6 महीने के अंदर जमानत प्रतिभूति या तीसरे पक्षकार की गारंटी जिसमें बोर्ड के सदस्यों की निजी गारंटी शामिल है, के बिना सावधि ऋण / कार्यशील पूंजी / संयुक्त ऋण सुविधा स्वीकृत करने के लिए लिखित में तत्परता व्यक्त की है स्वीकृत किया है / प्रदान किया है / सैद्धांतिक रूप से लिखित में सहमति व्यक्त की है

6. ऋण गारंटी निधि के अंतर्गत पात्र ऋण सुविधाएं

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ निम्नलिखित को शामिल करेगाः

- i. किसी जमानत प्रतिभूति और/या तीसरे पक्षकार की गारंटी के बिना सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी/ संयुक्त ऋण सुविधा के रूप में किसी एकल पात्र किसान उत्पादक कंपनी ऋणग्राही को एक या एक से अधिक पात्र ऋणदाता संस्था (संस्थाओं) द्वारा अकेले या संयुक्त रूप में गारंटी की रकम के लिए आवेदन की तारिख से 6 माह के अंदर पहले से ही स्वीकृत/प्रदान किए गए या प्रदान करने के लिए आशयित ऋण सुविधा (निधि आधारित और/या गैर निधि आधारित)।
- ii. पात्र ऋणदाता संस्था किसी सीमा के बिना ऋण प्रदान कर सकती है; तथापि, गारंटी की रकम इस योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट गारंटी की अधिकतम रकम तक सीमित होगी, परंतु ऋण की सुविधा किसी जमानत प्रतिभूति और / या तीसरे पक्षकार की गारंटी के बिना प्रदान करनी होगी।

#### 7. गैर पात्रता

निम्नलिखित ऋण सुविधाएं इस योजना के तहत गारंटी की रकम के लिए पात्र नहीं होंगीः

- कोई ऋण सुविधा जिसे पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा जमानत प्रतिभूति और / या तीसरे पक्षकार की गारंटी के विरूद्ध स्वीकृत किया गया है।
- ii. कोई ऋण सुविधा जिसके संबंध में जोखिमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और/या सरकार द्वारा और/या किसी सामान्य बीमाकर्ता या बीमा, गारंटी या क्षतिपूर्ति का कारोबार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ द्वारा प्रचालित/संचालित किसी योजना के तहत अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है।
- iii. कोई ऋण सुविधा जो किसी कानून के प्रावधानों या केंद्र सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निर्देश या हिदायत, जो उसक समय लागू है, के अनुरूप नहीं है अथवा उससे किसी रूप में असंगत है।
- iv. किसी ऐसे ऋणग्राही को मंजूर की गई कोई ऋण सुविधा, जिसने स्वयं इस योजना के तहत या ऊपर खंड 1,2 एवं 3 में उल्लिखित योजनाओं के तहत शामिल कोई अन्य ऋण सुविधा किसी भी समय प्राप्त की है।
- v. कोई ऋण सुविधा जिसको चुकता करने का समय बीत गया है / किसी अन्य ऋणदाता से पात्र वित्तीय संस्था द्वारा अधिग्रहीत एन पी ए या कोई अन्य चूक जिसे ऋण सुविधा में परिवर्तित किया गया है।

of any law, or with any directives or instructions issued by the Central Government or the Reserve Bank of India, which is, for the time being, in force.

- iv. Any credit facility granted to any borrower, who has himself availed of any other credit facility covered under this scheme or under the schemes mentioned in clause (i), (ii) and (iii) above at any point in time.
- Any credit facility that is overdue for repayment/ NPA taken over by the ELI from any other lender or any other default converted into a credit facility.
- vi. Any credit facility which is overdue for repayment.
- vii. Any credit facility which has been rescheduled or restructured on becoming overdue for repayment.

#### 8. Credit Guarantee Cover

- ELI shall be eligible to seek Guarantee Cover for a credit facility sanctioned in respect of a single FPC borrower for a maximum 2 times over a period of 5 years.
- Maximum Guarantee Cover shall be restricted to the extent of 85% of the eligible sanctioned credit facility, or to Rs. 85 Lakh, whichever is lower.
- iii. In case of default, claims shall be settled up to 85% of the amount in default subject to maximum cover as specified above.
- iv. Other charges such as penal interest, commitment charge, service charge, or any other levies/ expenses, or any costs whatsoever debited to the account of FPC by the ELI other than the contracted interest shall not qualify for Guarantee Cover.
- v. The Cover shall only be granted after the ELI enters into an agreement with SFAC, and shall be granted or delivered in accordance with the Terms

and Conditions decided upon by SFAC from time to time.

#### 9. Application for Guarantee Cover

The ELI shall be required to apply to SFAC for Guarantee Cover in the specified form only (Annexure 3) for credit proposals sanctioned by them during any quarter prior to expiry of the following quarter viz., application w.r.t. credit facility sanctioned in April–June Quarter must be submitted in the ensuing quarter, i.e. July-September to qualify for consideration under the Scheme.

#### 10. Sanction

#### SFAC shall

- Scrutinize the proposal before sanctioning the Guarantee Cover to the ELI under the Scheme in accordance with the Terms and Conditions of the Scheme.
- ii. Insofar as it may be considered necessary, for the purposes of the Scheme, inspect or call for copies of the Books of Account and other records (including any Book of Instructions or Manual or Circulars covering general instructions regarding Conduct of Advances) of the Lending Institution or of the Borrower from the Lending Institution.
- iii. Such Inspection shall be carried out either through the officers of SFAC or any other agency appointed by SFAC for the purpose of Inspection.
- iv. The Investment and Claims Settlement Committee (I&CSC) shall sanction the Guarantee Cover to the concerned Bank based on the findings of the above.
- v. The ELI shall enter into an Agreement with SFAC at the level of the Bank Branch Manager (Annexure 4).

#### 11. Guarantee Fees

i. The Fee payable to SFAC by the ELI for Guarantee Cover in respect of an Eligible Credit Facility granted by it to an FPC Borrower under the Scheme is a onetime Guarantee Fee calculated @ 0.85% of the sanctioned Credit Facility, subject to a maximum of Rs. 85,000/- (Rs. Eighty Five Thousand only).

- vi. कोई ऋण सुविधा जिसको चुकता करने का समय बीत गया है।
- vii. कोई ऋण सुविधा जिसको चुकता करने का समय बीत जाने पर पुनः अनुसूचित या पुनर्गठित किया गया है।

#### 8. ऋण गारंटी की रकम

- पात्र ऋणदाता संस्था 5 वर्ष की अविध में अधिकतम दो बार एकल किसान — उत्पादक कंपनी ऋणग्राही के संबंध में स्वीकृत ऋण सुविधा के लिए गारंटी की रकम प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।
- ii. गारंटी की अधिकतम रकम पात्र स्वीकृत ऋण सुविधा के 85 प्रतिशत या 85 लाख रूपए, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
- iii. चूक के मामले में, ऊपर निर्दिष्ट अधिकतम रकम के अधी चूक की राशि के 85 प्रतिशत तक दावे का निपटारा किया जाएगा।
- iv. संविदाकृत ब्याज के अलावा पात्र वित्तीय संस्था द्वारा किसान उत्पादक कंपनी के खाते से काटे गए अन्य प्रभार, जैसे कि दंडिक ब्याज, प्रतिबद्धता प्रभार, सेवा प्रभार, या कोई अन्य लेवी / व्यय, या कोई लागत गारंटी की रकम के लिए पात्र नहीं होगी।

पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के साथ करार करने के बाद ही गारंटी की रकम मंजूर की जाएगी तथा यह समय — समय पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा तय किए गए नियमों एवं शर्तों के अनुसार में मंजूर या प्रदान की जाएगी।

# 9. गारंटी की रकम के लिए आवेदन

किसी पात्र ऋणदाता संस्था से अगली तिमाही के समाप्त होने से पूर्व किसी तिमाही के दौरान स्वयं द्वारा स्वीकृत ऋण प्रस्ताव के लिए केवल निर्दिष्ट फार्म (अनुबंध 3) में गारंटी की रकम के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के पास आवेदन करने की अपेक्षा होगी अर्थात अप्रैल — जून की तिमाही में स्वीकृत ऋण सुविधा के संबंध में आवेदन योजना के तहत विचार के लिए पात्र होने के लिए अगली तिमाही अर्थात जुलाई — सितंबर में अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

# 10. स्वीकृति

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ निम्नलिखित कार्य करेगाः

 योजना के तहत पात्र ऋणदाता संस्था को गारंटी की रकम स्वीकृत करने से पूर्व योजना की शर्तों एवं नियमों के अनुसार में प्रस्ताव की बारीकी से जांच करना।

- ii. जहां तक आवश्यक समझा जा सकमा है, इस योजना के प्रयोजनों के लिए, ऋणदाता संस्था की या ऋणदाता संस्था से ऋणग्राही की लेखा बहियों तथा अन्य अभिलेखों (जिसमें अग्रिम के संचालन के संबंध में सामान्य अनुदेशों को शामिल करने वाली हिदायतों की कोई बही या नियम पुस्तिका या परिपत्र शामिल हैं) का निरीक्षण करना या उनकी प्रतिलिपियां मंगाना।
- iii. इस तरक का निरीक्षण या तो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के अधिकारियों के माध्यम से या फिर निरीक्षण के प्रयोजन के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा नियुक्त किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।
- iv. निवेश एवं दावा निपटारा समिति (आई एंड सी एस सी) उपयुक्त के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित बैंक को गारंटी की रकम स्वीकृत करेगी।
- पात्र ऋणदाता संस्था बैंक के शाखा प्रबंधक के स्तर पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के साथ एक करार करेगी (अनुबंध – 4)।

# 11. गारंटी शुल्क

- i. योजना के तहत किसी किसान उत्पादक कंपनी ऋणग्राही को पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा मंजूर किसी पात्र ऋण सुविधा, जो 85,000 रूपए (पिचासी हजार रूपए मात्र) की अधिकतम सीमा के अधीन होगी, के संबंध में गारंटी की रकम के लिय पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को देय शुल्क एक बारगी अदा किया जाने वाला गारंटी शुल्क है जिसकी गणना स्वीकृत ऋण सुविधा के 0.85 प्रतिशत की दर से की जाती है।
- ii. प्रत्येक ऋण खाते के लिए गारंटी प्राप्त करने वाली ऋणदाता संस्था द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को शुल्क का सीधे भुगतान किया जाएगा। शुल्क का भुगतान गारंटी की मंजूरी की तारीख से 30 दिन के अंदर या लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली किसी अवधि के अंदर करना होगा। ऐसा न होने पर गारंटी निरस्त की जा सकती है, जब तक कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा विशिष्ट रूप से इसकी सततता को अनुमोदित नहीं किया जाता है।
- iii. पात्र ऋणदाता संस्था से गारंटी शुल्क के स्वीकार होने की तारीख को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ सुनिश्चित करेगा किः
  - (क) किसान उत्पादक कंपनी ऋणग्राही पर ऋणदता संस्था को कोई बकाया अतिदेय नहीं हो गया है और / या पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा कोई अतिदेय / एन पी ए ऋण सुविधा नहीं ली गई है और / या यह कोई ऐसी ऋण सुविधा नहीं है जिसको अतिदेय होने पर पुनर्गठित या पुनः अनुसूचित किया गया है।

- ii. The Fee shall be paid upfront to SFAC by the Lending Institution availing of the Guarantee for each loan account. The payment is to be made within 30 days from date of approval of the Guarantee or such date as is specified by SFAC, failing which the Guarantee is liable to become void unless and until its continuance is specifically approved by SFAC.
- iii. As on the date of acceptance of Guarantee Fee from the ELI, SFAC shall ensure that:
  - a). Any dues of the FPC Borrower to the lending institution have not become overdue and/or is not an overdue/NPA credit facility taken over by the ELI and/or /is not a Credit Facility which has been rescheduled or restructured on becoming overdue
  - b). The business or activity of the borrower for which the Credit Facility was granted has not ceased
  - c). The credit facility has not been utilized, wholly or partly, for adjustment of any debts deemed bad or doubtful of recovery.

#### 12. Annual Service Fee

- i. In addition to onetime Guarantee Fee, an Annual Service Fee of 0.25% per annum or such other rate or limit as may be decided from time to time per loan account shall be charged from ELIs to keep the Guarantee of SFAC live.
- ii. The decision of passing on the incidence of Guarantee Fee and Annual Service Fee to the Borrower is left to the discretion of the ELI.
- iii. The Annual Service Fee shall be paid by ELI to SFAC by the 31 May each year. The fee for the last year shall be paid on pro rata basis for the period till the date of expiry of guarantee.
- iv. In the event of non-payment of Annual Service Fee by the due date, the Guarantee under the Scheme shall cease to be available to the ELI unless SFAC agrees for continuance of Guarantee and the ELI pays penal interest on the Annual Service Fee due at a rate of Interest of 1% higher than the Rate of Interest at which the Credit Facility has been sanctioned by the

- ELI to the Borrower or as specified by SFAC from time to time, for the period of delay. The Guarantee shall stand restored on receipt of such payment and shall be deemed to have been in continuance without break.
- v. Provided further that in the event of nonpayment of Annual Service Fee within the stipulated time or such extended time as may be requested for by the ELI and allowed on such terms that may be agreed to by SFAC, liability of SFAC to guarantee such credit facility shall lapse in respect of the credit facility against which the annual sample fee is due and not paid.
- vi. Provided further that, SFAC may consider renewal of Guarantee Cover for such credit facility upon such terms and conditions as it may decide.
- vii. In the event of any error or discrepancy being found in the computation of the amounts or in the calculation of the Guarantee Fee / Annual Service Fee, or any shortfall in payment by the ELI, if subsequently identified, such deficiency/ shortfall shall be paid by the Eligible Lending Institution to SFAC. Any amount found to have been paid in excess by the ELI to SFAC shall be refunded by SFAC. In the event of any representation made by the lending institution in this regard, SFAC shall take a decision based on the available information with it and the clarifications received from the lending institution, and its decision shall be final and binding on the lending institution.
- viii. The Guarantee Fee and/or Annual Service Fee once paid by the lending institution to SFAC are non-refundable except where Guarantee Cover for which Guarantee Fee is paid has not been approved.

# 13. Responsibilities of Lending Institutions under the Scheme

Prior to recommending proposals for the consideration of SFAC, the ELI shall:

 i. Appraise each loan proposal for selecting commercially viable projects. ELI's Appraisal

- (ख) ऋणग्राही के जिस कारोबार या गतिविधि के लिए ऋण की सुविधा मंजूर की गई थी वह बंद नहीं हुई है।
- (ग) किसी कर्ज, जिसे वसूली के लिए अशोध्य या संदिग्ध माना जाता है, कि समायोजन के लिए ऋण सुविधा का पूर्णतः या आशिंक रूप से प्रयोग नहीं किया गया है।

# 12. वार्षिक सेवा शुल्क

- i. पात्र ऋणदाता संस्थाओं से एक बारगी गारंटी शुल्क के अलावा 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से या समय—समय पर निर्धारित की जाने वाली दर या सीमा के अनुसार प्रत्येक ऋण खाते के लिए एक वार्षिक सेवा शुल्क लिया जाएगा ताकि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की गारंटी को जारी रखा जा सके।
- ऋणग्राही पर गारंटी शुल्क तथा वार्षिक सेवा शुल्क हस्तातरित करने की घटना पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी बैंक के विवेक पर छोड़ दी गई है।
- iii. पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान हर साल 31 मई तक यिका जाएगा। आखिरी साल के लिए शुल्क का भुगतान गारंटी की अवधि समाप्त होने की तारीख तक समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।
- iv. निर्धारित तिथि तक वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान न होने की स्थिति में योजना के तहत उपलब्ध गारंटी पात्र ऋणदाता संस्था के लिए उपलब्ध नहीं रह जाएगी, जब तक कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ गारंटी की सततता के लिए सहमत नहीं होता है और पात्र ऋणदाता संस्था ऋणग्राही को जिस दर से ऋण सुविधा स्वीकृत करती है उससे 1 प्रतिशत अधिक ब्याज दर से या समय – समय पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा निर्दिष्ट दर से विलंब की अविध के लिए पात्र ऋणदाता संस्था बकाया वार्षिक सेवा शुल्क पर दांडिक ब्याज का भुगतान नहीं करती है। इस तरह का भुगतान प्राप्त होने पर गारंटभ बहाल हो जाएगी तथा उसे रोके बिना सतत रूप से जारी समझा जाएगा।
- v. बशर्ते यह भी कि निर्धारित समय या पात्र ऋणदाता संस्था के अनुरोध पर तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा सहमतशर्तों पर बढ़ाई गई अवधि के अंदर वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान न किए जाने की स्थिति में ऐसी ऋण सुविधा के लिए गारंटी प्रदान करने की लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की जिम्मेदारी उस ऋण सुविधा के संबंध में समाप्त हो जाएगी जिसके विरुद्ध वार्षिक सेवा शुल्क बकाया है तथा भुगतान नहीं किया गया है।
- vi. बशर्ते यह भी कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ऐसी ऋण सुविधा के लिए गारंटी की रकम के नवीकरण पर ऐसी शर्तों एवं नियमों, जिनके बारे में यह निर्णय लिया जाए पर विचार कर सकता है।

- vii. धनराशियों की गणना में या गारंटी शुल्क / वार्षिक सेवा शुल्क की गणना में किसी त्रुटि या विसंगति में किसी कमी का पता लगने की स्थिति में अथवा पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा भुगतान में किसी कमी का बाद में पता चलने की स्थिति में पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को ऐसी विसंगति / कमी का भुगतान किया जाएगा। यदि पाया जाता है कि पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया गया है, तो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा उसे लौटाया जाएगा। इस संबंध में ऋणदाता संस्था द्वारा किसी अभ्यावेदन की स्थिति में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ अपने पास उपलब्ध सूचनाओं तथा ऋणदाता संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर निर्णय लेगा तथा इसका निर्णय अंतिम एवं ऋणदाता संस्था के लिए बाध्यकारी होगा।
- viii. ऋणदाता संस्था द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को भुगतान किया गया गारंटी शुल्क और / या वार्षिक सेवा शुल्क अप्रतिदेय होगा, केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां गारंटी की जिस रकम के लिए गारंटी शुल्क का भुगतान किया गया है वह अनुमोदित नहीं है।

# 13. योजना के अंतर्गत ऋणदाता संस्थाओं की जिम्मेदारियां

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के विचार के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करने से पूर्व पात्र ऋणदाता संस्था निम्नलिखित कार्य करेगीः

- i. वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य परियोजनाओं का चयन करने के लिए ऋण के प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन करना। योजना के तहत गारंटी की रकम के लिए आवेदन के साथ पात्र ऋणदाता संस्था की मूल्यांकन टिप्पणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- ii. पात्र ऋणदाता संस्था की अपेक्षाओं तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की शर्तों एवं नियमों के अनुसार में ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रक्रिया ए कानूनी कार्य एवं प्रलेखन का कार्य संपन्न करना।
- iii. ऐसे विवरण, सूचना, दस्तावेज, रसीद, प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना जिसकी जरूरत लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को इस योजना के तहत किसी ऋण सुविधा के सिलसिले में हो सकती है।
- iv. प्रमाणित करना कि / मानित किए गए के रूप में समझा जाना कि ऐसे दस्तावेजों, रसीदों, प्रमाण पत्रों एवं अन्य लिखित दस्तावेजों की विषय वस्तु सही हैं, परंतु किसी दावे को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और सदाशयता से किए गए किसी कार्य के लिए ऋणदाता संस्था या उसके किसी अधिकारी पर कोई देयता शामिल नहीं की जाएगी।
- प्र. ऋणग्राही के खाते की निगरानी करना तथा आवधिक निगरानी तथा पर्यवेक्षण पर शुरू की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, का अभिलेख रखना।

Note shall accompany the Application for Guarantee Cover under the Scheme.

- ii. Carry out processing, legal work and documentation for sanction of the loan in accordance with the requirements of the ELI and the terms and conditions of SFAC.
- iii. Furnish such statements, information, documents, receipts, certificates etc. as SFAC may require in connection with any credit facility under this Scheme.
- iv. Certify that /be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other written documents are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the lending institution or any officer thereof for anything done in good faith.
- v. Monitor the Borrower account and maintain records of periodical monitoring and actions initiated on observations, if any.
- vi. Safeguard the Primary Securities taken over by it, if any, from the Borrower in respect of the credit facility in good and enforceable condition.
- vii. Ensure that the Guarantee Claim in respect of the credit facility to the FPC Borrower is lodged with SFAC in the form and manner and within such time as may be specified by SFAC in this behalf. Further, there shall not be any delay on its part to notify SFAC of the default in the Borrower's Account, as a result of which delay, SFAC shall face higher Guarantee Claims.
- viii. The payment of Guarantee Claim by SFAC to the lending institution does not in any way absolve the lending institution of the responsibility of recovering the entire outstanding amount of the credit from the borrower. The lending institution shall exercise all necessary precaution and take recourse to all measures to recover from the borrower the entire amount of credit facility that is owed to it by the borrower and safeguarding the interest of SFAC as it shall exercise in the normal course if no guarantee had been furnished by SFAC.

- ix. The lending institution shall be bound to comply with such directions as SFAC may deem fit to issue from time to time, for facilitating recoveries of the guaranteed account, or safeguarding its interest as a guarantor.
- x. The lending institution shall, in particular, refrain from any act either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of SFAC as the guarantor.
- xi. The lending institution shall be bound under the Scheme to intimate in advance to SFAC its intention to enter into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of primary security.
- xii. The lending institution shall also ensure through an Agreement with the Borrower that the borrower shall not create any charge on the assets held as primary security for the credit facilities covered by the Guarantee with itself, or in favour of any other creditor(s) without seeking prior permission of SFAC.
- xiii. Further, the lending institution shall secure for SFAC or its appointed agency, through a stipulation in an Agreement with the Borrower or otherwise, the right to list the defaulted Borrowers' names and particulars on the Website of SFAC.

#### 14. SFAC Monitoring

- The ELI shall undertake regular desk and /or field monitoring of the borrowing FPOs.
- ii. SFAC shall be authorised to call for any reports of such monitoring, if it deems fit.

#### 15. Governance

- The CGF shall have a two tier Governance Structure with the Board of the SFAC as the final authority in all policy and strategic decision making.
- ii. The Board shall delegate executive decision making to an Investment and Claims Settlement Committee (I&CSC) of five Members, set up for this purpose.

- vi. ऋण सुविधा के संबंध में ऋणग्राही से ली गई प्राथमिक प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, को अच्छी एवं प्रवर्तनीय हालत में सुरक्षित रखना।
- vii. सुनिश्चित करना कि किसान उत्पादक कंपनी ऋणग्राही को प्रदान की गई ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी का दावा इस संबंध में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में एवं ढंग से तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के पास दाखिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऋणग्राही के खाते में चूक के बारे में ऋणदाता संस्था की ओर से लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को सूचित करने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को अधिक मात्रा में गारंटी के दावों का सामना करना पड़ेगा।
- viii. ऋणदाता संस्था को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा गारंटी के दावे का भुगतान किसी रूप में ऋणदाता संस्था को ऋणग्राही से ऋण की संपूर्ण बकाया राशि की वसूली करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। ऋणदाता संस्था सभी आवश्यक एहतियात बरतेगी तथा ऋण सुविधा की समूची राशि को ऋणग्राही से वसूलने के लिए सभी उपायों का सहारा लेगी, जिसे उसने ऋणग्राही को उधार दिया है तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के हित की उसी तरह रक्षा करेगी जैसे यह सामान्य स्थिति में करती, यदि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा कोई गारंटी उपलब्ध न कराई गई होती।
- ix. ऋणदाता संस्था गारंटीकृत राशि की वसूली में सहायता प्रदान करने के लिए या गारंटर के रूप में इसके हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे अनुदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी जिसे लघु कृषक कृषि व्यापार संघ समय — समय पर जारी करने के लिए उपयुक्त समझ सकता है।
- x. ऋणदाता संस्था विशेष रूप से गारंटी के लागू से पूर्व या इसके बाद ऐसे किसी कार्य से बचेगी, जिससे गारंटर के रूप में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।
- xi. ऋणदाता संस्था योजना के तहत कोई ऐसा समझौता या व्यवस्था करने के अपने इरादे के बारे में अग्रिम में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को सूचित करने के लिए बाध्य होगी, जिसका प्राथमिक प्रतिभूति की रिहायी या छूट का प्रभाव हो सकता है।
- xii. ऋणदाता संस्था ऋणग्राही के साथ करार के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करेगी कि ऋणग्राही लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की पूर्वानुमित प्राप्त किए बगैर अपने पास गारंटी द्वारा शामिल ऋण सुविधाओं के लिए प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में धारित परिसंपत्तियों पर या किसी अन्य ऋणदाता (ऋणदाताओं) के पक्ष में किसी प्रभार का सृजन नहीं करेगा।

xiii. इसके अलावा ऋणदाता संस्था ऋणग्राही के साथ करार में निबंधन के माध्यम से या अन्यथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ या इसके द्वारा नियुक्त एजेंसी के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की वेबसाइट पर चूककर्ता ऋणग्राहियों के नामों की सूची तथा ब्यौरे को डालने का अधिकार प्राप्त करेगी।

### 14. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की निगरानी

- पात्र ऋणदाता संस्था उधार लेने वाले किसान उत्पादक संघों की नियमित रूप से डेस्क और / या क्षेत्र निगरानी करेगी।
- ii. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ऐसी निगरानी की कोई रिपोर्ट मंगाने के लिए अधिकृत होगा, यदि यह उपयुक्त समझता है।

#### 15. अभिशासन

- ऋण गारंटी निधि में दो टीयर वाली अभिशासन संरचना होगी तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का निदेशक मंडल सभी नीतिगत एवं कार्यनीतिक निर्णय लेने के मामले में अंतिम प्राधिकरण होगा।
- निदेशक मंडल इस प्रयोजन के लिए गठित 5 सदस्यों वाली निवेश एवं दावा निपटारा समिति (आई एंड सी एस सी) को कार्यपालक निर्णय लेने का अधिकार सौंपेगा।
- iii. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के प्रबंध निदेशक निवेश एवं दावा निपटारा समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तीन बैंकों के प्रतिनिधि तथा निदेशक मंडल द्वारा नामित एक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में होंगे।
- iv. निवेश एवं दावा निपटारासमिति के पास निधि एवं इसके प्रशासन के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा सौंपे गए सभी मामलों में निर्णय लेने, जोखिम एक्सपोजर के लिए मानक निर्धारित करने, निधि की वित्तीय संरचना तैयार करने तथा लाभ के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए विवेकाधिकार होगा, जिसमें वसूली के अच्छे रिकार्ड वाली किसान उत्पादक कंपनी को विशेष तरजीह देना शामिल है।
- v. निधि के समग्र विकास के लिए निवेश एवं दावा निपटारा समिति नीतिगत मुद्दों एवं कार्यनीति पर विचार — विमर्श करेगी तथा अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
- vi. निवेश एवं दावा निपटारा समिति निधि एवं योजना के संबंध में लिए गए सभी प्रमुख निर्णयों तथा की गई कार्रवाइयों के बारे में निदेशक मंडल को नियमित रूप से सूचित करेगी तथा निधि एवं योजना के संबंध में निदेशक मंडल के समग्र नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में काम करेगी।

- iii. The MD, SFAC shall be the Chairman of I&CSC, which shall have representatives of 3 "Bank"s as approved by the Board and Expert Member nominated by the Board.
- iv. The I&CSC shall have discretion to take decisions in all matters as delegated by the Board concerning the Fund and its administration, set standards for risk exposure, design the financial structure of the Fund and profit targets, including special consideration for FPC with good track record of recovery.
- v. The I & CSC shall deliberate upon Policy Issues and Strategy for overall development of the Fund and make recommendations to the Board for its approval.
- vi. The I & CSC shall regularly keep the Board informed about all major decisions and actions taken by it in regard to, and shall work under its overall control and guidance with regard to, the Fund and the Scheme.
- vii. Decisions regarding Guarantee Pay-Outs shall be the primary responsibility of I&CSC which shall meet at least once every quarter or as often as necessary.

#### 16. Invocation of Guarantee

The ELI may invoke the Guarantee in respect of Credit Facility within a maximum period of one year from the date of NPA, if the following conditions are satisfied:

- i. The Claim is forwarded to SFAC through the Zonal Office / authorised office/ person of the ELLas communicated to SFAC.
- ii. The Guarantee in respect of the concerned Credit Facility is in force at the time of account turning NPA.
- iii. The amount due and payable to the ELI in respect of the Credit Facility has not been paid by the Borrower and the dues have been classified by the lending institution as NPA.

#### iv. The Guarantee shall be effective

a). If the SFAC and ELI are convinced that the FPC

- has suffered genuine business losses, which may include crop/asset losses by the members, and the gravity and impact of such losses is assessed jointly or by independent assessment or by the ELI as may be mutually agreed between SFAC and ELI on a case by case basis, and the FPC is not in a position to repay dues under any circumstances including restructuring/rephasing/rescheduling the loan.
- b). For such amounts as may be written off or interest waived from the credit facility by the ELI with intimation to SFAC as a result of the business failure of the FPC in all other cases
- c). Only when proceedings for recovery have been initiated by the ELI. The responsibility of recovery of the dues, including takeover of assets, sale of assets etc. shall rest with the FLI

#### 17. Claim Settlement

- i. Only such Claim as is submitted by the ELI within a maximum period of one year from date of NPA or as specified by SFAC from time to time, shall be considered by SFAC.
- ii. On receiving a claim, the I&CSC shall review in detail the reasons for the Default. The Committee reserves the right to reject any proposal where the Guidelines have not been strictly followed or if any misrepresentation or concealment of facts is found leading to undue favour to the concerned FPC.
- iii. SFAC shall honour 75 per cent of the Guaranteed Amount in Default subject to a maximum of 75 per cent of the guaranteed cap amount, on submission of claim by the ELI where appropriate action for recovery has been initiated. The balance 25 per cent of the default or guaranteed cap amount, as the case may be, shall be paid on conclusion of recovery proceedings by ELI.
- iv. SFAC shall pay claims found in order and complete in all respects, within 90 days.
- v. The outstanding dues of the FPC to ELI shall be reduced to the extent of the claim amount settled by SFAC.

vii. गारंटी के भुगतान के संबंध में निर्णय की प्राथमिक जिम्मेदारी निवेश एवं दावा निपटारा समिति की होगी, जिसकी बैठक हर तिमाही में कम से कम एक बार या आवश्यकता के अनुसार अधिक बार होगी।

# 16. गारंटी लागू करना

पात्र ऋणदाता संस्था एन पी ए की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अविध के अंदर ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी लागू कर सकती है, यदि निम्नलिखित शर्तें प्री होती हैं:

- i. दावा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को आंचलिक कार्यालय / अधिकृत कार्यालय / लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को यथा सूचित पात्र ऋणदाता संस्था के व्यक्ति के माध्यम से अग्रेषित किया जाता है।
- ii. संबंधित ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी खाते के एन पी ए में परिवर्तित होने के समय से लागू होती है।
- iii. ऋण सुविधा के संबंध में पात्र ऋणदाता संस्था को देय एवं बकाया राशि का भुगतान ऋणग्राही द्वारा नहीं किया गया है तथा बकाया राशि को ऋणदाता संस्था द्वारा एन पी ए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

#### iv. गारंटी प्रभावी होगी -

- (क) यदि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं पात्र ऋणदाता संस्था को इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि किसान— उत्पादक कंपनी को सही मायने में कारोबार में घाटा हुआ है, जिसमें सदस्यों द्वारा फसल / परिसंपत्ति का नुकसान शामिल है, तथा ऐसे घाटे की गंभीरता एवं प्रभाव का मूल्यांकन मामला दर मामला आधार पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं पात्र ऋणदाता संस्था के बीच परस्पर सहमत ढंग से स्वतंत्र मूल्यांकन द्वारा या पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा या संयुक्त रूप से किया जाता है, तथा किसान उत्पादक कंपनी किसी भी परिस्थिति में बकाया को चुकता करने की स्थिति में नहीं है जिसमें ऋण का पुनर्गटन / पुनः चरणबद्धता / पुनः अनुसूचीकरण शामिल है।
- (ख) ऐसी राशियों के लिए जिन्हें बट्टे खाते में डाला जा सकता है या सभी अन्य मामलों में जिसमें किसान — उत्पादक कंपनी के कारोबार के असफल हो जाने के कारण लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को सूचित करते हुए पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा ऋण सुविधा से माफ किए गए ब्याज के लिए।
- (ग) केवल तभी जब वसूली के लिए कार्यवाही पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा शुरू की गई है। बकाया की वसूली की जिम्मेदारी पात्र ऋणदाता संस्था की होगी, जिसमें परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, परिसंपत्तियों की बिक्री आदि शामिल हैं।

#### 17. दावे का निपटारा

- i. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा केवल ऐसे दावे पर विचार किया जाएगा जिसे एन पी ए की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अविध के अंदर या लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा समय – समय पर निर्दिष्ट अविध के अंदर पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- ii. कोई दावा प्राप्त होने पर निवेश एवं दावा निपटारा समिति चूक के कारणों की विस्तार से समीक्षा करेगी। समिति किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जहां दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है अथवा यदि ऐसा पाया जाता है कि संबंधित किसान — उत्पादक कंपनी को अनुचित अनुग्रह प्रदान करने के लिए कोई गलत बयान किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है।
- iii. पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा दावा प्रस्तुत किए जाने पर, जहां वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है वहां लघु कृषक कृषि व्यापार संघ अधिकतम गारंटीकृत राशि के अधिक से अधिक 75 प्रतिशत के अधीन गारंटीकृत चूक राशि के 75 प्रतिशत का भुगतान करेगा। यथा स्थिति चूक या गारंटीकृत अधिकतम राशि के शेष 25 प्रतिशत का भुगतान पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा वसूली की कार्रवाई समाप्त होने पर किया जाएगा।
- iv. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ 90 दिन के अंदर ऐसे दावे का भुगतान करेगा जो हर दृष्टि से सही एवं पूर्ण पाए जाएंगे।
- vi. पात्र ऋणदाता संस्था गारंटी के निपटारे के बाद भी चूककर्ता किसान—उत्पादक कंपनी से शेष बकाया राशि की वसूली के लिए प्रयास करना जारी रखेगी।
- vii. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को गारंटी की राशि केनिपटारे के बाद भी पात्र ऋणदाता संस्था से किसी राशि का दावा करने का अधिकार है, जिसे पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा चूककर्ता किसान —उत्पादक कंपनी से वसूला जाता है।
- viii. किसान उत्पादक कंपनी से पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा वसूल की गई किसी राशि को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं पात्र ऋणदाता संस्था के बीच 85:15 प्रतिशत के अनुपात में बांटा जाएगा। ऐसा भुगतान तब किया जाएगा जब ऐसी कोई राशि वसूल की जाती है तथा इस पर यह छूट लागू होगी कि 1 लाख रूपए से कम राशि के किसी भुगतान को तिमाही आधार पर या तिमाही की आखिरी तारीख से पहले किया जा सकता है।

- vi. The ELI shall continue to make efforts to realise the balance amount due from the defaulting FPC even after settlement of the Guarantee.
- vii. SFAC has the right to claim from the ELI any amount that is realised by the ELI from the defaulting FPC even after settlement of the guarantee amount.
- viii. Any amount realized by the ELI from the FPC shall be shared in the ratio of 85%:15% between SFAC & ELI. Such payment shall be made as and when any such amount is realised subject to the relaxation that any payments below the sum of Rs.1 Lakh may be made on a quarterly basis on or before the last day of the quarter.
- ix. Once the Claim is paid, SFAC shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the Guarantee in force in respect of the Credit Facility concerned.
- released by SFAC together with the penal interest at a rate which shall be 1% higher than the rate of interest at which the Credit Facility was sanctioned by it, for the period for which the Claim has been released, if recalled by SFAC for any reason whatsoever. Erroneous/duplicate payment of claim by SFAC shall not be construed as recall. However, any duplicate claim by the ELI and the settlement there against by SFAC shall be recalled and SFAC reserves the right to recall the entire payment released to the ELI against the Credit Facility under reference.

# 18. Subrogation of Rights and Recoveries On Account Of Claims Paid

- Details of efforts for recovery, realization and such other information as may be demanded by SFAC from time to time shall be furnished to SFAC by the ELI.
- ii. On its own behalf and on behalf of SFAC, the lending institution shall hold lien on assets created out of the Credit Facility extended by the ELI to the Borrower.

- iii. The responsibility for the recovery of dues including takeover of assets, sale of assets, etc., shall rest with the lending institution.
- iv. Payments made by a borrower towards any one or more of several distinct and separate debts owed to the lending institution, shall be deemed to have been appropriated by the lending institution to the debt covered by the guarantee and in respect of which a claim has been preferred and paid, irrespective of the manner of appropriation indicated by such borrower or the manner in which such payments are actually appropriated.

#### 19. Residual Recovery

SFAC shall have the first claim to Appropriation of the Amount realized by the ELI before making the final settlement of the claim in the ratio of 85:15.

# 20. Termination of SFAC's Liability in Certain Cases

- The Guarantee in respect of the Credit Facility extended by an ELI to an FPC under the Scheme shall be deemed to be terminated, if the liabilities of a borrower to the lending institution on account of any eligible Credit Facility guaranteed under this Scheme are transferred or assigned to any other borrower without the consent of SFAC which shall be sought by the ELI or the Borrower in writing stating the reasons for the transfer/assignment and if the conditions as to the eligibility of the borrower and the amount of the facility and any other terms and conditions, if any, subject to which the credit facility can be guaranteed under the Scheme are not satisfied after the said transfer or assignment, from the date of the said transfer or assignment.
- ii. The liability of SFAC in respect of any Credit Facilities granted to a Borrower by a lending institution under the Scheme shall be limited to the liability of the Borrower to the lending institution as on the date on which the Borrower becomes ineligible for being granted any Credit Facilities under the Scheme, by reason of cessation of his activity or his activity / his undertaking ceasing to come within the definition of a FPC

- ix. दावे का भुगतान हो जाने पर यह समझा जाएगा कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ संबंधित ऋण सुविधा के संबंध में प्रभावी गारंटी के कारण अपनी सभी देयताओं से मुक्त हो गया है।
- पात्र ऋणदाता संस्था उस अविध जिसके लिए दावा निर्मुक्त किया गया है, के लिए जिस दर से पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी उससे 1 प्रतिशत अधिक दांडिक ब्याज की दर के साथ लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा निर्मुक्त दावे को लौटाने के लिए जिम्मेदार होगी, यदि किसी भी कारण से लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा मांगा जाता है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा मांगा जाता है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा दावे के त्रुटिपूर्ण / दोहरे भुगतान को वापसी के रूप में नहीं समझा जाएगा। तथापि पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा किसी दोहरे दावे तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा उसके विरूद्ध निपटारा को वापस लिया जाएगा तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ संदर्भ के अधीन ऋण सुविधा के विरूद्ध पात्र ऋणदाता संस्था को जारी किए गए समूचे भुगतान को वापस मंगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

# 18. प्रदत्त दावों के कारण प्रतिस्थापन अधिकार एवं वसूलियां

- i. पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को वसूली, बरामदगी के लिए प्रयासों का ब्यौरा तथा ऐसी अन्य सूचनाएं भेजी जाएंगी जिसकी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा समय – समय पर मांग की जा सकती है।
- ii. अपनी ओर से तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की ओर से ऋणदाता संस्था ऋणग्राही को पात्र ऋणदाता संस्था द्व ारा प्रदान की गई ऋण सुविधा से सृजित परिसंपत्तियों पर ग्रहणाधिकार बनाए रखेगी।
- iii. परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, परिसंपत्तियों की बिक्री आदि समेत बकाया राशि को वसूलने की जिम्मेदारी ऋणदाता संस्था की होगी।
- iv. ऋणदाता संस्था से लिए गए अनेक भिन्न—भिन्न एवं अलग ऋणों में से किसी एक या एक से अधिक के लिए किसी ऋणग्राही द्वारा किए गए भुगतान को ऋणदाता संस्था द्वारा उस ऋण में विनियोजित के रूप में माना जाएगा जिसे गारंटी के तहत शामिल किया गया है तथा जिसके संबंध में दावा किया गया है तथा भुगतान किया गया है, इस बात के कोई मायने नहीं होते कि ऐसे ऋणग्राही द्वारा विनियोजन के किस ढंग का उल्लेख किया है या किस ढंग से ऐसे भुगतानों का वास्तव में विनियोजन किया जाता है।

### 19. अवशिष्ट वसूली

85:15 के अनुपात में दावे का अंतिम निपटारा करने से पूर्व पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा वसूली गई राशि के विनियोजन पर पहला दावा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का होगा।

# 20. कतिपय मामलों में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की देयता की समाप्ति

- योजना के तहत किसी किसान— उत्पादक कंपनी को पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी को समाप्त समझा जाएगा, यदि इस योजना के तहत गारंटीकृत किसी पात्र ऋण सुविधा के कारण ऋणदाता संस्था के प्रति किसी ऋणग्राही की देयताएं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की सहमति, जो लिखित में पात्र ऋणदाता संस्था या ऋणग्राही द्वारा मांगी जाएगी जिसमें अंतरण / आबंटन के कारणों का विस्तार से उल्लेख होगा, के बिना किसी अन्य ऋणग्राही को अंतरित या आबंटित की जाती हैं, और यदि ऋणग्राही की पात्रता तथा ऋण सुविधा की राशि आदि जैसी शर्तें तथा कोई अन्य शर्त एवं नियम, यदि कोई हो, जिसके अधीन इस योजना के तहत ऋण सुविधा गारंटीकृत की जा सकती है, उक्त अंतरण या आबंटन की तारीख से उक्त अंतरण या आबंटन के बाद पूरी नहीं होती हैं।
- ii. योजना के तहत किसी ऋणदाता संस्था द्वारा किसी ऋणग्राही को मंजूर की गई किसी ऋण सुविधा के संबंध में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की देयता उस तारीख को जिसको ऋणग्राही योजना के तहत कोई ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधि / अपने उपक्रम के बंद हो जाने / किसान —उत्पादक कंपनी की यूनिट की परिभाषा के अंदर आना बंद हो जाने के कारण अपात्र बनता है, ऋणदाता संस्था के प्रति ऋणग्राही की देयता तक सीमित होगी। तथापि, यह इस योजना के तहत निर्धारित लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की देयता पर सीमा के अधीन होगा।

#### 21. सामान्य

- योजना की शर्तें एवं नियम ऋणदाता संस्थाओं पर बाध्यकारी होंगे।
- ii. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा प्रदान की गई कोई गारंटी योजना के प्रावधानों द्वारा इस तरह सीमित एवं अभिशासित होगी मानो कि इन्हें ऐसी गारंटी के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों में लिखा गया हो।
- iii. किसी पात्र ऋणदाता संस्था जो किसी किसान —उत्पादक कंपनी — ऋणग्राही को पात्र ऋण सुविधा के लिए गारंटी

unit, subject, however, to the limits on the liability of SFAC fixed under this Scheme.

#### 21. General

- i. The terms & conditions of the scheme shall be binding on the lending institutions.
- ii. Any Guarantee given by SFAC shall be circumscribed by & governed by the provisions of the Scheme as if the same had been written in the documents evidencing such Guarantee.
- iii. An ELI that seeks and is granted Guarantee Cover for an eligible Credit Facility to an FPC Borrower under the Scheme shall be deemed to have understood and accepted the T&C of the Scheme as being legally binding on itself.
- iv. The ELI shall as far as possible ensure that the conditions of any contract relating to an account guaranteed under the Scheme are not in conflict with the provisions of the Scheme.
- v. Notwithstanding any provision in any other document or contract entered into by the li, the provisions / conditions of the scheme shall override all such other provisions as if this conditionally had been written in the relevant document/contract and shall in relation to sfac be bound by the conditions imposed under the scheme.

#### 22. Modifications and Exemptions

- i. SFAC reserves the right to modify, cancel or replace the scheme in any manner whatsoever that it deems necessary, however so ensuring that the rights or obligations arising out of, or accruing under a guarantee issued under the scheme up to the date on which such modification, cancellation or replacement comes into effect, shall not be affected.
- ii. Notwithstanding anything contained herein, SFAC shall have the right to alter the Terms and Conditions of the Scheme in regard to an Account in respect of which Guarantee has not been invoked as on the date of such alteration.

iii. In the event of the Scheme being cancelled, no claim shall lie against SFAC in respect of Credit

#### 23. Interpretation

The decision of SFAC shall be final in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions or instructions or clarifications given in connection therewith.

#### 24. Supplementary and General Provisions

SFAC may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the Scheme in respect of any matter not specifically provided for in this Scheme.

# 25. General Awareness/Publicity/Training Programme

- Institutions shall be selected and involved/ engaged to generate awareness about the benefits of the Credit Guarantee Fund to Financial Institutions, PSU, Scheduled Commercial Banks, RRB, and last but not the least FPC.
- ii. Services of Banking Institutions/NABARD and its subsidiaries shall also be engaged for sensitizing Branch Managers & other functionaries about the Scheme.

#### 26. Arbitration

- i. Disputes, if any, arising out of the Agreement shall be resolved through mutual consultation, failing which Arbitration by a sole Arbitrator chosen by the concerned LI and SFAC in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall be resorted to.
- ii. The venue of the Arbitration shall be at New Delhi.

की रकम की मांग करती है तथा उसे यह रकम मंजूर की जाती है, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने कानूनी तौर पर अपनी बाध्यता के रूप में योजना की शर्तों एवं नियमों को समझ लिया है एवं स्वीकार किया है।

- iv. जहां तक संभव होगा, पात्र ऋणदाता संस्था सुनिश्चित करेगी कि योजना के तहत गारंटीकृत किसी खाते से संबंधित कोई संविदा इस योजना के प्रावधानों के विपरीत न हो।
- v. ऋणदाता संस्था द्वारा की गई किसी संविदा या अन्य दस्तावेज में कोई अन्य प्रावधान होने के बावजूद योजना के प्रावधान / शर्तें ऐसे सभी अन्य प्रावधानों पर इस तरह अभिभावी होंगी मानो कि ये शर्तें स्नगत दस्तावेज / संविदा में लिखी गई हैं तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के संबंध में योजना के तहत लगायी गई शर्तों द्वीरा बंधे होंगे।

### 22. संशोधन एवं छूट

- i. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ किसी भी ढंग से जिसे यह आवश्यक समझे, योजना को संशोधित, निरस्त या प्रतिस्थापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तथापि, इस बात का सुनिश्चय किया जाएगा कि जिस तारीख को ऐसे संशोधनएनिरसन या प्रतिस्थापन प्रभावी होते हैं उस तारीख तक योजना के तहत जारी किसी गारंटी के तहत उत्पन्न या प्रोद्भृत अधिकार या देयताएं प्रभावित नहीं होंगी।
- ii. इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को किसी खाते जिसके संबंध में ऐसे परिवर्तन की तारीख को गारंटी लागू नहीं की गई है ए के संबंध में योजना की शर्तों एवं नियमों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।
- iii. यदि योजना रद्द हो जाती है, तो ऋण के संबंध में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के विरूद्ध कोई दावा नहीं बनेगा।

#### 23. व्याख्या

योजना के किसी भी प्रावधान या इस संबंध में प्रदान दिए गए किसी स्पष्टीकरण या जारी की गई किसी हिदायत या निर्देश की व्याख्या के संबंध में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का निर्णय अंतिम होगा।

# 24. पूरक एवं सामान्य प्रावधान

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ऐसे पूरक या अतिरिक्त प्रावधान कर सकता है या ऐसे अनुदेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जो इस योजना में विशिष्ट रूप से किसी मामले के बारे में प्रावधान न होने की स्थिति में योजना के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

- 25. सामान्य जागरूकता / प्रचार / प्रशिक्षण कार्यक्रम
- i. वित्तीय संस्थाओं, सार्वजिनक क्षेत्र उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा किसान— उत्पादक कंपनियों को ऋण गारंटी निधि से होने वाले लाभों के बारे में अवगत कराने के लिए संस्थाओं का चयन किया जाएगा तथा प्रचार — प्रसार के काम में उनको शामिल किया जाएगा।
- ii. योजना के बारे में शाखा प्रबंधकों एवं अन्य पदाधिकारियों के संवेदीकरण के लिए बैंककारी संस्थाओं / नाबार्ड तथा इसकी सहायक ईकाइयों की भी सेवाएं ली जाएंगी।

#### 26. पंच फैसला

- i. करार से उत्पन्न विवादों, यदि कोई हो, का समाधान परस्पर परामर्श के माध्यम से किया जाएगा और ऐसा न हो पाने पर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसरण में संबंधित ऋणदाता संस्था एवं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा चुने गए एकल मध्यस्थ द्वारा पंच फैसला का सहारा लिया जाएगा।
- ii. पंच फैसला का स्थान नई दिल्ली होगा।

# PART C: Project Development Facility (PDF) for Equity Grant and Credit Guarantee Fund Scheme

- (a) SFAC will provide financial support to Farmer Producer Companies (FPCs) for the preparation of Equity Grant Application and Detailed Project Reports (DPR) through empanelled consultants/institutions. SFAC will cover the full cost of preparation of DPR.
- (b) The FPC desirous of seeking assistance for preparation of Application or DPR can approach the nearest empanelled consultant or SFAC directly. The consultant will approach SFAC for prior approval before preparation of bankable DPR.
- (c) SFAC will release cost of Application or DPR preparation directly to the empanelled consultant.
- (d) All administrative and operational expenses on PDF, Publicity and Administrative Support shall be funded out of interest accrued from the Corpus Fund created in respect of Credit Guarantee Fund.

## भाग गः शेयर पूंजी अनुदान और ऋण गारंटी निधि योजना के लिए परियोजना विकास सुविधा (पी डी एफ)

- (क) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी) पैनल में शामिल परामर्शदाताओं / संस्थाओं के माध्यम से शेयर पूंजी अनुदान के लिए आवेदन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने के लिए किसान— उत्पादक कंपनियों (एफ पी सी) को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की पूरी लागत की भरपाई करेगा।
- (ख) आवदेन या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहायता प्राप्त करने की इच्छुक किसान— उत्पादक कंपनी पैनल में शामिल नजदीकी परामर्शदाता से या लघु कृषक कृषि व्यापार संघ से सीधे संपर्क कर सकती है। बैंक को स्वीकार्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व परामर्शदाता पूर्व अनुमोदन के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ से संपर्क करेगा।
- (ग) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ आवदेन या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत पैनल में शामिल परामर्शदाता को सीधे जारी करेगा।
- (ग) पी डी एफ, प्रचार एवं प्रशासनिक सहायता पर सभी प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक व्यय को ऋण गारंटी निधि के संबंध में सृजित कॉर्पस फंड से मिलने वाले ब्याज से वित्त पोषित किया जाएगा

# **EQUITY GRANT AND CREDIT GUARANTEE FUND SCHEME: ANNEXURE**

शेयर पूंजी अनुदान एवं ऋण गारंटी निधि योजनाः अनुबंध

## Annexure 1: Application Form for seeking Equity Grant by FPC

То	
Managing Director,	
Small Farmers' Agri-Business Consortium (SFAC)	Date:
NCUI Auditorium, August Kranti Marg, Hauz Khas,	
New Delhi 110016	

Dear Sir,

Sub: Application for Equity Grant under EGCGFS

We herewith apply for Equity Grant as per the provisions of the EGF.

1. The details of the FPC are as given below:

SI. No.	Particulars to be Furnsished	Detalils
1.	Name of the FPC:	
2.	Correspondence address:	
3.	Contact details:	
4.	Registration Number:	
5.	Date of registration/incorporation of FPC:	
6.	Business of FPC:	
7.	Number of Share holder Members:	
8.	Number of Small, Marginal and Landless Shareholder Members:	

## अनुबंध 1: किसान – उत्पादक कंपनी द्वारा शेयर पूंजी अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में, प्रबंध निदेशक, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी), एन सी यू आई ऑडिटोरियम, अगस्त क्रांति मार्ग, होज खास, नई दिल्ली — 110 016

तारीखः

प्रिय महोदय.

विषयः शेयर पूंजी अनुदान एवं ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत शेयर पूंजी अनुदान के लिए आवेदन हम इसके साथ (ई जी एफ) शेयर पूंजी) के प्रावधानों के अनुसार शेयर पूंजी अनुदान के लिए आवेदन कर रहे हैं।

1. किसान – उत्पादक कंपनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण	ब्यौरा
1.	किसान – उत्पादक कंपनी का नामः	
2.	पत्राचार का पताः	
3.	संपर्क का ब्यौराः	
4.	पंजीकरण संख्याः	
5.	किसान — उत्पादक कंपनी के पंजीकरण / निगमन की तारीखः	
6.	शेयर धारक सदस्यों की संख्याः	
7.	छोटे, सीमांत एवं भूमिहीन शेयर धारक सदस्यों की संख्याः	
8.	अधिकृत पूंजी (रूपए में):	

SI. No.	Particulars to be Furnsished	Detalils
9.	Paid up Capital (in INR):	
10.	Amount of Equity Grant sought (in INR):	
11.	Maximum shareholding of an Individual Shareholder Member:	
12.	Maximum shareholding of an Institutional Member:	
13.	Bank name in which account is maintained:	
14.	Branch name & IFSC code:	
15.	Account number:	
16.	Number of Directors:	
17.	Mode of Board formation (election/nomination):	
18.	Number of Women Directors:	
19.	Dates of Board Meetings held in the last year:	
20.	Number of functional committees of the FPC: (Mention the major activities of each committee)	1. 2. 3.
21.	Roles & Responsibilities of Board of Directors:	1. 2. 3. 5.

क्रम संख्या	प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण	ब्यौरा
9.	प्रदत्त पूंजी (रूपए में)ः	
10.	शेयर पूंजी अनुदान की राशि जिसकी मांग की गई है (रूपए में):	
11.	किसी व्यक्तिगत शेयर धारक सदस्य की अधिकतम शेयर धारिताः	
12.	किसी संस्थानिक शेयर धारक सदस्य की अधिकतम शेयर धारिताः	
13.	बैंक का नाम जिसमें खाता खोला गया है:	
14.	शाखा का नाम तथा आई एफ एस सी कोडः	
15.	खाता संख्याः	
16.	निदेशकों की संख्याः	
17.	निदेशक मंडल के गठन का तरीका (चुनाव/नामांकन):	
18.	महिला निदेशकों की संख्याः	
19.	पिछले साल आयोजित बोर्ड बैठकों की तारीखें:	
20.	किसान — उत्पादक कंपनी की कामकाजी समितियों की संख्या (प्रत्येक समिति की प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख करें):	1. 2. 3.
21.	निदेशक मंडल की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियांः	1. 2. 3. 5.

#### 2. Details of Board of Directors

SI. No.	Name of BoD Members	Designation/ Role in the FPC	DIN Num- ber	Qualifications	Tenure (in yrs.)	Contact No./ Address	Land Holding (in Acres)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

#### 3. Details of Shareholding of FPC Members:

#	Number of shareholders	Number and face value (INR) of shares allotted	Total amount paid (including premium in INR.)

#### 2. निदेशक मंडल का ब्यौरा

क्रम संख्या	निदेशक मंडल के सदस्यों का नाम	किसान — उत्पादक कंपनी में पद/भूमिका	डी आई एन संख्या	योग्यताएं	कार्यकाल (वर्ष में)	संपर्क नंबर/पता	जोत (एकड़ में)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

3. किसान – उत्पादक कंपनी के सदस्यों की शेयर धारित का ब्यौराः

क्रम संख्या	संख्या शेयर धारकों की संख्या	आबंटित शेयरों की संख्या एवं अंकित मूल्य (रूपए में)	प्रीमियम समेत कुल प्रदत्त राशि (रूपए में)

We submit our application along with the mandatory documents and request that the equity grant be approved.

Yours faithfully,

**Chief Executive Officer** 

President/ Authorised Representative/ Director of FPC

\*List of mandatory documents to be attached with the application form

- i. Shareholder List and Share Capital contribution by each Member, verified and certified by a Chartered Accountant (CA) prior to submission (Format attached, Annexure 1- Enclosure 1).
- ii. Resolution of FPC Board/Governing Council to seek Equity Grant for Members (Format attached, Annexure 1- Enclosure 2).
- iii. Consent of Shareholders, stating name of shareholder, gender, number of shares held, face value of shares, land holding, and signature, signifying consent for SFAC to directly transfer the Equity Grant sanctioned to the FPC on their behalf, to FPC Bank account, against the consideration of additional shares of equivalent value to be issued to them by FPC and on exit- transfer of the shares as per rules (Format attached, Annexure1-Enclosure 3).
- iv. Audited Financials of FPC for a minimum 1 year/for all years of existence of the FPC if formed less than three years prior to application/ for the last 3 years for FPC in existence for 3 years or more, verified and certified by a Chartered Accountant (CA) prior to submission.
- v. Photocopy of FPC Bank Account Statement for last six months authenticated by Branch Manager.
- vi. Business plan and budget for next 18 months.
- vii. Names, photographs, and identity proof (one from among ration card, Aadhaar card, election identification card, and passport of Representatives/ Directors authorised by the Board for executing and signing all documents under the Scheme.
- viii. Each page of Application Form and accompanying documents should be signed by a minimum of two Board Member Authorised Representatives of FPC;

हम आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा कर रहे हैं तथा अनुरोध है कि शेयर पूंजी अनुदान अनुमोदित करने की कृपा की जाए।

भवदीय,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसान – उत्पादक कंपनी अध्यक्ष / अधिकृत प्रतिनिधि / निदेशक

आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः

- i. शेयर धारक सूची तथा प्रत्येक सदस्य द्वारा शेयर पूंजी अंशदान जो आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व किसी सनदी लेखाकार (सी ए) द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित होना चाहिए (प्रारूप संलग्न है, अनुबंध 1 पारिशिष्ट 1)।
- ii. सदस्यों के लिए शेयर पूंजी अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान उत्पादक कंपनी के निदेशक मंडल / शासी परिषद का संकल्प (प्रारूप संलग्न है, अनुबंध 1 पारिशिष्ट 2)।
- iii. शेयर धारकों के नाम, लिंग, धारित शेयरों की संख्याए शेयरों के अंकित मूल्य, जोत के उल्लेख तथा हस्ताक्षर के साथ शेयर धारकों की सहमित जिससे किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उनको जारी किए गए समतुल्य मूल्य के अतिरिक्त शेयरों के प्रतिफल के विरूद्ध किसान उत्पादक कंपनी के बैंक खाते में उनकी ओर से किसान उत्पादक कंपनी को स्वीकृत शेयर पूंजी अनुदान सीधे अंतरित करने और शेयर धारक निकलने की स्थिति में नियमों के अनुसार शेयरों के अंतरण के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के लिए सहमित का संकेत प्राप्त हो (प्रारूप संलग्न है, अनुबंध 1 पारिशिष्ट 3)।
- iv. यदि किसान उत्पादक कंपनी का गठन तीन साल से कम पहले किया गया है, तो कम से कम एक वर्ष के लिए और यदि यह तीन साल या अधिक अविध के लिए अस्तित्व में है, तो अस्तित्व में होने के सभी वर्षों के लिए किसान उत्पादक कंपनी का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, जो आवदेन प्रस्तुत करने से पूर्व किसी सनदी लेखाकार (सी ए) द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित एवं प्रमाणित होना चाहिए।
- v. पिछले 6 महीनों के लिए किसान उत्पादक कंपनी के बैंक खाता विवरण की छायाप्रति, जो शाखा प्रबंधक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
- vi. अगले 18 महीनों के लिए कारोबार योजना एवं बजट।
- vii. योजना के तहत सभी दस्तावेजों को निष्पादित करने एवं उन पर हस्ताक्षर करने के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधियों / निदेशकों का नाम, छाया चित्र और पहचान का प्रमाण (राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट में से कोई भी)।
- viii. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर तथा इसके साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर किसान उत्पादक कंपनी के कम से कम दो बोर्ड सदस्यों / अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए।

## Annexure 1- Enclosure 1: FPC Shareholder List (all share holders)

SI. No.	Member Name & Gender	Share Money deposited by member (Rs.)	allotted	Folio	Share distinctive Number	Land Holding of Shareholders (in Acres)	Land Record (Khasra No.)

Signature of President	Signature of CEC
olynature of Fresident	Signature of CLO

Name: Name: Place: Place: Date: Date:

Varified and certified by Charted Accountant (CA) (Sign and Seal)

## अनुबंध 1 — पारिशिष्ट 1: किसान — उत्पादक कंपनी के शेयर धारकों की सूची (सभी शेयर धारक)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम एवं लिंग	सदस्यता की तारीख	सदस्य द्वारा जमा की गई शेयरपूंजी (रूपए में)	आबंटित शेयरों की संख्या एवं अंकित मूल्य (रूपए में)	पन्ना	शेयर विशेष संख्या	शेयर धारकों की जोत (एकड़ में)	भूमि अभिलेख (खरा संख्या)

अध्यक्ष का हस्ताक्षर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी का हस्ताक्षर
नामः	नामः
स्थानः	स्थानः
तारीखः	तारीखः

सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित (हस्ताक्षरक एवं मुहर)

# Annexure 1- Enclosure 2: Resolution of BoD of FPC to seek Equity Grant for Shareholders (Certified True Copy)

	Place of meeting Date of meeting.
Age	enda of Meeting: to avail Equity Grant support
bas	nereas the FPC has been formed under (legal registration status of FPC) and on the sis of the decision of the AGM/EoGM (held on (mention the date) to avail Equity ant support under the EGCGF Scheme.
We	, the Board of Directors of the FPC unanimously resolve that:
i.	The grant shall be utilised for business enhancement of the FPC.
ii.	The basis of allocation of the said fund shall be the individual share money contribution by members and in accordance with the criteria laid down at Section 6 of the Scheme.
iii.	The accounts of the said grant shall be maintained in a proper manner.
iv.	The benefit of the said support shall be extended shareholder member wise and shall be available to an individual till s/he is the member of the FPC.
v.	If a shareholder member quits the FPC at any point, the shares issued in lieu of the grant shall be retained by the FPC and shall not be paid to the member but shall be allocated to a new/additional existing member (as per section 6 vi. of EGS guidelines). This has been discussed in the Special AGM held for this purpose on—— and the Shareholders are fully cognizant of the Terms and Conditions of the Scheme & have agreed to abide by the same.
any Chi all	further resolve that to execute the documents pertaining to this support, the President / in his stead one of the following Directors of the FPC for any reason due to non availability of the President and the lief Executive of FPC, whose signatures are given below and certified by the Bank are authorised to sign documents and forms jointly. Further resolved that this Resolution be communicated to SFAC and shall hain in force until further notice in writing.

#### Signed by the CEO & Board of Directors and Sealed

Sl. No.	Name	Designation	Signatures

अनुबंध 1	_ 1	पारिशि	ष्ट 2:	शेयर	धारकों	के	लिए	शेयर	पूंजी	अनुव	रान	प्राप्त	करने	के	लिए	किसान	· —
उत्पादक	कंप	नी के	निदेश	क मंड	ल का	संव	<b>ल्प</b>	(सत्यार्ग	पेत र	सही प्र	प्रतिर्वि	लेपि)					

ह) बैठक का स्थान
ठिक का एजेंडाः शेयर पूंजी अनुदान सहायता प्राप्त करना
नबिक किसान — उत्पादक कंपनी का गठन (किसान — उत्पादक कंपनी के कानूनी पंजीकरण का स्टेटस) व इहत किया गया है तथा ई जी सी जी एफ योजना के तहत शेयर पूंजी अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए
तारीख का उल्लेख करें) को आयोजित वार्षिक आम बैठक/शासी निकाय बैठक के निर्णय के आधार पर,

हम, किसान – उत्पादक कंपनी के निदेशक मंडल, सर्वसम्मित से संकल्प पारित करते हैं किः

- i. अनुदान का प्रयोग किसान उत्पादक कंपनी के कारोबार को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
- ii. उक्त निधि के आबंटन का आधार सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत शेयर पूंजी अंशदान होगा तथा यह आबंटन योजना के खंड 6 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा।
- iii. उक्त अनुदान का खाता समृचित ढंग से रखा जाएगा।
- iv. उक्त अनुदान का लाभ सदस्यवार शेयर धारकों को प्रदान किया जाएगा तथा यह व्यक्तिगत सदस्यों को तब तक उपलब्ध रहेगा जब तक कि वह किसान – उत्पादक कंपनी का सदस्य बना रहता है।
- v. यदि कोई शेयर धारक सदस्य किसी समय किसान उत्पादक कंपनी की सदस्यता छोड़ देता है, तो अनुदान के बदले में जारी किए गए शेयर किसान उत्पादक कंपनी द्वारा अपने पास रखे जाएंगे और उसका भुगतान सदस्य को नहीं किया जाएगा, अपितु यह किसी नए/अतिरिक्त विद्यमान सदस्य को आबंटित किया जाएगा (ई जी एस दिशानिर्देश के खंड 6 (vi) के अनुसार)। इस पर ......................... को इस प्रयोजनार्थ आयोजित विशेष वार्षिक आम बैठक में चर्चा हुई है तथा शेयर धारकों को इस योजना की शर्तों एवं नियमों के बारे में पूरी जानकारी है और उन्होंने इनका पालन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है।

हम यह भी संकल्प करते हैं कि इस अनुदान से संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन के लिए अध्यक्ष अथवा किसान — उत्पादक कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के किसी भी कारण से उपलब्ध न होने की स्थिति में किसान — उत्पादक कंपनी के निम्नलिखित निदेशकों में से कोई एक, जिनके हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं तथा बैंक द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, सभी दस्तावेजों एवं प्रपत्रों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं। यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के पास भेजा जाएगा तथा लिखित रूप में अगले नोटिस तक यह प्रभावी रहेगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा निदेशक मंडल के हस्ताक्षरक एवं मुहर

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर

### **Annexure 1- Enclosure 3: Consent Form of all Shareholders**

We are Shareholders in (Name of the FPC) located in (Name of village/block/district/State). We have purchased (number of issued Shares) worth Rs (value of the issued Shares) from the FPC, as per the list below:							
	o be attached stating ng, and signature.)	name of shareholder, gen	der, number of sh	ares held, face	e value of shares, land		
In par our b	ticular, each sharehol	out /read the Terms and Coder hereby agrees that the ferred to our FPC's account mount in the FPC.	entire amount of	Equity Grant s	anctioned by SFAC on		
		the FPC shall immediately, ctioned to each sharehold		hares to respe	ctive shareholders, of		
whats the FI not re	We also agree that should any shareholder at any point cease to be a Member of the FPC for any reason whatsoever, the additional shares against the Equity Grant that stand in his/her name shall be retained by the FPC to be allocated to another Member as specified under the Scheme and that in such a case, he shall not receive the value of the share.  In support of our consent, we have affixed our signatures /thumb impressions below:						
#	Name & Gender of Shareholder	Current Equity Hold- ing (Number and Face Value in INR)	Current Landhold acres.)		Signatures/Thumb impressions		
1.							
2.							
3.							
We declare that the information furnished by the shareholders above is true.							
Chief Executive Officer (Seal)  President/Authorised Signatory							
Certified by a Chartered Accountant (CA) (Seal) Countersigned by Bank Manager (of the Bank where the FPC has the account) (Seal)							

### अनुबंध 1 - पारिशिष्ट 3: सभी शेयर धारकों का सहमति पत्र

(संलग्न की जाने वाली सूची जिसमें शेयर धारक के नाम, लिंग, धारित शेयरों की संख्याए शेयरों के अंकित मूल्य का उल्लेख होगा तथा उनका हस्ताक्षर होगा।)

हमें ई जी एफ की शर्तों एवं नियमों के बारे में सूचित किया गया है / हमने इन्हें पढ़ लिया है तथा हम इनसे सहमत हैं।

विशेष रूप से, प्रत्येक शेयर धारक एततद्वारा सहमत है कि हमारी ओर से लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा स्वीकृत शेयर पूंजी अनुदान की समूची राशिकिसान — उत्पादक कंपनी में समतुल्य राशि में हमें जारी करने के लिए अतिरिक्त शेयरों के विचारार्थ हमारी किसान — उत्पादक कंपनी के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी।

धनराशि प्राप्त होने पर, किसान – उत्पादक कंपनी तत्काल लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा प्रत्येक शेयर धारक को स्वीकृत समतुल्य राशि संबंधित शेयर धारक को अतिरिक्त शेयर के रूप में जारी करेगी।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि यदि कोई शेयर धारक किसी भी समय किसी भी कारण से किसान — उत्पादक कंपनी का सदस्य नहीं रह जाता है, तो किसान — उत्पादक कंपनी द्वारा उसके नाम में मौजूद शेयर पूंजी अनुदान के विरुद्ध अतिरिक्त शेयर अपने पास रखे जाएंगे जिसे योजना के तहत निर्दिष्ट ढंग से दूसरे सदस्य को आबंटित किया जाएगा तथा इस तरह के मामले में वह शेयर का मूल्य प्राप्त नहीं करेगा।

अपनी सहमति के समर्थन में हम नीचे अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं / अंगूठे का निशान लगा रहे हैं: सहमति का ब्यौरा:

क्रम संख्या	संख्या शेयर धारक का नाम एवं लिंग	वर्तमान में धारति शेयर पूंजी (संख्या एवं अंकित मूल्य) रूपए में)	वर्तमान जोत (एकड़ में)	हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
1.				
2.				
3.				

हम घोषणा करते हैं कि शेयर धारकों द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त सूचना सही है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुहर)

अध्यक्ष / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

किसी सनदी लेखाकार (सी ए) द्वारा प्रमाणित (मुहर)

जिस बैंक में किसान – उत्पादक कंपनी का खाता है उस बैंक के प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (मुहर)

## Annexure 2: Agreement between SFAC and FPC

	is Agreement is executed on this (day) of (year) tween (Name of FPC), (hereinafter called the "Recipient"), having registered office at
So Ins	(which includes its signees) as first party, and Small Farmers' Agribusiness Consortium, (SFAC) a Society registered under the cieties Registration Act 1860, having its registered office at NCUI Auditorium Building, 5th Floor, 3, Siristitutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi 110016, (hereinafter called "SFAC"), as second rty.
	nereas SFAC is a Development Institution with its core aims and objectives focused on supporting small d marginal farmers and farmer producer organizations.
An	d whereas "Recipient" is a
	_( About FPC & its activities-a brief )
E	quity Grant Sanction by SFAC
1.	The "Recipient" has applied to the SFAC for Equity Grant amount of Rs (amount in figures.)  Rs (date)
2.	SFAC has considered and sanctioned to (Name of "Recipient") an amount of Rs (amount in figures.) Rs (amount in words) as an Equity Grant to be converted into additional shares to its shareholders as per the attached list on the date of Application.
3.	The purpose of the Equity Grant is to support FPC (Name of "Recipient") to undertake the following:
o l	List of the activities: —————
Th	e disbursement shall be made subject to the following terms and conditions:
i.	The Equity Grant is to be mandatorily used to increase Member Shareholders' shareholding in the "Recipient" equivalent to the amount of Grant sanctioned to the Recipient on the behalf of Shareholders.
ii.	The amount of Equity Grant sanctioned by the SFAC to the "Recipient" as shareholder equity shall be directly transferred to the Account of the "Recipient" in"Bank",(Address ) under the jurisdiction of theZonal Branch.

members, equivalent to the value to the amount of the Grant received by it.

iii. The FPC shall, within 45 days of the receipt of the Equity Grant, issue additional shares to its shareholder

अन्	विध 2: लघु कृषक कृषि व्यापार संघ तथा किसान — उत्पादक कंपनी
कह सम अधि तल	करार प्रथम पक्षकार के रूप में
	कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एक विकास संस्था है और इसका मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों तथा नान – उत्पादक संघों की सहायता करना
और 	जबिक प्राप्तकर्ता
 (कि	
लध्	यु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा शेयर पूंजी अनुदान की स्वीकृति
1.	प्राप्तकर्ता ने
2.	लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ने इस पर विचार किया है और आवेदन की तारीख को संलग्न सूची के अनुसार इसके शेयर धारकों की शेयर पूंजी में परिवर्तित करने के लिए(प्राप्तकर्ता का नाम) को शेयर पूंजी अनुदान के रूप में रूपए (राशि अंको में) रूपए (राशि अंको में) की राशि स्वीकृत किया है।
3.	शेयर पूंजी अनुदान का प्रयोजन निम्नलिखित कार्यों कें लिए किसान — उत्पादक कंपनी (प्राप्तकर्ता का नाम) की सहायता करना है:
O 1	ातिविधियों की सूची
यह	संवितरण निम्नलिखित शर्तों एवं नियमों के अधीन किया जाएगाः
i.	शेयर पूंजी अनुदान का प्रयोग अनिवार्य रूप से शेयर धारकों की ओर से प्राप्तकर्ता को स्वीकृत अनुदान की राशि के समतुल्य प्राप्तकर्ता में सदस्य शेयर धारकों के शेयरों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
ii.	शेयर धारकों की शेयर पूंजी के रूप में प्राप्तकर्ता को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा स्वीकृत शेयर पूंजी अनुदान की राशि
iii.	शेयर पूंजी अनुदान प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के अंदर किसान — उत्पादक कंपनी स्वयं द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि के समतल्य मल्य में अपने शेयर धारक सदस्यों को अतिरिक्त शेयर जारी करेगी।

- iv. The "Recipient" shall submit to SFAC, a List of Additional Shares issued by it to its Shareholder Members under this Scheme, along with the respective Folio Numbers, verified and certified by a Chartered Accountant (CA), within 45 days of the funds having been received by it.
- v. The "Recipient" shall be allowed to draw the Equity Grant in two tranches (within a period of 2 years of the first application) subject to the cap of Rs 10 lakhs per "Recipient", provided and to the extent that it is able to raise additional Member Equity and has utilized the first tranche as laid down under this Scheme. The request for the second tranche shall be treated as a fresh application and the full process of due diligence shall be repeated.
- vi. In the event that a Shareholder, who receives additional shares through the SFAC Grant, exits the "Recipient"/ceases to be a Member at any point, the additional shares received through the SFAC Grant & standing in his/her name must be transferred to another new/existing Shareholder. In such cases, the original shareholder cannot receive the value of the additional shares transferred to other/new members.
- vii. Such transfer should be effected within 90 days of the shareholder's exit/ceasing to be a member through a transparent draw of lots and the transferees shall be new/ existing equity Shareholders. Preference shall be given to new members wherever applicable.
- viii. SFAC reserves all rights to call for/inspect any information/documents relating to the "Recipient" as and when required.
- ix. SFAC is authorised to examine the accounts of the "Recipient" and supporting documents at any time during the period of this Agreement. The recipient agrees to provide all relevant information or explanations that SFAC may reasonably request.
- x. During the period of this Agreement, the "Recipient" undertakes to:
  - (a) Conduct it's routine business following the principles of Good Governance such as accountability, transparency and development orientation etc.;
  - (b) Keep SFAC informed of any adverse situation e.g. cancellation of its registration, resignation of Directors or Board members, involvement in a legal case, etc.
- xi. In the event of violation of any of the terms and conditions herein contained or contained in the rules or any of the instructions issued by the SFAC from time to time or misappropriation of the Equity Grant sanctioned and released by the SFAC, the SFAC shall have the right to demand and enforce forthwith repayment of the entire amount of Equity grant sanctioned by it.
- xii. In particular, SFAC shall have the right to recall the Equity Grant amount and the "Recipient" shall be legally liable to comply with the same in the case of:
  - a). Non conversion into Member Equity of Grant received by "Recipient" in the manner specified and failure to communicate the details of the share issue to the SFAC within 45 days of the receipt of the grant,
  - b). Dissolution of "Recipient" within 3 years of the receipt of the Equity Grant
  - c). Instances of misuse / misappropriation of the Equity Grant
  - d). Failure on part of the FPC to refund the Equity Grant to SFAC recalled by SFAC on account of either of the above conditions shall attract legal action by SFAC within the provisions of the Scheme.
- xiii. For matters not specifically provided herein, the "Recipient" hereby agrees to abide by all the terms and conditions contained in the rules as may be amended from time to time as if these rules are set out herein and forming part of the agreement.

- iv. धनराशि प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के अंदर प्राप्तकर्ता इस योजना के तहत अपने शेयर धारक सदस्यों को जारी किए गए अतिरिक्त शेयरों की सूची लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को प्रस्तुत करेगा और साथ ही संबंधित पन्ना संख्या भी प्रस्तुत करेगा जो किसी सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित होने चाहिए।
- v. प्राप्तकर्ता को प्रति प्राप्तकर्ता 10 लाख रूपए की अधिकतम सीमा के अधीन दो खेपों में (प्रथम आवेदन के दो वर्ष की अवधि के अंदर) शेयर पूंजी अनुदान आहरित करने की अनुमित होगी परंतु यह इस शर्त के अधीन भी होगा कि यह अतिरिक्त सदस्य शेयर पूंजी जुटाने में समर्थ है और पहली खेप का उपयोग इस योजना के तहत निर्धारित ढंग से किया गया है। दूसरी खेप के लिए अनुरोध को नए आवेदन के रूप में लिया जाएगा तथा समुचित सावधानी की पूरी प्रक्रिया दोहराई जाएगी।
- vi. यदि कोई शेयर धारक, जो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के अनुदान के माध्यम से अतिरिक्त शेयर प्राप्त करता है, किसी भी समय किसान उत्पादक कंपनी को छोड़ जाता है/सदस्य नहीं रह जाता है, तो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के अनुदान के माध्यम से प्राप्त तथा उसके नाम में पड़े अतिरिक्त शेयर दूसरे नए/विद्यमान शेयर धारक को अवश्य अंतरित किए जाने चाहिए। इस तरह के मामले में, मूल शेयर धारक दूसरे/नए सदस्य को अंतरित अतिरिक्त शेयरों का मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता है।
- vii. शेयर धारक के छोड़ जाने / सदस्य के रूप में न बने रहने की तारीख से 90 दिन के अंदर पारदर्शी ढंग से लाटरी के माध्यम से ऐसे अंतरण को प्रभावी किया जाना चाहिए तथा अंतरिती नए / विद्यमान शेयर पूंजी धारक होंगे। जहां लागू होगा, नए सदस्यों को वरीयता दी जाएगी।
- viii. जरूरत पड़ने पर, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ श्प्राप्तकर्ताश् से संबंधित किसी सूचना / दस्तावेज को मंगाने / निरीक्षण करने के सभी अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ix. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ इस करार की अवधि के दौरान किसी भी समय प्राप्तकर्ता के खातों तथा समर्थक दस्तावेजों की जांच करने के लिए अधिकृत है। प्राप्तकर्ता ऐसी सभी संगत सूचनाएं या स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए सहमत है जिसके लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ तर्कसंगत ढंग से अन्रोध कर सकता
- x. इस करार की अवधि के दौरान प्राप्तकर्ता निम्नलिखित का वचन देता है:
  - (क) शासन के सिद्धांतों जैसे कि जवाबदेही, पारदर्शिता एवं विकास उन्मुखीकरण आदि का अनुसरण करते हुए अपने नेमी कारोबार का संचालन करना;
  - (ख) किसी प्रतिकूल स्थिति के बारे में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को जानकारी प्रदान करना, उदाहरण के लिए पंजीकरण का रद्द हो जाना, निदेशकों या निदेशक मंडल के सदस्यों का त्यागपत्र, किसी कानूनी वाद में संलिप्तता आदि।
- xi. इसमें निहित या समय समय पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा जारी नियमों या किसी भी अनुदेश में निहित शर्तों एवं नियमों में से किसी के उल्लंघन या लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा स्वीकृत एवं जारी शेयर पूंजी अनुदान के दुर्विनियोजन की स्थिति में, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ स्वयं द्वारा जारी किए गए शेयर पूंजी अनुदान कीपूरी राशि को मांगने तथा तत्काल भुगतान प्रभावी करने का अधिकार रखता है।
- xii. विशेष रूप से, निम्नलिखित मामलों में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को शेयर पूंजी अनुदान की राशि वापस मांगने का अधिकार होगा तथा 'प्राप्तकर्ता' इसका पालन करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होगाः
  - (क) प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के अंदर निर्दिष्ट ढंग से प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त अनुदान को सदस्य की शेयर पूंजी में परिवर्तित न करना तथा शेयर जारी करने के ब्यौरों के बारे में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को सूचित न करना;
  - (ख) शेयर पूंजी अनुदान प्राप्त होने की तारीख से 3 साल के अंदर किसान उत्पादक कंपनी का भंग हो जाना;
  - (ग) शेयर पूंजी अनुदान के दुरूपयोग / दुर्विनियोजन के मामले;
  - (घ) उपर्युक्त स्थितियों में से किसी के कारण लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा मांगे जाने पर,
- xiii. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को शेयर पूंजी अनुदान लौटाने में किसान उत्पादक कंपनी के विफल रहने पर योजना के प्रावधानों के अंदर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ किसान — उत्पादक कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करेगा।

(year) at \_\_\_\_\_ (location)

- xiv. The "Recipient" hereby declares that the contents of this Agreement have been read and understood by its shareholders and it shall abide by the terms & conditions of the Agreement.
- xv. This Agreement between SFAC and the "Recipient" is governed and construed according to the laws of India. Controversies and claims arising out of relating to this Agreement, or the breach thereof, shall be settled through Arbitration at New Delhi. However, before taking any legal action, the parties hereby agree to mobilise all efforts and to enter into discussions in order to find a mutually acceptable settlement by direct negotiation.

This Agreement shall come into force with its signatures and shall remain in force until all conditions under this Agreement are fulfilled.

In witness of above, both Parties have executed this Agreement on this \_\_\_\_\_\_ (day) of \_\_\_\_\_\_

For and on behalf of Small Farmers' Agri-Business Consortium (SFAC)	For and on behalf of the "Recipient"
Signature:	Signature:
Seal:	Seal:

- xiv. जिन मामलों के लिए यहां विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, 'प्राप्तकर्ता' एततद्वारा समय समय पर संशोधित नियमों में निहित सभी शर्तों एवं नियमों का इस ढंग से पालन करने के लिए सहमत है मानों कि ये नियम करार में पहले से ही निहित हैं तथा इसके अंग हैं।
- xv प्राप्तकर्ता एततद्वारा घोषणा करता है कि इसके शेयर धारकों ने इस करार की अंतर्वस्तुओं को पढ़ एवं समझ लिया है तथा यह इस करार की शर्तों एवं नियमों का पालन करेगा। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं प्राप्तकर्ता के बीच यह करार भारत के कानूनों के अनुसार अभिशासित एवं अर्थ लगाया है। इस करार से उत्पन्न दावों एवं विवादों या इसके किसी उल्लंघन को दिल्ली में पंच फैसला के माध्यम से सुलझाया जाएगा। तथापि, कोई कानूनी कार्रवाई करने से पूर्व पक्षकार एततद्वारा सभी प्रयासों का उपयोग करने तथा आपस में बातचीत करने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं तािक सीधी वार्ता के माध्यम से कोई परस्पर स्वीकार्य समाधान निकाला

यह करार इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा तथा तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इस करार की सभी शर्ते पूरी होती रहेंगी।

कृते एवं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी) की ओर से	कृते एवं प्राप्तकर्त्ता की ओर से
हस्ताक्षरः	हस्ताक्षरः
मुहरः	मुहरः

# **Annexure 3: Application Form for Seeking Credit Guarantee Cover under CGF**

	Farmers' Agribusiness Consortium of Agriculture and Cooperation	(SFAC)			
	of India				
l	Auditorium, 5th Floor,August Kran	ti Marg,			
	Khas, New Delhi 110016,	<b>5</b> .			
Phone	e: 91-11-2686 2365, Fax: 91-11-268	6 2367			
(Each	page of the application form shou		nch Head and Zonal M	lanager	
	Name and Address of the applica	nt Bank Branch:			
1 a)	Complete Postal Address (*with p	oin-code) :			
1 b)	Phone No. with STD :		,		
1 c)	Fax No.:				
1 d)	E-Mail Address:				
1 e)	Details of the authorised person of the Bank submitting the Claim:	Designation	Mobile No.	E-Mail Address.	
2	Name of Borrower FPC:				
2 a)	Constitution:	Producer Company			
2 b)	Registered Office Address (*with	pin-code):			
	(i). Phone No.	(ii). Fax No.	(iii). E-mail Address		
2 c)	Business Office Address (if any)				
	(i). Phone No.	(ii). Fax No.	(iii). E-mail Address		
2 d)	Name of CEO :				
	Mobile No.				
2 e)	Credit Facility for which guarante	e cover sought :			
	Old	New	Expansion	Technical Upgradation	
2 f)	Give details of components:-				
	Inputs:		Processing:		
	Marketing:		Total Investment:		
3	Banking Facilities Sanctioned by	sanctioning authority	y (Rs. in Lakhs):-		
	(i). Term-Loan :	Date of Sanction:	Amount Outstanding:	IRAC Status:	

## अनुबंध 3: ऋण गारंटी निधि के अंतर्गत ऋण गारंटी की रकम प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

कृषि ए भारत र एन सी हौज ख	षक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी) वं सहकारिता विभाग अरकार यू आई आडिटोरियम, पांचवां तल, अगस्त गस, नई दिल्ली — 110 016 बर: 91—11—2686 2365, फैक्स: 91 — 1				
(आवेदन	न के प्रत्येक पृष्ठ पर शाखा प्रमुख एवं अंच	वल प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर	किया जाना चाहिए)		
	आवेदन करने वाली बैंक शाखा का नाम	एवं पताः			
1 क)	पत्राचार का पूरा पता (पिन कोड के साथ	<b>1</b>			
1 ख)	फोन नंबर (एस टी डी नंबर के साथ):				
1 ग)	फैक्स नंबरः				
1 ਬ)	ई–मेल पताः				
1 ਫ.)	दावा प्रस्तुत करने के लिए बैंक के अधिकृत व्यक्ति का ब्यौराः	पदनाम	मोबाइल नंबर	ई—मेल पता	
2	ऋणग्राही किसान – उत्पादक कंपनी क	ा नामः			
2क)	संघटनः	उत्पादक कंपनी			
2 ख)	पंजीकृत कार्यालय का पता (पिन कोड व	र्रे साथ)			
	(i). फोन नंबर	(ii). फैक्स नंबर	(iii). ई—मेल पता		
2 ग)	कारोबार के कार्यालय का पता (यदि कोई हो:				
	(i). फोन नंबर	(ii). फैक्स नंबर	(iii). ई—मेल पता		
2 ਬ)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नामः				
	मोबाइल नंबरः				
2 ड.)	ऋण सुविधा जिसके लिए गारंटी की रक	म की मांग की गई है:			
	पुराना	नया	विस्तार	तकनीकी उन्नयन	
2 च)	घटकों का ब्यौरा प्रदान करें:				
	उत्पादक सामग्री		विपणनः		
	प्रसंस्करण		कुल निवेशः		
3	स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वीकृ	त बैंककारी सुविधाएं (रूप	ए में):		
	(i). सावधि ऋणः	स्वीकृत करने की	बकाया राशिः	आई आर ए सी स्टेटसः	

	(ii).Cash Credit :		Date of S	Sanction:	Amount Outstanding:	IRAC Status:	
3 a)	Sanctioning Office:		Branch:		ZO / RO:	HO:	
3 b)	Designation of Sancti	oning Auth	ority:		•	'	
3 c)	Sanctioning authority	/ approval v	ride :				
3 d)	Sanction / Appraisal N	Note No.			Dated:		
3 e)	Agenda No. / Minutes	conveying	sanction	:			
4	Name and Address of	Controlling	Office of	the Branch	(*with pin-code):		
4.a).	Name of Controlling	Authority :					
4.b).	Mobile No.:						
4.c).	Fax. No. :						
4.d).	E-Mail Address.:						
5	Present status of FPC	Activity : (C	ive comp	onent wise	details)		
5. a)							
5. b).							
5. c).							
5. d).							
5. e).							
5. f)							
6	Status of Accounts						
6. a).	Term-Loan:						
	Amount of Disbursen	nent till date	e:		Outstanding as o	on date :	
	i). First instalment due	e on (date)	:				
	ii). Last Instalment du	e on (date)	:				
6. b).	Cash Credit:						
	Limit:		Drawing	Power:		Outstanding:	
	Comments on Irregul	arity ( if any	<u>'):</u>				
	Any adverse commer	its on the ui	nit by insp	ecting office	cial in last inspection	on report:	
7	A. Cost of Project ( as	accepted k	эу	B. Means o	of Finance (as accep	ted by	
	sanctioning autho	ority) (In Rs.	Lakhs)	Sanctio	ning Authority) (In F	Rs. Lakhs)	
	Give component wis	e details		a. Term lo	an of Bank :		
				b. Promot	er Equity :		
				c. Unsecu	red loan :	,	
				d. Others	if any		
	Total			Total	,		
8	A. Forward Linkages	:		1		mall / Marginal farme	ers:
	1			No. of me	mbers:		

	(ii). नकद ऋण		स्वीकृत क तारीखः	रने की	बकाया राशि	:	आई आर ए सी स्टेटसः	
3 क)	स्वीकृत करने वाला कार्याट	 ਜ <b>य</b> :	शाखाः		आंचलिक क क्षेत्रीय कार्या		मुख्यालयः	
3 ख)	स्वीकृत करने वाले प्राधिका	ारी का पदनाम	; [:		,		•	
3 ग)	स्वीकृत करने वाले प्राधिक	ारी के अनुमोद	न का माध्य	<del>म</del> :				
3 ਬ)	स्वीकृत/मूल्यांकन टिप्पणी	. संख्याः			तारीखः			
3 ड.)	स्वीकृत की सूचना देने वा	ली कार्य सूची	संख्या / का	र्यवृतः				
4	शाखा के नियंत्रक अधिकार	री का नाम एव	ां पता (पि व	गोड के साथ):				
4.क)	नियंत्रक प्राधिकारी का नाम	₹:						
4.ख)	मोबाइल नंबरः							
4.ग)	फैक्स नंबरः							
4.ਬ)	ई–मेल पताः							
5	किसान – उत्पादक कंपनी	की गतिविधि	का वर्तमान	स्तर (कृपया	घटकवार ब्यौ	रा प्रस्तुत क	₹):	
5.क)								
5. ख)								
5. ग)								
5. ਬ)								
5. ड.)								
5. च)								
6	खातों की स्थिति							
6.क)	सावधि ऋणः							
	आज की तिथि तक वितरि	त की गई राधि	शे:		आज की ति	थि तक बक	या राशिः	
	i). पहली किस्त के देय हो	ने की तारीखः						
	ii). आखिरी किस्त के देय	होने की तारी	ত্ত্ <del>র</del> :					
6. ख)	नकद ऋणः		<b>1</b>				<b>y</b>	
	सीमाः			रने की शक्ति	<del>.</del> 		बकाया राशिः	
	अनियमितता पर टिप्पणियां	-	-					
	पिछली निरीक्षण रिपोर्ट में	निरीक्षण अधिव	कारी द्वारा य	निट पर कोई	प्रतिकूल टिप्प	गणीः		
7	(क) परियोजना की लागत	त (स्वीकृत कर	ने वाले	(ख) वित्त पो	षण के साधन	(स्वीकृत कर	ने वाले	
	प्राधिकारी द्वारा यथा स्वीवृ	कृति) (लाख रू	पए में)	प्राधिकारी द्वारा यथा स्वीकृति) (लाख रूपए में)				
	कृपया घटकवार ब्यौरा प्र	स्तुत करें:		(क) बैंक का	सावधि ऋणः			
				(ख) प्रवर्तक	की शेयर पूंर्ज	<u>†:                                    </u>		
				(ग) असुरक्षित				
				(घ) अन्य, य	दि कोई होः			
	कुल			कुल				
8	(क) आगे की सहबद्धताः			` ′ ·		ों के साथ पी	ोछे की सहबद्धताः	
	1			सदस्यों की	संख्याः			

	2		Details of Primary and Collateral Securities taken by the bank (if any)		
	3		a. Primary Securities	b. Collateral Sec	urities
	4				
	5				
	6				
	(Please enclose deta	ils separately)			•
9	Name of the Consordetails and email:	tium (if any) associate	ed with Credit Facility	with complete ad	ldress, contact
9 a)	Address (*with pin-c	ode):			
9 b)	Contact Details:				
9 c)	Email Address:				
In view (in Rup compe Furthe 1. The 2. Tec sar 3. On	st of Branch Head for of the above information of the above information of the authority is enclosed with the confirm that:  e KYC norms in respection of the confirm and enctioning authority and enctioning authority and enctioning authority are quarterly basis, bankes and encourted and enctioning authority and encourterly basis, bankes and encourterly basis and encourterly basi	tion, we request Credition, we request Credition, we request Credition) to FPC (copy of some second for your perusal at the branch.  It will apprise the SFA at to SFAC.	anction letter along and record ).  Eve been complied by spect of the project C about progress of the control o	with appraisal / p vus. has been taken	process note of
Date			Signature of Branch Name Designation Signature of Author Name Designation	Manager with bra	al office
List of	Enclosures		ı		
amo on B lette disp sign	ommendation with unt of CGC sought ank's Original rhead with date and atch number duly ed by the Branch ager on each page.	5. Promoter's reques to the Bank Mana head of FPC	it letter addressed ger on original letter	9. List of shareho by promoter a	

	2		बैंक द्वारा ली गई प्राथमिक (यदि कोई हो):	ज्यां जमानत प्रतिभ <u>ू</u> ति	नेयों का ब्यौरा
	3		(क) प्राथमिक प्रतिभूतियां	(ख) जमानत प्रतिभूवि	 तेयोंः
	4				
	5				
	6				
	(कृपया अलग से ब्यौरा र	नंलग्न करें)			
9	ऋण सुविधा से संबद्ध सं	घ का नाम (यदि कोई ह	ो) तथा पूरा पता, संपर्क ब्यौ	रा एवं ई–मेलः	
9 a)	पता (पिन कोड के साथ)	:			
9 b)	संपर्क का ब्यौराः				
9 c)	ई-मेल पताः				
ऋण गा	रंटी के लिए शाखा प्रमुख	का अनुरोधः			
उपयुक्त	सूचना को ध्यान में रखते	हुए, हम किसान – उत्प	ादक कंपनी को	रूपए (	रूपए) की
ऋण सुविधा के विरूद्ध ऋण गारंटी की रकम के लिए अनुरोध करते हैं (आपके अवलोकन एवं अभिलेख के लिए स्वीकृति पत्र					
	लिपि तथा सक्षम प्राधिकारी	C1	ग टिप्पणी सलंग्न है)।		
हम इस	बात की भी पुष्टि करते हैं		o "		
1.	<ol> <li>हमने प्रवर्तकों के संबंध में केवाईसी मानदंड का पालन किया है।</li> <li>स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी तथा शाखा द्वारा तकनीकी संभाव्यता एवं आर्थिक व्यवहार्यता से/संबंधित परियोजना के</li> </ol>				
2.	स्वाकृत करन वाल प्रााधव पहलुओं को ध्यान में रख		कनीको सभाव्यता एव आथिव	क व्यवहायता स⁄सब	धित परियाजना क
3.	•		नंघ को यूनिट की प्रगति, बैं	क के बकारों की तस	ली तथा खाते की
J.	वर्तमान स्थिति के बारे में		ाय पर्रा पूर्वा ८ पर्रा प्रभात, प	या या ययाचा या यस्	्या समा जास प्रा
4.	हम योजना की शर्तों एवं		का वचन देते हैं।		
तारीख					
			शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर	•	
			नाम		
			पदनाम		
			•••••		
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
			   आचंलिक कार्यालय में अधि	ोकत व्यक्ति का इस्त	ਲਿਵ
			नाम	•	
			पदनाम		
अनुलग्न	कों की सूचीः				
<b>1</b> . बैंक	के मूल पत्र शीर्षपर प्रेषित	5. किसान – उत्पादक	कंपनी के मूल पत्र शीर्षपर	9. शेयर धारकों की	सूची जिसकी
करने	की तारीख एवं संख्या	बैंक प्रबंधक को संबो	धित प्रवर्तक का अनुरोध	प्रवर्तक एवं बैंक ह	द्वारा पुष्टि की गई
	गथ मांगी गई सी जी	पत्र		है	
	पशि के लिए सिफारिष				
	के प्रत्येक पृष्ठ पर शाखा				
	क द्वारा विधिवत रूप से				
हस्ता	क्षर किया गया है।				

2. Sanction letter of sanctioning authority addressed to recommending branch.	6. Implementation Schedule confirmed by the bank.	10. Affidavit of promoters that they have not availed CGC from any other institution for sanctioned Credit Facility.
3. Bank's approved Appraisal/Process note bearing signature of sanctioning authority.	7. Up-to-date statement of account of Term loan and Cash Credit (if Sanctioned).	11. Field inspection report of Bank official as on recent date.
4. Potential Impact on small farmer producers 1. Social Impact, 2. Environmental Impact 3. Risk Analysis	8. a). Equity Certificate, C.A/CS certificate/RCS certificate b). FORM-2, FORM-5 and FORM-23 filed with ROC for Company/RCS.	* Pin Code at Column No. 1. a), 2. b), 2. c), 4. a) and 9. a) is Mandatory

2. संस्तुत करने वाली शाखा को संबोधित स्वीकृति प्राधिकारी का स्वीकृति पत्र।	6. कार्यान्वयन अनुसूची जिसकी बैंक द्वारा पुष्टि की गई है	10. प्रवर्तकों की ओर से इस आषय का हलफनामा कि उन्होंने स्वीकृत ऋण सुविधा के लिए किसी अन्य संस्था से सी जी सी प्राप्त नहीं किया है
<ol> <li>बैंक द्वारा अनुमोदित मूल्याकंन / प्रसंस्करण टिप्पणी जिस पर स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर हैं।</li> </ol>	7. साविधि ऋण एवं नकद ऋण के खाते का अद्दतन विवरण (यदि स्वीकृत किया गया है)	11. हाल की तारीख को बैंक के अधिकारी द्वारा किए गए क्षेत्र की निरीक्षण रिपोर्ट
<ol> <li>छोटे किसान उत्पादकों पर संभावित प्रभाव</li> <li>सामाजिक प्रभाव</li> <li>पर्यावरणीय प्रभाव</li> <li>जोखिम विश्लेषण</li> </ol>	8. (क) शेयर पूंजी प्रमाण पत्र, सी ए / सी एस प्रमाण पत्र / आर सी एस प्रमाण पत्र (ख) फार्म 2, फार्म 5 तथा फार्म 23 जिसे कंपनी / आर सी ई एस के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया गया है।	*कॉलम संख्या 1क, 2ख, 2ग, 4क एवं 9क में पिन कोड का उल्लेख करना अनिवार्य है

## Annexure 4: Agreement to be executed by Lending Institution/s with SFAC

day) of (year)				
	(Name of <b>Bank</b> ), <b>Bank</b> ), having it's registered			
Small Farmers' Agr a society registered Act 1860, having i Auditorium Building Area, August Kranti	s assignees) as first party, and ibusiness Consortium(SFAC), under Societies Registration ts registered office at NCUI g, 5th Floor, 3, Siri Institutional Marg, Hauz Khas, New Delhiter called "SFAC" as second			

Whereas SFAC is a Developmental Institution with its core aims and objectives focused on supporting small & marginal farmers 'organizations; SFAC deals with agriculture in its wider connotation, including agri-allied activities;

And Whereas **Bank** in furtherance of its desire to play an active role in promoting quality investments in the agri business sector is agreeable to provide/has provided collateral free lending to------(Name of FPC) and is desirous of seeking Guarantee Cover from SFAC under EGCGFS.

In consideration of the Credit Guarantee Fund of Small Farmers Agri Business Consortium (hereinafter referred to as "SFAC" which expression shall, unless repugnant to the context, also include its successors and assigns), agreeing to guarantee under the Equity (a copy whereof is hereto annexed and which is hereinafter referred to as "the Scheme"), certain credit facilities specified below granted by **Bank** to ------ (Name of FPC), which is an eligible borrower as per the Scheme.

DETAILS OF TERM/WORKING CAPITAL/COMPOSITE CREDIT FACILITY to be given

**Bank** viz \_\_\_\_\_\_, does hereby enter into Agreement with SFAC as follows:

- That the provisions of this Undertaking shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of the Scheme and the guidelines and instructions issued by SFAC from time to time.
- 2. That the provisions of the Scheme and such modifications as may be made thereto from time to time shall be deemed to be incorporated in this Undertaking and shall be binding on **Bank**, in so far they relate to the credit facilities granted by **Bank** to -------Borrower.
- That the provisions of the Scheme and this Agreement shall be applicable to the Credit Facility/ies for which Guarantee Cover has been sanctioned by SFAC to **Bank** under the Scheme.
- 4. That **Bank** shall claim the benefit of the Guarantee under the Scheme only in respect of the Credit Facility/ies specified herein, and to the extent provided, and that **Bank** shall for this purpose obtain and preserve affidavits or other documents from the ------(Borrower) or otherwise satisfy itself by reference to the Borrowers' books of account or other records that the Borrower in respect of whom the benefit of the Guarantee has been or is to be provided by SFAC is eligible for the Guarantee under the Scheme.
- 5. That **Bank** agrees that if the Borrower ceases to be so eligible, it shall, in accordance with and subject to the provisions of the Scheme, be excluded from the benefit of any guarantee and that for this purpose, **Bank** shall obtain from the Borrower at such intervals as may be required by SFAC, such information /declarations as may be deemed necessary.

### अनुबंध 4: लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के साथ ऋणदाता संस्था (संस्थाओं) द्वारा किया जाने वाला करार

यह करार प्रथम पक्षकार के रूप में
(बैंक का नाम) (इसके बाद यहां आगे "बैंक" कहा गया है),
जिसका पंजीकृत कार्यालय
में है (जिसमें इसके
समनुदेशिती शामिल हैं) तथा द्वितीय पक्षकार के रूप में लघु
कृषक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी), जो सोसायटी
पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी है
तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय एन सी यू आई, ऑडिटोरियम
बिल्डिंग, पांचवां तल, 3, सीरी संस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति
मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110 016 में है (इसके बाद
यहां आगे "लघु कृषक कृषि व्यापार संघ" कहा गया है) के
बीच आज दिनांक को निष्पादित
किया जाता है।

जबिक लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एक विकास संस्था है तथा इसका मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों तथा किसान — उत्पादक संघों की सहायता करना हैय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ कृषि संबद्ध गतिविधियों समेत व्यापक अर्थ में कृषि से संबंधित काम देखता हैय

प्रदान किए जाने वाले सावधि ऋण / कार्यशील	पूंजी /
संयुक्त ऋण सुविधा का ब्यौरा	
बैंक अर्थात	
एततद्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के साथ ी	निम्नानुसार
करार करता है:	

- यह कि वचनपत्र के प्रावधान लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा समय – समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं अनुदेशों तथा योजना के प्रावधानों के अलावा होंगे तथा वे इनके प्रतिकूल नहीं होंगे।
- यह कि इस योजना के प्रावधान तथा ऐसे संशोधन जो समय — समय पर इसमें किए जा सकते हैं, इस वचनपत्र में समाविष्ट किए गए समझे जाएंगे तथा बैंक द्वारा ........ ...... ऋणग्राही को प्रदान की गई ऋण सुविधाओं के संबंध में वे बैंक के लिए बाध्यकारी होंगे।
- उ. यह कि योजना तथा इस करार के प्रावधान ऐसी ऋण सुविधा / सुविधाओं पर लागू होंगे जिनके लिए योजना के तहत बैंक को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा गारंटी की रकम स्वीकृत की गई है।
- उ. यह कि बैंक इस बात से सहमत है कि यदि ऋणग्राही की पात्रता समाप्त हो जाती है, तो यह योजना के प्रावधानों के अनुसरण में तथा प्रावधानों के अधीन किसी गारंटी के लाभ से बाहर हो जाएगा और यह कि इस प्रयोजन के लिए बैंक ऋणग्राही से ऐसे अंतराल पर जिसकी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा अपेक्षा की जा सकती है, ऐसी सूचनाएं / घोषणाएं प्राप्त करेगा जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है।

- 6. That the books of accounts, ledgers and other documents relating to guaranteed Credit Facilities, covered by the Scheme shall, as far as may be practicable, be segregated and maintained in a proper manner so as to facilitate such scrutiny or inspection as may be undertaken by Small Farmers' Agri-business Consortium (SFAC) or by any other person nominated by SFAC in this behalf.
- 7. That **Bank** shall make available to the Officers of SFAC or of any agency which may be specified by SFAC in this behalf, as the case may be, all its books and records and provide such other facilities as may be required for such scrutiny and inspection.
- 8. That **Bank** shall furnish to SFAC a statement in a form and manner required by the SFAC, showing the outstanding balances with breakup of principal and interest / other expenses details in respect of the guaranteed credit facility covered under the Scheme, as and when required by SFAC.
- That **Bank** shall furnish to SFAC thereafter such statements or information as the SFAC may require about the Credit Facility/ies in such form and manner, and at such intervals, as may be required by SFAC.
- 10. That in order to enable SFAC to ascertain whether a Claim made on it is on account of Credit Facility which has been so covered, **Bank** shall preserve in good order the detailed statement or statements required thereof as also the relevant documents relating to the Credit Facility.
- 11. That **Bank** shall, in respect of the Credit Facility, exercise due diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of SFAC.
- 12. That for invoking the guarantee, **Bank** undertakes to submit to SFAC an Application in such form as may be specified by SFAC and furnish such other information as may be required of us by SFAC.
- 13. That **Bank** shall secure for the SFAC or its appointed agency the right to inspect the business and factory premises and books of account of the Borrower if and when considered necessary by SFAC.

- 14. That **Bank** shall secure for SFAC or its appointed agency the right to list the Defaulted Borrowers name and particulars on the website of SFAC.
- 15. That notwithstanding anything to the contrary contained in the Scheme, if any loss occurs in respect of the Credit Facility due to actions / decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by SFAC, or if any misrepresentation or concealment of facts is found leading to undue favour to the concerned FPC, **Bank** shall not make and shall not also be entitled to any claim on SFAC in respect of the said Credit Facility.
- 16. That all applications, documents, receipts, statements and other papers shall be signed on behalf of **Bank** by the Chief Executive Officer or by other persons in its employment authorised by **Bank** to sign all such applications, documents, receipts, statements and other papers and that any irregularity in the signature, or want of authority of the persons so signing shall not in any way affect or prejudice the rights of SFAC or affect **Bank** liability in respect thereof.
- 17. That all data, including applications, periodical returns, funds transfer, updated or transferred to the Trust in the electronic form, shall be deemed to be signed on behalf of **Bank** by the Chief Executive Officer or by other persons in our employment who shall be deemed to be authorised by **Bank** to sign all such applications, documents, receipts, statements and other papers and that any irregularity in the use of member-id, or want of authority of the persons so signing shall not in any way affect or prejudice the rights of SFAC or affect **Bank**'s liability in respect thereof.
- 18. That **Bank** shall introduce and follow such Accounting arrangements as may be necessary or as may be required by SFAC or take such other steps as may be necessary or expedient for protecting its interests in respect of the outstanding balances on account of Credit Facilities in regard to which SFAC's guarantee is invoked by it.

- 6. यह कि जहां तक संभव हो सकता है, योजना के तहत शामिल गारंटीकृत ऋण सुविधाओं से संबंधित लेखा बिहयों, लेजर तथा अन्य दस्तावेजों को अलग किया जाएगा तथा उनका समुचित ढंग से रखरखाव किया जाएगा ताकि ऐसी संवीक्षा या निरीक्षण में सहायता प्रदान की जा सके जो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा अथवा इस संबंध में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।
- 7. यह कि बैंक यथास्थिति लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के अधिकारियों को या इस संबंध में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा विनिर्दिष्ट किसी एजेंसी के अधिकारियों को सभी बिहयां एवं अभिलेख उपलब्ध कराएगा तथा ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा जिनकी इस प्रकार की संवीक्षा एवं निरीक्षण के लिए जरूरत पड़ सकती है।
- 8. यह कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा जब भी जरूरत होगी, बैंक लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा अपेक्षित ढंग से एवं प्रारूप में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें योजना के तहत शामिल गारंटीकृत ऋण सुविधा के संबंध में मूलधन तथा ब्याज / अन्य व्यय के ब्यौरों के साथ बकाया शेष राशि प्रदर्शित की जाएगी।
- 9. यह कि बैंक इसके पश्चात लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को ऐसे ढंग से एवं प्रारूप में तथा ऐसे अंतराल पर, जो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा निर्धारित हो सकता है, ऋण सुविधा / सुविधाओं के बारे में ऐसे विवरण या सूचनाएं प्रस्तुत करेगा, जिसकी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को जरूरत हो सकती है।
- 10. यह कि इस बात का सुनिश्चय करने में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को समर्थ बनाने के लिए कि उस पर जो दावा किया गया है वह ऐसी ऋण सुविधा के लिए है जिसे इस प्रकार शामिल किया गया है, बैंक इस संबंध में अपेक्षित विवरण या विवरणों तथा ऋण सुविधा से संबंधित संगत दस्तावेजों का ब्यौरा अच्छी स्थिति में रखेगा।
- 11. यह कि बैंक ऋण सुविधा के संबंध में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के हित की रक्षा करने और बकाया राशि की वसूली करने में समुचित सावधानी का प्रयोग करेगा।
- 12. यह कि गारंटी का लागू करने के लिए बैंक लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में एक आवेदन लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के पास जमा करने और ऐसी सूचनाएं प्रस्तुत करने का वचन देता है, जिसकी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा हमसे अपेक्षा हो सकती है।
- 13. यह कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ या इसके द्वारा नियुक्त एजेंसी के लिए बैंक ऋणग्राही के कारोबार एवं कारखाना परिसरों तथा खाता बहियों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त करेगा, यदि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा ऐसा आवश्यक समझा जाता है।

- 14. यह कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ या इसके द्वारा नियुक्त एजेंसी के लिए बैंक लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की वेबसाइट पर चूककर्ता ऋणग्राहियों के नाम की सूची तथा ब्यौरा डालने का अधिकार प्राप्त करेगा।
- 15. यह कि इस योजना में कोई प्रतिकूल बात होने के बावजूद, यिद लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत या इनके उल्लंघन में लिए गए निर्णयों / की गई कार्रवाइयों के कारण ऋण सुविधा के संबंध में कोई नुकसान होता है या यिद ऐसा पाया जाता है कि संबंधित किसान उत्पादक कंपनी को अनुचित अनुग्रह प्रदान करने के लिए कोई दुर्विनियोजन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, तो उक्त ऋण सुविधा के संबंध में बैंक लघु कृषक कृषि व्यापार संघ पर कोई दावा नहीं करेगा और दावा करने का पात्र भी नहीं होगा।
- 16. यह कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा या ऐसे सभी आवेदनों, दस्तावेजों, रसीदों, विवरणों तथा अन्य कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने नियोजन में बैंक द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बैंक की ओर से सभी आवेदनों, दस्तावेजों, रसीदों, विवरणों एवं अन्य कागजातों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह कि हस्ताक्षर में किसी अनियमितता से या इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार न होने से इस संबंध में बैंक की देयता किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगी या लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के अधिकार किसी रूप में प्रभावित नहीं होंगे या उन पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 17. यह कि सभी डेटा, जिसमें आवेदन, आविधक विवरणियां, निधियों का अंतरण, अद्यतनीकृत या इलेक्ट्रानिक रूप में न्यास को अंतरित निधि अंतरण शामिल हैं, बैंक की ओर से मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा या हमारे नियोजन में अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित समझे जाएंगे, जिन्हें ऐसे सभी आवेदनों, दस्तावेजों, रसीदों, विवरणों तथा अन्य कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए बैंक द्वारा अधिकृत माना जाएगा और यह कि सदस्यता पहचान पत्र के प्रयोग में किसी अनियमितता से या इस प्रकार से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के पास प्राधिकार न होने से लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के अधिकार किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होंगे या उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा अथवा इस संबंध में बैंक की देयता प्रभावित नहीं होगी।
- 18. यह कि बैंक लेखाकरण की ऐसी व्यवस्थाएं शुरू करेगा या अनुसरण करेगा जो आवश्यक हो सकती हैं या लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा अपेक्षित हो सकती हैं अथवा ऐसे अन्य आवश्यक कदम उठाएगा जो ऐसी ऋण सुविधा के कारण बकाया राशि के संबंध में इसके हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकते हैं या उचित हो सकते हैं जिनके संबंध में उसके द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की गारंटी का लागू किया गया है।

#### 19. Guarantee Fee

- ii. The Fee shall be paid upfront to SFAC by **Bank**. The payment shall be made within 30 days from date of approval of the Guarantee or such date as specified by SFAC, failing which the Guarantee is liable to become void unless and until its continuance is specifically approved by SFAC.
- iii. As on the date of payment of Guarantee Fee, **Bank** shall certify that:
  - a). Any dues of the FPC Borrower to the lending institution have not become overdue and/or is not an overdue/NPA credit facility taken over and/or /is not a Credit Facility which has been rescheduled or restructured on becoming overdue
  - b). The business or activity of the borrower for which the credit facility was granted has not ceased
  - c). The credit facility has not been utilized, wholly or partly, for adjustment of any debts deemed bad or doubtful of recovery.

#### 20. Annual Service Fee

- i. In addition to one time Guarantee Fee, an Annual Service Fee of Rs.----- per annum or such other rate or limit as may be decided from time to time per loan account shall be paid by **Bank** to keep the Guarantee of SFAC live.
- ii. The decision of passing on the incidence of Guarantee Fee and Annual Service Fee to the Borrower is left to the discretion of **Bank**.
- iii. The Annual Service Fee should be paid by the 31stof May each year. The fee for the last year of the tenure of the Guarantee Cover shall be paid on pro rata basis for the period till the date of expiry of guarantee.
- iv. In the event of non-payment of Annual Service Fee by the due date, the Guarantee under the

- Scheme shall not be available to **Bank** unless SFAC agrees for continuance of Guarantee and **Bank** pays penal interest on the Annual Service Fee due at a rate of -----% per annum, which is 1% above the rate charged by the **Bank** on the Credit Facility, or at such rate as is specified by SFAC from time to time, for the period of delay. The Guarantee shall stand restored on receipt of such payment and shall be deemed to have been in continuance without break.
- v. Provided further that in the event of nonpayment of Annual Service Fee within the stipulated time or such extended time as may be requested by **Bank** and allowed on such terms that may be agreed to by SFAC, liability of SFAC to guarantee such credit facility shall lapse in respect of credit facility against which the Annual Service Fee is due and not paid,
- vi. Provided further that, SFAC may consider renewal of Guarantee Cover for such credit facility, the Cover for which has ceased, upon such terms and conditions as SFAC may decide.
- vii. In the event of any error or discrepancy being found in the computation of the amounts or in the calculation of the Guarantee Fee / Annual Service Fee, or any shortfall in payment by **Bank**, if subsequently identified, such deficiency/ shortfall shall be paid by **Bank** to SFAC.
- viii. Any amount found to have been paid in excess by the **Bank** to SFAC shall be refunded by SFAC. In the event of any representation made by the lending institution in this regard, SFAC shall take a decision based on the available information with it and the clarifications received from the lending institution, and its decision shall be final and binding on the lending institution.
- ix. The Guarantee Fee and / or Annual Service Fee once paid by the lending institution to SFAC are non-refundable.

#### 21. Responsibilities of Bank

**Bank** shall: i. Certify that the Credit Facility has been sanctioned without any Collateral.

# 19. गारंटी शुल्क

- i. बैंक अधिकतम 85,000 रूपए (पिचासी हजार रूपए मात्र) के अधीन स्वीकृत ऋण सुविधा के 0.85 प्रतिशत की दर से परिगणित एक बारगी गारंटी शुल्क के रूप में योजना के तहत ......(ऋणग्राही किसान — उत्पादक कंपनी का नाम) को मंजूर की गई ऋण सुविधा के संबंध में ......रूपए ......(शब्दों में) की गारंटीकृत रकम के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को देय शुल्क का भुगतान करेगा।
- ii. बैंक द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को शुल्क का सीधे भुगतान किया जाएगा। भुगतान गारंटी के अनुमोदन की तारीख से 30 दिन के अंदर या लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक किया जाएगा तथा ऐसा न होने पर गारंटी की रकम निरस्त हो सकती है, जब तक कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा विशिष्ट रूप से इसकी सततता को अनुमोदित नहीं किया जाता है।
- iii. गारंटी शुल्क के भुगतान की तारीख को बैंक प्रमाणित करेगा कि:
  - (क) ऋणग्राही किसान उत्पादक कंपनी पर ऋणदाता संस्था की बकाया कोई राशिअतिदेय नहीं हुई है और / या किसी अतिदेय / एन पी ए ऋण सुविधा का अधिग्रहण नहीं किया गया है और / या यह ऐसी ऋण सुविधा नहीं है जिसे अतिदेय हो जाने पर पुनः अनुसूचित या पुनर्गठित किया गया है।
  - (ख) ऋणग्राही के जिस कारोबार या गतिविधि के लिए ऋण सुविधा मंजूर की गई थी वह बंद नहीं हुई है।
  - (ग) ऐसे किसी ऋण के समायोजन के लिए, जिसे वसूली के लिए अशोध्य या संदिग्ध माना गया है, ऋण सुविधा का पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रयोग नहीं किया गया है।

# 20 वार्षिक सेवा शुल्क

- ii. ऋणग्राही पर गारंटी शुल्क तथा वार्षिक सेवा शुल्क हस्तांतरित करने की घटना पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी बैंक के विवेक पर छोड़ दी गई है।
- iii. वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान हर साल 31 मई तक किया जाना चाहिए। गारंटी की रकम की अवधि के आखिरी वर्ष के लिए शुल्क का भुगतान गारंटी के समाप्त होने की तारीख तक की अवधि के लिए यथा अनुपात पर किया जाएगा।
- iv. नियत तिथि तक वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान न किए जाने की स्थिति में इस योजना के तहत गारंटी बैंक को

- v. यह भी कि निर्धारित समय के अंदर या बैंक के अनुरोध पर तथा ऐसी शर्तों पेर जिन पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है, बढ़ाई गई अविध के अंदर वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान न होने की स्थिति में ऐसी ऋण सुविधा को गारंटी करने संबंधी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की देयता उस ऋण सुविधा के संबंध में समाप्त हो जाएगी जिसके विरूद्ध वार्षिक सेवा शुल्क बकाया है तथ भुगतान नहीं किया गया है।
- vi. यह भी कि ऐसी शर्तों एवं नियमों ए जिन पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ऐसी ऋण सुविधा के लिए गारंटी की रकम के नवीकरण पर विचार कर सकता है, जिसके लिए गारंटी समाप्त हो गई है।
- vii. धनराशि की गणना में या गारंटी शुल्क / वार्षिक सेवा शुल्क की गणना में किसी त्रुटि या विसंगति के पाए जाने पर या बैंक द्वारा भुगतान में किसी कमी की भविष्य में पहचान होने पर, बैंक द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को ऐसी विसंगति / कमी का भुगतान किया जाएगा।
- viii. यदि ऐसा पाया जाता है कि बैंक द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है, तो उसे लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा लौटाया जाएगा। इस संबंध में ऋणदाता संस्था द्वारा कोई अभ्यावेदन दिए जाने की स्थिति में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ अपने पास उपलब्ध सूचनाओं तथा ऋणदाता संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम एवं ऋणदाता संस्था के लिए बाध्यकारी होगा।
- ix. ऋणदाता संस्था द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को भुगतान किया गया गारंटी शुल्क और / या वार्षिक सेवा शुल्क अप्रतिदेय है।

#### 21 बैंक की जिम्मेदारियां

बैंक निम्नलिखित कार्य करेगाः

- प्रमाणित करना कि ऋण सुविधा किसी जमानत के बिना स्वीकृत की गई है।
- ii. गारंटी की रकम के लिए आवेदन के साथ मूल्यांकन टिप्पणी संलग्न करना।

- Enclose Appraisal Note with the Application for Guarantee Cover.
- iii. Carry out processing, legal work and documentation for sanction of the loan in accordance with the requirements of the **Bank** and the terms & conditions of SFAC.
- iv. Furnish such Statements and Information, documents, receipts, certificates as SFAC may require in connection with credit facility.
- v. Certify that /be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other written Documents are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the lending institution or any officer thereof for anything done in good faith.
- vi. Monitor the borrower account and maintain records of periodical monitoring and actions initiated on observations, if any.
- i. Safeguard the Primary Securities taken over by it, if any, from the Borrower.
- ii. Bank shall be bound to comply with such directions as SFAC may deem fit to issue from time to time, for facilitating recoveries of the guaranteed account, or safeguarding its interest as a guarantor.
- iii. **Bank** shall, in particular, refrain from any act either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of SFAC as the auarantor.
- iv. **Bank** shall intimate in advance to SFAC its intention to enter into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of primary security.
- v. **Bank** shall also ensure through an Agreement with the Borrower that the borrower shall not create any charge on the assets held as primary security for the credit facilities covered by the Guarantee with itself, or in favour of any other creditor(s) without seeking prior permission of SFAC.

#### 22. Invocation of Guarantee

**Bank** shall invoke the Guarantee in respect of Credit Facility within a maximum period of one year from date of NPA, if the following conditions are satisfied:

 The Claim must be forwarded to the SFAC/Fund through the Zonal Office / authorised office/ person of **Bank** as communicated to SFAC

- ii. Guarantee in respect of the Credit Facility is in force at the time of account turning NPA.
- iii. Dues have been classified by **Bank** as Non Performing Assets
- iv. Provided that SFAC reserves the right to refuse the Claim, if the loss in respect of the said Credit Facility in its opinion had occurred owing to Guidelines not having been strictly followed by **Bank**/ or if any misrepresentation or concealment of facts is found leading to undue favour to the concerned FPC.

#### v. The Guarantee shall be effective

- a). If SFAC and **Bank** are convinced that the FPC has suffered genuine business losses, which may include crop/ asset losses by the members, and the gravity and impact of such losses is assessed jointly or by independent assessment or by the **Bank** as may be mutually agreed between SFAC and **Bank** on a case by case basis and the FPC is not in a position to repay dues under any circumstances including restructuring/rephasing/rescheduling the loan.
- b). for such amounts as may be written off or interest waived from the credit facility by the Bank with intimation to SFAC as a result of the business failure of the FPC
- c). In all other cases
- Only when proceedings for recovery have been initiated by **Bank**.
- The responsibility of recovery of the dues shall rest with **Bank**.

#### 23. Claim Settlement

- Only such Claim as is preferred by **Bank** on the Defaulted account, which has become NPA, within a maximum period of one year from date of NPA or as specified by SFAC from time to time, shall be considered.
- ii. Fund shall honour 75 per cent of the Guaranteed Amount in Default subject to maximum of 75 per cent of the guaranteed cap amount, on preferring of claim by **Bank** where appropriate action for recovery has been initiated.
- iii. Balance 25 per cent of the defaults or quaranteed

- iii. बैंक की अपेक्षाओं के अनुसरण में तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की शर्तों एवं नियमों के अनुसार ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रसंस्करण, कानूनी कार्य एवं प्रलेखन का कार्य करना।
- iv. ऐसे विवरण एवं सूचनाएं, दस्तावेज, रसीदे, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना जिनकी ऋण सुविधा के सिलसिले में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को जरूरत हो सकती है।
- v. प्रमाणित करना / अभिपुश्ट के रूप में समझना कि ऐसे दस्तावेजों, रसीदों, प्रमाणपत्रों एवं अन्य लिखित दस्तावेजों की अंतर्वस्तुएं सही हैं परंतु सदाषयता में किए गए किसी कार्य के लिए किसी दावे को अस्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए ऋणदाता संस्था या इसके किसी अधिकारी पर कोई देयता शामिल नहीं की जाएगी।
- vi. ऋणग्राही के खाते की निगरानी करना और आवधिक निगरानी तथा प्रेक्षण पर शुरू की गई कार्रवाइयों का अभिलेख रखना, यदि कोई हो।
- i. ऋणग्राही से प्राप्त की गई प्राथमिक प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, की रक्षा करना।
- ii. बैंक गारंटीकृत रकम की वसूली में सुविधा प्रदान करने या गारंटर के रूप में इसके हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे निर्देषों का पालन करने के लिए बाध्य होगा जिन्हें लघु कृषक कृषि व्यापार संघ समय – समय पर जारी करने के लिए उपयुक्त समझ सकता है।
- iii. बैंक विशेष रूप से गारंटी का लागू करने से पूर्व या लागू करने के बाद ऐसे किसी कार्य से बचेगा जो गारंटर के रूप में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- iv. बैंक ऐसा कोई समझौता या व्यवस्था करने के अपने इरादे के बारे में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को अग्रिम में सूचित करेगा, जिसका प्राथमिक प्रतिभूति की रिहायी या छूट पर प्रभाव हो सकता है।
- v. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की पूर्वानुमित लिए बगैर बैंक ऋणग्राही के साथ करार के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऋणग्राही गारंटी द्वारा शामिल ऋण सुविधाओं के लिए प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में धारित परिसंपत्तियों पर अपने लिए या किसी अन्य ऋणदाता (ऋणदाताओं) के पक्ष में किसी प्रभार का सृजन नहीं करेगा।

# 22. गारंटी का लागू करना

बैंक एन पी ए की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अंदर ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी का लागू करेगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

i. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ / निधि को दावा आंचलिक कार्यालय / अधिकृत कार्यालय / लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को यथा सूचित बैंक के व्यक्ति के माध्यम से अग्रेशित किया जाता है।

- ii. ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी खाते के एन पी ए में परिवर्तित होने के समय से लागू होती है।
- iii. बैंक द्वारा बकाया राशि को एन.पी.ए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iv. परंतु यह कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ दावे को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उसकी राय में उक्त ऋण सुविधा के संबंध में घाटा इस वजह से हुआ है कि बैंक द्वारा दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है या यदि ऐसा पाया जाता है कि संबंधित किसान उत्पादक कंपनी को अनुचित अनुग्रह प्रदान करने के लिए कोई दुर्विनियोजन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है।

#### v. गारंटी प्रभावी होगी -

- (क) यदि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं बैंक को इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि किसान उत्पादक कंपनी को सही मायने में कारोबार में घाटा हुआ है, जिसमें सदस्यों द्वारा फसल / परिसंपत्ति का नुकसान शामिल है, तथा ऐसे घाटे की गंभीरता एवं प्रभाव का मूल्यांकन मामला दर मामला आधार पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं बैंक के बीच परस्पर सहमत ढंग से स्वतंत्र मूल्यांकन द्वारा या बैंक द्वारा या संयुक्त रूप से किया जाता है, तथा किसान उत्पादक कंपनी किसी भी परिस्थिति में बकाया को चुकता करने की स्थिति में नहीं है, जिसमें ऋण का पुनर्गटन / पुनः निर्धारण/पुनः अनुसूचीकरण शामिल है।
- (ख) ऐसी राशियों के लिए जिन्हें बट्टे खाते में डाला जा सकता है या सभी अन्य मामलों में जिसमें किसान — उत्पादक कंपनी के कारोबार के असफल हो जाने के कारण लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को सूचित करते हुए पात्र ऋणदाता संस्था द्वारा ऋण सुविधा से माफ किए गए ब्याज के लिए।
- (ग) अन्य सभी मामलों में:
- केवल तभी जब वसूली के लिए कार्यवाही बैंक द्वारा शुरू की गई है।
- बकाया की वसूली की जिम्मेदारी बैंक की होगी

#### 23. दावे का निपटारा

- i. केवल ऐसे दावे पर विचार किया जाएगा जिसे एन पी ए की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अंदर या लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा समय — समय पर निर्दिष्ट अवधि के अंदर बैंक द्वारा चुककर्ता खाते पर प्रस्तुत किया जाता है।
- ii. बैंक द्वारा दावा प्रस्तुत किए जाने पर, जहां वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है वहां निधि अधिकतम गारंटीकृत राशि के अधिक से अधिक 75 प्रतिशत के अधीन गारंटीकृत चूक राशि के 75 प्रतिशत का भुगतान करेगी।
- iii. यथा स्थिति चूक या गारंटीकृत अधिकतम राशि के शेष25 प्रतिशत का भुगतान बैंक द्वारा वसूली की कार्रवाई समाप्त होने पर किया जाएगा।

- cap amount, as the case may be, shall be paid on conclusion of recovery proceedings by the **Bank**.
- iv. Subject to the Claim being otherwise found in order and complete in all respects, SFAC shall pay the **Bank** eligible claim within 90 days.
- v. The outstanding dues of the FPC to **Bank** shall be reduced to the extent of the Amount of Claim settled by SFAC.
- **vi. Bank** shall continue to make efforts to realise the balance amount due even after settlement of Guarantee.

- ix. Once the Claim is paid, SFAC shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the Guarantee in force in respect of the Credit Facility.
- x. Bank shall be liable to refund the Claim released by SFAC together with the penal interest at a Rate of Interest of----% per annum, which is 1% above the Rate of interest at which the Credit Facility has been sanctioned by Bank to ---for the period for which the Claim has been released, if the Guarantee Amount is recalled by SFAC for any reason whatsoever.
- xi. Erroneous duplicate payment of claim by SFAC shall not be construed as recall. However, any duplicate claim by **Bank** and the settlement there against by SFAC shall be Recalled and SFAC reserves the right to recall the entire payment released to **Bank** against the Credit Facility.

# 24. Subrogation of Rights and Recoveries On Account Of Claims Paid

- Details of efforts for recovery, realization and such other information as may be demanded by SFAC from time to time shall be furnished by **Bank**.
- ii. On its own behalf and on behalf of SFAC, **Bank** shall hold lien on assets created out of the Credit Facility extended by the LI to the Borrower.
- iii. The responsibility for the recovery of dues including takeover of assets, sale of assets, etc., shall rest with **Bank**:
- iv. Payments made by Borrower towards any one or more of several distinct and separate debts owed by it to **Bank**, shall be deemed to have been appropriated by **Bank** to the debt covered by the Guarantee and in respect of which a Claim has been preferred and paid, irrespective of the manner of appropriation indicated by such Borrower or the manner in which such payments are actually appropriated.

#### 25. Residual Recovery

SFAC shall have the first claim to Appropriation of the Amount realized by **Bank** before making the final settlement of the Claim in the ratio of 85:15.

#### 26. Termination of SFAC's Liability in Certain Cases

- ii. The liability of SFAC in respect of the Credit Facility granted to ------ by **Bank** shall be limited to the liability of ------ (Borrower) to **Bank** as on the date on which the Borrower becomes ineligible for being granted any Credit Facilities under the Scheme, by reason of cessation of his activity or his activity or his undertaking ceasing

- iv. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ 90 दिन के अंदर बैंक को ऐसे दावे का भुगतान करेगा जो अन्यथा हर दृष्टि से सही एवं पूर्ण पाए जाएंगे।
- v. बैंक पर किसान उत्पादक कंपनी की बकाया राशि को दावे की निपटानराशि की सीमा तक लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा घटाया जाएगा।
- vi. गारंटी के निपटारा के बाद भी बैंक शेष बकाया राशि की वसूली के लिए प्रयास करना जारी रखेगा।

- ix. दावे का भुगतान हो जाने पर यह समझा जाएगा कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ संबंधित ऋण सुविधा के संबंध में प्रभावी गारंटी के कारण अपनी सभी देयताओं से मुक्त हो गया है।
- x. उस अवधि जिसके लिए दावा निर्मुक्त किया गया है, के लिए जिस दर से .......... को बैंक द्वारा ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी उससे 1 प्रतिशत अधिक दांडिक ब्याज की दर के साथ बैंक लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा निर्मुक्त दावे को लौटाने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि किसी भी कारण से लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा गारंटी की रकम की मांग की जाती है।
- xi. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा दावे के त्रुटिपूर्ण / दोहरे भुगतान को वापसी के रूप में नहीं समझा जाएगा। तथापि, बैंक द्वारा किसी दोहरे दावे तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा उसके विरूद्ध निपटारे को वापस लिया जाएगा तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ संदर्भ के अधीन ऋण सुविधा के विरूद्ध बैंक को जारी किए गए समूचे भुगतान को वापस मंगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

### 24. प्रदत्त दावों के कारण प्रतिस्थापन अधिकार एवं वसूलियां

i. बैंक द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को वसूली, बरामदगी के लिए प्रयासों का ब्यौरा तथा ऐसी अन्य सूचनाएं भेजी

- जाएंगी जिसकी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा समय — समय पर मांग की जा सकती है।
- ii. अपनी ओर से तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की ओर से बैंक ऋणग्राही को ऋणदाता संस्था द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधा से सृजित परिसंपत्तियों पर ग्रहणाधिकार बनाए रखेगा।
- iii. परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, परिसंपत्तियों की बिक्री आदि समेत बकाया राशि को वसूलने की जिम्मेदारी बैंक की होगी।
- iv. बैंक से लिए गए अनेक भिन्न—भिन्न एवं अलग ऋणों में से किसी एक या एक से अधिक के लिए किसी ऋणग्राही द्वारा किए गए भुगतान को बैंक द्वारा उस ऋण में विनियोजित के रूप में माना जाएगा जिसे गारंटी के तहत शामिल किया गया है तथा जिसके संबंध में दावा किया गया है तथा भुगतान किया गया है, इस बात के कोई मायने नहीं होते कि ऐसे ऋणग्राही द्वारा विनियोजन के किस ढंग का उल्लेख किया है या किस ढंग से ऐसे भुगतानों का वास्तव में विनियोजन किया जाता है।

# 25. अवशिष्ट वसूली

85:15 के अनुपात में दावे का अंतिम निपटारा करने से पूर्व बैंक द्वारा वसूली गई राशि के विनियोजन पर पहला दावा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का होगा।

# 26. कतिपय मामलों में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की देयता की समाप्ति

- ii. बैंक द्वारा ...... को मंजूर की गई किसी ऋण सुविधा के संबंध में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की देयता उस तारीख को जिसको ऋणग्राही योजना के तहत कोई ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधि / अपने उपक्रम के बंद हो जाने / किसान उत्पादक

to come within the definition of a FPC unit, subject, however, to the limits on the liability of SFAC fixed under this Scheme.

#### 27. Other Conditions

- i. Bank shall be deemed to have understood and accepted the terms & conditions of the Scheme as being legally binding on itself.
- **ii. Bank** shall ensure that the conditions of guaranteed Credit Facility are not in conflict with the provisions of the Scheme.
- iii. Notwithstanding any provision in any other document or contract entered into by **Bank** with regard to Guaranteed Credit Facility, the Provisions /Conditions of the Scheme shall override all such other provisions as if this conditionality had been written in the relevant Document/contract and **Bank** shall in relation to SFAC be bound by the conditions.
- iv. The I & CS Committee reserves the right to reject any proposal where it is of the view that Guidelines have not been strictly adhered to/ or if any misrepresentation or concealment of facts is found leading to undue favour to the concerned FPC.

#### 28. Modifications and Exemptions

- i. SFAC reserves the right to modify, cancel or replace the Scheme in any manner whatsoever that it deems necessary, however so ensuring that the rights or obligations arising out of, or accruing under the Guarantee issued to **Bank** up to the date on which such modification, cancellation or replacement comes into effect, shall not be affected.
- ii. Not withstanding anything contained herein, SFAC shall have the right to alter the Terms and Conditions of the Scheme in regard to the Credit Facility Guaranteed to **Bank** in respect of which Guarantee has not been invoked as on the date of such alteration.
- iii. In the event of the Scheme being cancelled, no Claim shall lie against SFAC in respect of Credit Guarantee

#### 29. Interpretation

The decision of SFAC shall be final in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions or instructions or clarifications given in connection therewith.

#### 30. Supplementary and General Provisions

SFAC may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the Scheme in respect of any matter not specifically provided for in this Scheme. **Bank** shall comply with the same

#### 31. Arbitration

- i. Disputes, if any, arising out of the Agreement shall be resolved through mutual consultation,
- ii. Failing which Arbitration by a sole Arbitrator chosen by **Bank** and SFAC in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall be resorted to.
- iii. The venue of the Arbitration shall be New Delhi.

32. That this Agreement shall take effect from the first day of
33. That the Stamp Duty payable on this Agreement shall be borne by <b>Bank</b> .
For and on behalf of <b>Bank</b> Signature

Designation \_\_\_\_\_\_
Place: \_\_\_\_\_
Date : \_\_\_\_
For and on behalf of SFAC

Signature \_\_\_\_\_\_Name \_\_\_\_\_\_
Designation \_\_\_\_\_

Place :\_\_\_\_\_\_

#### 27. अन्य शर्तें

- यह समझा जाएगा कि बैंक योजना की शर्तों एवं नियमों को समझता है तथा अपने आपको इससे कानूनी तौर पर बाध्य करने के लिए उसने इन्हें स्वीकार किया है।
- बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि गारंटीकृत ऋण सुविधा की शर्तें स्कींम के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं।
- iii. गारंटीकृत ऋण सुविधा के संबंध में बैंक द्वारा की गई संविदा या किसी अन्य दस्तावेज में कोई अन्य प्रावधान होने के बावजूद, योजना के प्रावधान / शर्तें ऐसे सभी अन्य प्रावधानों पर इस तरह अभिभावी होंगी मानो कि ये शर्तें स्मंगत दस्तावेज / संविदा में लिखी गई हैं तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के संबंध में योजना के तहत लगायी गई शर्तों द्वारा बंधे होंगे।
- iv. निवेश एवं दावा निपटारा समिति (आई एंड सी एस सी) ऐसे किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है जहां उसकी यह राय है कि दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है या यदि संबंधित किसान उत्पादक कंपनी को अनुचित समर्थन प्रदान करने के लिए कोई दुर्विनियोजन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है।

## 28. संशोधन एवं छूट

- i. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ किसी भी ढंग से जिसे यह आवश्यक समझे, योजना को संशोधित ए रद्द या प्रतिस्थापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तथापि, इस बात का सुनिश्चय किया जाएगा कि जिस तारीख को ऐसे संशोधन, रद्दकरण या प्रतिस्थापन प्रभावी होते हैं उस तारीख तक बैंक को जारी गारंटी के तहत उत्पन्न या प्रोद्भूत अधिकार या देयताएं प्रभावित न हों।
- ii. इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को बैंक को ऐसी गारंटीकृत ऋण सुविधा के संबंध में योजना की शर्तों एवं नियमों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा, जिसके संबंध में ऐसे परिवर्तन की तारीख को गारंटी लागू नहीं की गई है।
- iii. यदि योजना रद्द हो जाती है, तो ऋण गारंटी के संबंध में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के विरूद्ध कोई दावा नहीं बनेगा।

#### २९. व्याख्या

योजना के किसी भी प्रावधान या इस संबंध में प्रदान किए गए किसी स्पष्टीकरण या जारी की गई किसी हिदायत या निर्देश की व्याख्या के संबंध में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का निर्णय अंतिम होगा।

# 30. पूरक एवं सामान्य प्रावधान

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ऐसे पूरक या अतिरिक्त प्रावधान कर सकता है या ऐसे अनुदेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जो इस योजना में विशिष्ट रूप से किसी मामले के बारे में प्रावधान न होने की स्थिति में योजना के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। बैंक उनका पालन करेगा।

#### 31. पंच फैसला

- करार से उत्पन्न विवादों, यदि कोई हो, का समाधान परस्पर परामर्ष के माध्यम से किया जाएगा।
- ii. और ऐसा न हो पाने पर मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसरण में संबंधित बैंक एवं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा चुने गए एकल मध्यस्थ द्वारा पंच फैसला का सहारा लिया जाएगा।
- iii. पंच फैसला का स्थान नई दिल्ली होगा।

# 32. यह करार ...... की पहली तारीख से प्रभावी होगा।

33. यह कि इस करार पर देय स्टाम्प शुल्क बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

कृते एवं बैंक की ओर से
हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
स्थान
दिनांक
कृते एवं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की ओर से हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
स्थान
0 .

# Annexure 5: Credit Guarantee Fund Application for Invocation of Guarantee Cover and Settlement of Claim under CGF Scheme

In terms of Clause\_\_of Credit Guarantee Fund Scheme, we () hereby invoke our claim on SFAC in Respect of ----- (Name of FPC) and submit the claim application as under:

1.	Claim Application Ref.No	Date:
2.	Details of Lending Branch/Zonal Office:  a) Bank name with code No.  b) Application submitted through Zonal Office (mention name at (i) Lending Branch Name (ii) Village / Town (iii) District (iv) State (v) Tel. No (STD Code) No. (vi) E-mail	nd code No.)
3.	Date of acceptance of proposal for guarantee cover by SFAC a) Date of payment of Guarantee Fee: b) Date of payment of Last Annual Service Fee:	
4.	FPC details a) Name of FPC b) Registered as (PC/CSA/SFCS/MACS/Any other) or c) Date of registration d) Address e) District f) Tel. No. (STD Code) No.	<b> </b>
5.	Status of Accounts (s): a) Date on which a/c was classified as NPA b) Date of reporting of NPA to SFAC c) Reasons for a/c turning NPA d) Date of issue of Recall Notice e) Date of Legal Notice	
6.	<ul> <li>Details of Legal Proceedings:</li> <li>a) Date of initiating recovery proceedings</li> <li>b) Forum through which legal proceedings were initiated against Court/DRT/Lok Adalat/ Revenue Recovery Authority / others (p. Suit/Case Registration No.</li> <li>d) Date</li> <li>e) Name of the Forum and location:</li> </ul>	•

Yes/No

f) Amount Claimed

g) Current Status / Remarks

h) Whether recovery proceedings have concluded?

अनुबंध 5: ऋण गारंटी निधि	
ऋण गारटी निधि योजना के अंतर्ग आवेदन	ति दावे का निपटारा तथा गारंटी की रकम के लागू के लिए
	के अनुसरण में हम ( ) एततद्वारा
1. दावा आवेदन की संदर्भ संख्याः	तारीख:
<ol> <li>ऋणदाता शाखा / आंचलिक कार्यालय (क) बैंक का नाम (कोड संख्या के स (ख) आंचलिक कार्यालय के माध्यम से (i) ऋणडाटा शाखा (ii) गांव / कस्बा (iii) जिला (iv) या (v) टेलीफोन नंबर (एस टी डी (vi) ईमेल</li> </ol>	ाथ) ने जमा किया गया आवेदन (नाम एवं कोड संख्या का उल्लेख करें)
<ol> <li>लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा गारं (क) गारंटी शुल्क के भुगतान की तार्ष (ख) पिछले वार्षिक सेवा शुल्क के भु</li> </ol>	
<ol> <li>किसान — उत्पादक कंपनी का ब्यौराः         <ul> <li>(क) किसान — उत्पादक कंपनी का च</li> <li>(ख)</li></ul></li></ol>	ं / सी एस ए/ एस एफ सी एस / एम ए सी एस / कोई अन्य के रूप में
<ol> <li>खाते की स्थितिः</li> <li>(क) किस तारीख को खाते को एन प्</li> <li>(ख) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को</li> <li>(ग) खाते को एन पी ए में परिवर्तित</li> <li>(घ) लागू नोटिस जारी करने की तार्र (ड.) कानूनी नोटिस की तारीख</li> </ol>	। एन पी ए के बारे में सूचित करने की तारीखः करने के कारण
	के माध्यम से कानूनी कार्यवाही शुरू की गई (कृपया 1 पर निशान लगाए)ः सिविल कि अदालत / राजस्व वसूली प्राधिकरण / अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)ः

(ड.) मंच का नाम एवं स्थानः

(छ) वर्तमान स्थिति / टिप्पणियां:

(ज) क्या वसूली की कार्यवाहियां समाप्त हो गई है?

(च) दावे की राशिः

हां / नहीं

#### 7. Term Loan (TL) Composite Loan Details:

(All amounts to be in Rs.)

S.No	Date of last disbursement	Repaymer	nts	Outstanding as on the date of NPA 3	Outstanding as on the date of being lodged of claim #
		Principal	Interest & Other Charges		

<sup>#-</sup> Mention only Principal and interest outstanding

## 8. Working Capital (WC) Limit Details:

(All amounts to be in Rs.)

S.No	Outstanding as on the date of NPA Principal Interest and other Charges	Outstanding stated in the civil suit / case filed Principal Interest and other charges	Outstanding as on the date of lodgement of claim Principal Interest and other charges

Date of Release WC (in case in new borrowers):	(in case in new borrowers):
--	-----------------------------

## 9. Security & Personal Guarantee Details (if any)

(All amounts to be in Rs.)

Particulars			Reasons for reduction in the value of Security,
	Nature	Value	if any
As on date of Sanction of Credit			
As on date of NPA			
As on date claim lodged			

# 10. Recoveries made from Borrower after A/c classified as NPA (All amounts to be in Rs.)

Date	Term Loan/ Co	mposite Loan	Working Capital	Mode of Recovery@		
	Principal Interest & Other Charges		Amount including interest	Other Charges		

<sup>@-</sup> Please indicate mode such as sale of security, subsidy, and subsidy received after date of NPA, One Time Settlement (OTS) etc.

7. सावधि ऋण / संम्मिश्र ऋण का ब्यौराः

(सभी धनराशियां रूपए में होनी चाहिए)

क्रम संख्या	पिछले संवितरण की तारीख	भुगतान		एन पी ए की तारीख को बकाया राशि रू	दाखिल वाद / मुकदमे में उल्लिखित बकाया राशि रू	दावा दाखिल करने की तारीख को बकाया राशि रू
		मूलधन	ब्याज एवं अन्य प्रभार			

- क्त. केवल मूलधन एवं ब्याज की बकाया राशि का उल्लेख करें।
- 8. कार्यशील पूंजी (डब्ल्यू सी) की सीमा का ब्यौराः

(सभी धनराशियां रूपए में होनी चाहिए)

क्रम संख्या	एन.पी.ए. की तारीख को बकाया राशि (मूलधन, ब्याज एवं अन्य प्रभार)	दाखिल किए गए सिविल वाद / मुकदमें में उल्लिखित बकाया राशि (मूलधन, ब्याज एवं अन्य प्रभार)	दावा दाखिल करने की तारीख को बकाया राशि (मूलधन, ब्याज एवं अन्य प्रभार)

ر ۲		0	\	0	0	,	O /·	\	\	١٠,	
कायशाल	पूजा	जारा	करन	का	ताराख	(नए	ऋणग्राहियों	क	मामल	म)	):

9. प्रतिभूति एवं निजी गारंटी का ब्यौरा (यदि कोई हो):

(सभी धनराशियां रूपए में होनी चाहिए)

विवरण	प्रतिभूति		गारंटर का निबल मूल्य	प्रतिभूति के मूल्य में कटौती के कारण, यदि कोई हो
	स्वरूप	मूल्य		
ऋण स्वीकृत करने की तारीख को				
एन.पी.ए. की तारीख को				
दावा दाखिल करने की तारीख को				

10. खाते के एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत होने के बाद ऋणग्राही से की गई वसूलियांः (सभी धनराशियां रूपए में होनी चाहिए)

तारीख	सावधि ऋण / संम्मिश्र ऋण		कार्यशील पूंजी		वसूली का तरीका @
	मूलधन	ब्याज एवं अन्य प्रभार	ब्याज सहित राशि	अन्य प्रभार	

@कृपया तरीके का उल्लेख करें जैसे कि प्रतिभूति की बिक्री, सब्सिडी तथा एन.पी.ए. की तारीख के बाद प्राप्त सब्सिडी, एक बारगी निपटारा (ओ टी एस) आदि।

#### If recovery is done through OTS, indicate the date of seeking approval of SFAC for OTS

11. Total amount for which Guarantee Claim is being invoked:

(All amounts to be in Rs.)

S.No	Loan / Limit covered under CGF : Outstanding as on date of NPA * Amount Claimed			

<sup>\*</sup>Amount eligible for claim is 85%

- 1. Term / Loan/ Composite Loan: Lower of
  - a) Principal amount outstanding in the account as on the date A/c was classified as NPA after netting off any Repayment / recovery made under the a/c after date of NPA

Or

- b) The TL / Composite Loan covered under the CGF
- 2. Working Capital: Lower of
  - a) Outstanding amount including interest in the account as on the date A/c was classified as NPA after Netting off any repayment / recovery made under the A/c after date of NPA
     Or
  - b) The WC limit covered under the CGF

#### **Declaration and undertaking by LI (Bank / Institution)**

(To be signed by an officer not below the rank of Assistant General Manager of Bank of equivalent rank)

Declaration- We declare that the information given above is true and correct in every respect. We further declare that there has been no fault or negligence on the part of the LI or any its officers in sanction, conduct and follow up of the account. We also declare that the office preferring the claim on behalf of LI is has the authority to lodge the claim. We hereby declare that no fault or negligence has been pointed out by internal/external auditors, inspectors of SFAC or its agency in respect of the Account (s) for which claim is being invoked. Undertaking- we hereby undertake:

- a) To pursue all recovery steps including legal proceedings even after receiving the claim
- b) To report of SFAC the position of outstanding dues from the Borrower on half-yearly basis as on 31st March and 30th September of each year till final settlement of guarantee claim by SFAC.
- c) To refund to SFAC the claim amount settled along with interest thereof at \_\_% specified, if in the view of SFAC we fail or neglect to take any action for recovery of the guaranteed debt from the borrower or any other person from whom the amount is to be recovered.
- d) On payment of claim by SFAC, to remit to SFAC all such recoveries, after adjusting towards the legal expenses incurred for recovery of the amount, which we or our agents acting on our behalf, may make from the person or persons responsible for the administration of debt, or otherwise, in respect of the debt due from him/ them to us.

Signature:	
Name of the official:	Designation:
LI Name & Seal:	
Date:	Place:

# यदि वसूली ओटीएस के माध्यम से की जाती है, तो कृपया बताएं कि ओटीएस के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का अनुमोदन किस तारीख को दिया गया......

11. कुल राशि जिसके लिए गारंटी के दावे का लागू किया जा रहा है:

(सभी धनराशियां रूपए में होनी चाहिए)

क्रम संख्या	सी जी एफ के अंतर्गत शामि	ल ऋण / सीमाः एन पी	ए की तारीख को बकाया	राशि दावा की गई राशि

<sup>\*</sup> दावे के लिए पात्र राशि 85 प्रतिशत

- 1. सावधि ऋण / संयुक्त ऋण जो निम्नलिखित से कम है:
  - क) जिस तारीख को खाता एन पी ए के रूप में वर्गीकृत किया गया उस तारीख को एन पी ए की तारीख के बाद खाते के तहत किसी वसुली / अदायगी के निर्धारण के बाद खाते में बकाया मुलधन

अथवा

- ख) सी जी एफ के अंतर्गत शामिल सावधि ऋण / संयुक्त ऋण
- 2. कार्यशील पूंजी जो निम्नलिखित से कम है:
  - क) जिस तारीख को खाता एन पी ए के रूप में वर्गीकृत किया गया उस तारीख को एन पी ए की तारीख के बाद खाते के तहत किसी वसूली / अदायगी के निर्धारण के बाद खाते में ब्याज सहित बकाया राशि अथवा
  - ख) सी जी एफ के अंतर्गत शामिल कार्यशील पूंजी की सीमा

# ऋणदाता संस्था (बैंक / संस्था) द्वारा घोषणा एवं वचनपत्रः

(इस पर बैंक के ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जिसकी रैंक सहायक महाप्रबंधक या समतुल्य रैंक से कम नहीं होगी) घोषणाः हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई सूचनाएं हर दृष्टि से सही एवं सच्ची हैं। हम यह भी घोषणा करते हैं कि स्वीकृति, संचालन या खाते के अनुवर्तन के संबंध में ऋणदाता संस्था या इसके किसी अधिकारी की ओर से कोई चूक या लापरवाही नहीं हुई है। हम यह भी घोषणा करते हैं कि ऋणदाता संस्था की ओर से दावा करने वाले अधिकारी के पास दावा दाखिल करने का प्राधिकार है। हम एततद्वारा घोषणा करते हैं कि जिस खाते के संबंध में दावे कोलागू किया जा रहा है उसके संबंध में आंतरिक / बाह्य लेखा परीक्षकों, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ या इसके एजेंसी के निरीक्षकों द्वारा किसी चूक या लापरवाही का उल्लेख नहीं किया गया है। वचनपत्रः हम एततद्वारा वचन देते हैं कि:

- क) हम दावा प्राप्त करने के बाद भी कानूनी कार्रवाई समेत वसूली के सभी उपायों का अनुसरण करेंगे।
- ख) हम लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा गारंटी दावे के अंतिम निपटारा तक हर साल 31 मार्च और 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार छमाही आधार पर ऋणग्राही से वसूली गई बकाया राशि की स्थिति के बारे में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को सूचित करेंगे।
- ग) हम .......पितशत की निर्दिष्ट दर से ब्याज के साथ लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को निस्तारित दावा राशि लौटाएंगे, यदि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की राय में हम ऋणग्राही से या किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धनराशि की वसूली की जानी है, गारंटीकृत ऋण की वसूली के लिए कोई कार्रवाई करने में असफल रहते हैं या लापरवाही बरतते हैं।
- घ) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा दावे के भुगतान पर हम राशि की वसूली के लिए किए गए कानूनी व्यय के लिए समायोजन करने के पश्चात् इस प्रकार वसूल की गई सभी राशि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को भेज देंगे, जिसे हम या हमारी ओर से काम करने वाले हमारे एजेंट ऋण के प्रशासन के लिए या अन्यथा उनके बकाया ऋण के संबंध में जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों से कर सकते हैं।

हस्ताक्षरः	
अधिकारी का नाम:	पदनामः
ऋणदाता संस्था का नाम एवं मुहरः	
तारीखः	स्थान





लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार) एन सी यू आई आडिटोरियम बिल्डिंग अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली — 110 016 दूरभाषः 91 11 26862365, 26966017 फैक्सः 91 11 26862367 ईमेलः sfac@nic.in, वेबसाइटः www.sfacindia.com